Monday, 03 September, 1962

लोव -सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ८, १९६२/१८८४ (शाक)

[३ से ७ सितम्बर १९६२/१२ से १६ भाद्र, १८८४ (शाक)]

Chamber Fumigated 18/X/23

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
08.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शाक)

(खण्ड ८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[तृतीय खण्ड माला, खण्ड ८—अंक २१ से २५–३स ७ सितम्बर, १९६२ १२ से १६ भाद्र १८८८४ (शक)]

अंक २१—सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२।१२ भाद्र, १८८४ (शक)— पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४६ से ७६० और ७६२ . २५८५—१६११

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १० . . २६११–१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४५, ७६१, ७६३, ७६४ से ७६६ . २६१२—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४४ से २१५४, २१५६ से २१९० और २१९२ से २२०९ . . . . २६१४—४३

अल्प सूचना प्रश्न सख्या ९ २६४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना २६४३—४६

(१) पश्चिम बंगाल में वियासवाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा दो भारतीयों के मारे जाने का कथित समाचार . . .

(२) श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इण्डोनेशिया सरकार की प्रतिक्रिया । . .

लद्दाख में चीनी सैनिक के चौकियों के बारे में वक्तव्य . २६४६–४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७–४८

राज्य सभा से सन्देश २६४८

विधेयक पुरस्थापित— . .

(१) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक . . . २६४८

(२) भाण्डागार निगम विधेयक . . ९

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक— २६४९

विचार करने का प्रस्ताव . . २६४९—५१

खंड १ से ७ . . . २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

बैंकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक २६५२

विचार करने का प्रस्ताव .

खंड २ से ८ तथा १ २६६०

पारित करने का प्रस्ताव . २६६०–६१

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक— २६६१—८६

विचार करने का प्रस्ताव . . . .

कार्यमंत्रणा समिति — २६८६

छठा प्रतिवेदन . . . .

दैनिक संक्षेपिका . . २६८७—९२

अंक २२—मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२/१३ भाद्र, १८८४ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ७७०, से ७७३ ७७६, ७७७, ७७९ से ७८१, ७८४ और ८८५ . . . २६९३—२७१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ . . . २७२०—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तरांकित प्रश्न संख्या ७६९, ७७४, ७७५, ७७८, ७८२ और ७८६ से ७९० . . . . . २७२२—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२१० से २२५१, २२५३ से २२५४ और २२५६ से २२६१ . . . २७२६—५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २७५७—६२

(१) नागा लैंड में पैंटिंग फोम को गोली से मार दिया जाना।

(२) मोजाम्बिक से भारतीयों का निकाला जाना . .

(३) जकार्ता के भारतीय दूतावास पर आक्रमण . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७६२—६३

राज्य सभा से संदेश २७६३

अनुपस्थिति की अनुमति . . २७६३

धर्मपरिवर्तन करने वालों का विवाह विच्छेद विधेयक—पुरस्थापित . . २७६४—६५

कार्य मंत्रणा समिति— २७६५

छटा प्रतिवेदन . . . . .

गन्ना नयंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक . . . २७६५—६६

विचार किरने का प्रस्ताव .

खंड २ तथा १ . .

पारित करने का प्रस्ताव . .

ईरान के भूकम्प के बारे में २७६

विषय	पृष्ठ
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में	२७६७–६८
संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	२७६८—८८
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ७ और १	२७८८—९५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७९५—२८०१
खाद्य उत्पादन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
दैनिक संक्षेपिका	२८०२—०८
अंक २३—बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२।१४ भाद्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, से ७९३, ७९३—क, ७९४ और ७९७ से ८०४	२८१९—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९५, ७९६, ८०४—क, और ८०५ से ८१९	२८४१—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६२ से २३६६, २३६८ से २३७१ और २३७१—क से २३७१—ञ	२८४८—२९११
राज्य सभा में सन्देश	२९११
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२९१२
सदस्य का निलम्बन	२९१२—१४
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	२९१५—१९
खंड २ से ५ तथा १	२९१९–२०
पारित करने का प्रस्ताव	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	२९२०—३५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ तथा १	२९ ३५
पारित करने का प्रस्ताव	२९३५–३६
परिसीमन विधेयक—	
सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव	२९३६—३८
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	२९३८—७१
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२९७१

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६

अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३—क	३००५—४६
दिनांक ३—९—६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख . . .	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७—४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९१
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४

अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७–६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१६५–६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में	३१६७–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३२०७–०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	३२०६–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति आठवां प्रतिवेदन	३२३१
अनुसधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'जिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६
अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३-क ३००५—४६	
दिनांक ३-९-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७-४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९२
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४
अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७–६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१६५–६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में	३१६७–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहिला और दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३२०७–०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	३२०६–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति आठवां प्रतिवेदन	३२३१
अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'लिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

लोक-सभा वाद-विवाद

2.1.63
12-30

लोक-सभा

206

सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२

१२ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में मकानों का किराया

+

*७४३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
महाराजकुमार विजय आनन्द
श्री हेडा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी और नई दिल्ली में मकानों के किराये कम करने में सरकार किस हद तक सफल रही है;

(ख) किराये को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा चुके हैं; और क्या उठाये जाने हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के नगरीय क्षेत्र में अन्य बातों के साथ साथ किराया नियंत्रण के लिये बनाया गया था । अधिनियम की धारा ६ में यह बताया गया है

†मूल अंग्रेजी में

1808 (Ai) LSD—1.

किसी इमारत के सम्बन्ध में स्टैण्डर्ड किराया कैसे निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी मकान का स्वामी किरायेदार से स्टेण्डर्ड किराये से अधिक किराया वसूल करता है तो किरायेदार अधिनियम में उपबन्धित कानूनी बातों का सहारा ले सकता है।

क्योंकि दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में किरायों में वृद्धि रिहायशी और अन्य स्थानों की बढ़ती हुई मांग के कारण है, बड़ी संख्या में रिहायशी और वाणिज्यिक प्लाट देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिये सरकार ने दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और विक्रय के लिये एक योजना बनाई है जिस का ब्यौरा २३ मार्च, १९६१ को श्री प्र० गं० देव के 'ध्यान आकर्षित प्रस्ताव' के सम्बन्ध में पटल पर रखा गया था।

(ग) ऐसा कोई अभिकरण नहीं है जिस के जरिये प्रति वर्ष मकान मालिकों द्वारा लिये गये किराये की स्थिति का पता लगाया जा सके।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अधिक किराये के कारण भूमि के ऊंचे मूल्य और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये किसी एक प्राधिकार का न होना बताये गये हैं। आवास मंत्री ने भी ऐसा कहा है। क्या वह सरकार की जिम्मेवारी है और उन का क्या स्पष्टीकरण है और वह इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर विचार किया गया और दिल्ली के मुख्यायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। सरकार इस दिशा में कई कदम, अर्थात्, सैंकड़ों एकड़ भूमि का अर्जन और उनका एक भाग मकान निर्माण सहकारी समितियों के लिये सुरक्षित रखना, उठा रही है। हम ने वर्ष १९५८ में संसद् द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम पारित कराया है। इस में, कुछ बातों के साथ, स्टैण्डर्ड किराये के भुगतान की व्यवस्था है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कानूनी स्थिति बता दी गई है। परन्तु क्या मंत्री महोदय को पता नहीं है कि पिछले चार वर्ष के से उन के प्रयत्नों और इस सदन को दिये गये आश्वासनों के बावजूद किरायों में वृद्धि ही हो रही है ? अगर अमीर अमीर को लूटे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि मध्यम श्रेणी और निम्न मध्यम श्रेणी के लिये वे क्या कर रहे हैं, क्या वे कोई ठोस कदम उठा पाये हैं और क्या हमें कोई विशिष्ट आश्वासन दिया जायेगा कि कुछ कार्यावाही की जावेगी ?

†**श्री दातार** : ठोस कदम किराया नियंत्रण अधिनियम पारित करना और कई पदाधिकारियों को किराया नियंत्रक बनाना है। दूसरी ओर, गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा इमारतों के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया जाना है क्योंकि तभी यह समस्या कुछ सुलझेगी। जहां तक किराया नियंत्रण अधिनियम का संबंध है, कुछ अवधि, जिसे किराया अवकाश कहा जाता है, अर्थात् पांच वर्ष तक सहमत किराया चालू रह सकता है। परन्तु बाकी सभी मामलों में किराया नियंत्रक द्वारा स्टैण्डर्ड किराया निर्धारित किया जाता है। और मैं न देखा है कि कई ऐसे मामले हैं जहां किरायदारों ने स्टैण्डर्ड किराया निर्धारित करन के लिये किराया नियंत्रक से अपील की है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि किरायदारों न स्टैण्डर्ड किराया निर्धारित करने के लिये किराया नियंत्रक से प्रार्थना की है। इस दिशा में सहायता के लिये न्यायालय में कितने मामले गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मेरे पास आंकड़े हैं : मैं इस सभा में . . . .एक प्रश्न के उत्तर में आंकड़ बताये जे

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आंकड़े दिय जा चुके हैं तो उन को दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री दातार** : केवल एक । वर्ष १९६१ में २०४ किरायेदारों न स्टैण्डर्ड किराया निर्धारित करने के लिये मामले दायर किये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि किराया नियंत्रण अधिनियम के बावजूद कई लोग न्यायालय के निर्णय के बावजूद अपने मकान खाली नहीं करा सके हैं ?

†**श्री दातार** : कथित अधिनियम में मकान मालिकों द्वारा खाली न कराये जाने की भी क्या व्यवस्था है ।

श्री म०ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि मकान मालिक लोग किराया ज्यादा वसूल करने के साथ साथ किरायेदारों से दुकानों और मकानों के लिये कई कई हजार रुपया बतौर पगड़ी के मांगते हैं, यदि हां, तो उस को नीची करने के लिये या इस पगड़ी को बंद करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : पगड़ी मांगना या अधिक किराया मांगना न केवल असैनिक विधि का उलंघन है बल्कि दाण्डिक उपबन्धों के विरुद्ध अपराध भी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पगड़ी उतारने के लिये गवर्नमेंट क्या करे ।

†**श्री हेडा** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि ऐसा कोई अभिकरण नहीं है जिस के जरिये माकान मालिकों द्वारा वसूल किये गये किराये की स्थिति का प्रति वर्ष पता लगाये जा सके । यदि ऐसा है, तो सरकार को स्थिति के बारे में कैसे पता है ? वह स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं ।

†**श्री दातार** : मैं ने भी यही कहा । यह कठिन है । यह जानाना संभव नहीं है कि कहां पर अत्याधिक किराया दिया जाता है । किरायेदार स्वयं यह जानकारी देने नहीं आते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

ताप का बिजली में परिवर्तन सम्बन्धी प्रयोग

†*७४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका में ताप का बिजली में परिवर्तन सम्बन्धी प्रयोग सफल हुआ है और एक विराट मैंगनेटा हाइड्रो-डायनेमिक जेनेरेटर लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत, चूंकि उसके पास ताप के असीमित साधन हैं, इस आविष्कार का लाभ उठायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां । अमरीका में और अन्य देशों में मैंगनेटा-हाइड्रो-डायनेमिक सिद्धान्त पर बिजली पैदा करने का प्रयोग किये जा रहे हैं । अभी तक इसका प्रयोग किया जा रहा है ।

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में ताप का संसाधन सूर्य का ताप है जो इस तरीके से बिजली बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है। जो भी हो, इस तरीके को अपनाने के बारे में अभी नहीं सोचा जा सकता क्योंकि यह प्रयोगात्मक अवस्था में है।

श्री रघुनाथ सिंह : हिन्दुस्तान में अभी यह सम्भव नहीं है तो क्या अमरीका में जो ऐक्सपेरीमेंट्स हो रहे हैं उनको जानने के वास्ते हिन्दुस्तान से आप कोई साँइंटिस्ट्स भेजेंगे ?

श्री हुमायून कबिर : इसको जानने के लिये अभी भेजने का कोई सवाल नहीं है लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट्स वहां जाते हैं वे इस की जरूर खबर करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कुछ समय पूर्व हमने सूर्य की गर्मी से चलने वाला चूल्हा (सोलर कूकर) बनाय था। उस प्रयोग का क्या हुआ ?

†**एक माननीय सदस्य** : यह असफल रहा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उस प्रयोग का क्या हुआ और वह प्रयोग भारत में कैसे किया गया जबकि मन्त्री महोदय का कहना है कि इस प्रकार के प्रयोग के लिये कई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसका ताप से बिजली बनाने से सम्बंध है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि और मुल्कों (यू० एस० ए०) में जो ऐक्सपेरीमेंट हुए हैं और बिजली जैनरेट हुई है वह दूसरी हीट है तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे यहां सोलर हीट से कोई जैनरेशन या बिजली पैदा की जा सकती है ?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने अभी बतलाया कि अमरीका में सोलर इनर्जी से ऐक्सपेरीमेंट नहीं हो रहे हैं। हमारे यहां सोलर इनर्जी जिसको कि हम इस्तैमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अभी थोड़ा काम हुआ है। एक खास सोलर इनर्जी डिवीजन अभी बनाया गया है लेकिन 'कुकर्स' की तरफ हमारा इतना ज्यादा ख्याल नहीं है। जितना अभी तक काम हुआ है उससे पानी गरम किया जा सकता है हम चाहते हैं कि ऐयरकंडीशनिंग और रैफरीजरेशन भी हो सके। यह ऐक्सपैरीमेंट हो रहे हैं। यह अगर सफल हो गये तो कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन जो एलेक्ट्रीसिटी बननी है और जिसकी अभी तीन मुल्कों यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर० और यू० के० में चर्चा हो रही और ऐक्सपेरीमेंट्स हो रहे हैं, उस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा है और उसमें २५०० से ३००० सेंटीग्रेड हीट में उसको काम करना पड़ता है। वह सोलर इनर्जी से नहीं बनती है।

तेल शोधक कारखाना, कलकत्ता

†*७४६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खान और इंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विशेषज्ञों ने कलकत्ते में सरकारी क्षेत्र के अधीन एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये मंजूर की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने पाइप लाइन के जरिये कलकत्ता को साफ किया हुआ तेल भेजने और कलकत्ता के समीप एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बीच तुलनात्मक लागत का मूल्यांकन किया है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : जी, नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि नहरकटिया के कच्चे तेल को साफ करने के लिये कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने सिफारिश की कि कलकत्ता में तेल शोधक कारखाना बहुत लाभप्रद रहेगा और यदि हां, तो सरकार ने इस समिति को सिफारिशों को ताक में क्यों रख दिया है ?

†**श्री हजरनवीस** : मुझे उस सिफारिश का पता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या उत्तर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पता नहीं है कि उस समिति ने यह सिफारिश की थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रतिवेदन की एक प्रति मेरे पास है । इसने यह सिफारिश की है । जहां तक मन्त्री महोदय का सम्बन्ध है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह नहीं कहा कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, वह गलत है । उनका कहना है कि उनके पास वह जानकारी नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद**: क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १४० लाख टन की मांग में से हमें लगभग ५० लाख टन के उत्पादन की आशा है, सरकार इसको कैसे पूरा करेगी जबकि इसने कलकत्ता में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की किसी सम्भावना का मूल्यांकन नहीं किया है ?

†**श्री हजरनवीस**: अगला तेल शोधक कारखाना सम्भवत: दक्षिण भारत में होगा । उसके लिये हमें दो रिपोर्टें एक ई० एन० आई० से और दूसरी एक अमरीकी कम्पनी से--मिल चुकी है । हमने दक्षिण भारत में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिये भारतीय पेट्रोलियम संस्था से प्रार्थना की है । जब ये तीनों प्रतिवेदन आ जायेंगे, तब हम अगला तेल शोधक कारखाना स्थापित करने पर विचार करेंगे, परन्तु इसके दक्षिण भारत में स्थापित किये जाने की बड़ी सम्भावना है ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : दक्षिण भारत में एक तेल शोधक कारखाने के बारे में इस जांच समिति ने क्या निश्चित सिफारिश की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । कलकत्ता में तेल शोधक कारखाने से हम दक्षिण भारत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना का जिक्र कर रहे हैं, अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार के लिये सीमेंट का कोटा

†७४७. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को सीमेंट का कोटा नियत करने में काफी कटौती की गयी है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कटौती से उस राज्य के उद्योगों में एक संकट उत्पन्न हो गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) बिहार राज्य के लिये तिमाही कोटे में कोई कटौती नहीं की गयी है। यह कोटा ९१,८०० टन प्रति तिमाही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री योगेन्द्र झा : क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार ने सीमेंट की अपनी जितनी जरूरत बताई है, उसका तीस से चालीस प्रतिशत तक ही सीमेंट का कोटा बिहार सरकार को दिया गया है; यदि हां, तो वहां पर चल रहे विकास-कार्यों पर इसका क्या असर पड़ा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया है, बिहार का सीमेंट का कोटा ९१,८०० टन पर क्वार्टर है और तीनों क्वार्टरों में उतना ही उसको दिया गया है। दूसरे क्वार्टर में ९१,६७९ टन का आफटेक हुआ है। ऐसी सूरत में उसमें कोई कमी नहीं हुई है। इस के अलावा बिहार को बीस हज़ार टन का एक **एड हाक** कोटा दिया गया है।

श्री योगेन्द्र झा : आज भी बिहार को मिलने वाले सीमेंट के कोटे का आधार वही है, जबकि सीमेंट का उत्पादन, ७.५ मिलियन टन था। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जबकि सीमेंट का उत्पादन ८.२ मिलियन टन हो गया है, तो क्या उसी अनुपात में बिहार का कोटा बढ़ाया गया है या नहीं ?

श्री प्र०चं० सेठी : यदि सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है, तो उसकी मांग भी बढ़ गई है। जहां तक किसी स्टेट को सीमेंट देने का सम्बन्ध है, वह इस आधार पर दिया जाता है कि गये साल उस स्टेट को कितना दिया गया था।

श्री विभूति मिश्र : बिहार में हतिया का कारखाना लग रहा है, बोकारो और बरौनी के कारखाने लगने जा रहे हैं। इसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कारखाने लग रहे हैं। इसके बावजूद बिहार को सीमेंट का पुराना ही कोटा मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को मद्दे-नज़र रखते हुए कि बिहार में सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में, कारखाने लगने जा रहे हैं, क्या उसका कोटा बढ़ाया जायेगा ?

श्री प्र०चं० सेठी : माननीय सदस्य को कुछ ग़लती हो गई है। अभी मैंने स्टेट कोटे के बारे में बताया है। जहां तक और कारखानों का सम्बन्ध है, उनको सेंट्रल कोटे में से एलाटमेंट किया जाता है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरक र ने सरकारी क्षेत्र—सरकारी और राज्य परियोजनाओं—और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच सीमेंट की खपत के बारे में कोई अनुपात निर्धारित किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भारत भर में ?

†**श्री त्यागी** : इसका अधिकांश सरकारी इमारतों में लगता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

†**श्री त्यागी** : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन क्षेत्रों में कोई अनुपात निर्धारित किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह बहुत परे की बात है ।

श्री क० ना० तिवारी : अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि बिहार का जितना कोटा निश्चित है, वह सारा कोटा दिया जाता है, लेकिन क्या यह सही है कि जो कन्ज़्यूमर्स कोटा है, वह पूरा नहीं दिया जाता है ?

श्री प्र०चं० सेठी : मैंने अभी बताया है कि पिछले तीन क्वार्टर्ज़ में बिहार को उतना ही दिया गया है, जितना कि निश्चित है । वहां का बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह वहां की स्टेट सरकार करती है ।

श्री क० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि जो बिहार का कोटा निश्चित है, उतना नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उतना ही दिया जाता है । उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट का कोटा है, वह उनको मिलता है और पिछले तीन क्वार्टर्ज़ से दिया जा रहा है । उसके बाद बाकी काम स्टेट गवर्नमेंट का है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : बिहार को आवंटित कोटे के बारे में क्या यह पिछले वर्ष के कोटे पर आधारित है अथवा यह बिहार सरकार की मांग पर आधारित है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : बात यह है कि जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, हमारे पास इसकी कमी है । यह सभी राज्यों को बराबर मात्रा में दिया जाता है । अतः सब राज्यों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सिद्धान्त निकाला जिसके आधार पर यह कोटा निर्धारित किया जाये और वितरित किया जाये । उसके आधार पर कोटा निर्धारित किया गया है और उस आधार पर आवंटन किया जाता है ।

कोयले के परिवहन की समस्या का अध्ययन करने के लिये विदेशी विशेषज्ञ

†*७४८. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के परिवहन की समस्या का अध्ययन करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों के दल को निमंत्रित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या सरकार समझती है कि इस से कोयले के परिवहन की समस्या हल हो जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग) : इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है । परिवहन समस्या को हल करने में इससे कितनी सहायता मिलेगी इसकी जानकारी अध्ययन पूरा हो जाने के बाद हो सकती है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या कोयले की समस्या को हल करने के लिये देश में विद्वानों की कमी है ?

†**श्री हजरनवीस** : जी नहीं । हमारे विशेषज्ञ प्रश्न की जांच कर रहे हैं । विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि वह समस्या की जांच करने को तथा सुझाव देने को तैयार है । हम उनकी इस बात को किस प्रकार ठुकरा सकते हैं ?

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : भारत सरकार का विचार समस्या को कब तक हल करने का है ?

†**श्री हजरनवीस** : यथासंभव शीघ्र ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विश्व बैंक के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा रहा है तथा इस संबंध में उनकी क्या विशिष्ट अर्हतायें हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : भारत के दौरे पर आये विश्व बैंक के एक कर्मचारी ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि हम विश्व बैंक से अनुरोध करें कि सभी प्रकार के परिवहनों की संभावनाओं का अध्ययन करें। विश्व बैंक इस पर विचार कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु प्रश्न यह था कि विशेषज्ञ किस देश से बुलाया जा रहा है और उसकी अर्हतायें क्या हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : हम ने प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना उन्हें दे दी है । हमें अभी उनका उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमने मामले की जांच के लिए उच्चाधिकार युक्त नियोगी समिति बनाई थी । इस के बाद परिवहन मंत्री ने भी बताया था कि उन्होंने मामले पर विचार करने के लिए हाल में ही एक और समिति नियुक्त की है । क्या यह बातें भी विश्व बैंक को बतायी गई हैं कि हम ने इस प्रश्न की जांच के लिए उच्चाधिकार युक्त समितियां बनाई हैं और क्या इस पर भी उन्होंने विदेशी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करने को कहा है ? क्या उन्होंने वह बातें बताई हैं जिनकी वह जांच कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इतना लम्बा तथा तर्क पूर्ण नहीं होना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह तर्कपूर्ण नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तर्क दिये गए हैं और तथ्यों से उनका समर्थन किया गया है । प्रश्न को इतना लम्बा नहीं करना चाहिए ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नियमानुसार यह १५० शब्दों का हो सकता है ।

†**श्री हजरनवीस** : विश्व बैंक ने कहा है कि वह हमें सहायता देगा जिस के लिये हमारा कोई खर्च करने का इरादा नहीं है । यदि वह हमें कोई हल बतायेंगे तो हम उसे केवल इस लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्वीकार नहीं करेंग कि हमारे विशेषज्ञ बहुत विद्वान हैं और दूसरे लोग इस विषय में कोई राय नहीं दे सकते ।

†**श्री त्यागी :** ये विदेशी विशेषज्ञ किन बातों के संबंध में—सड़क परिवहन , रेल परिवहन अथवा पाइपों द्वारा पम्प से ढकेल कर —सलाह देंगे ।

†**श्री हजरतवीस** : सभी प्रकार के परिवहन के संबंध में । पाइप लाइनों द्वारा कोयले के परिवहन के संबंध में दो विदेशी फर्में विचार कर रही हैं । एक मैसर्स ब्राउन एण्ड रूट इनकारपोरेटिड है तथा दूसरी मैसर्स बेछेल इंटरनेशनल कारपोरेशन है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** इस देश में प्रायः स्थानीय विद्वानों को यह काम सौंप देने से स्थिति में कितना सुधार हुआ है तथा क्या सरकार कोयला परिवहन की प्रगति से संतुष्ट है ?

†**श्री हजरतवीस :** हमें समस्या का हल ढूंढने के बारे में संतोष नहीं हुआ है परन्तु सुधार अवश्य हुआ है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** परिवहन के संबंध में विदेशी विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता क्या है ? क्या इस समस्या का हल करने के लिए देश में कोई विशेषज्ञ नहीं है ?

†**श्री हजरतवीस :** हमने विशेषज्ञ नहीं बुलाये हैं । हमें सहायता दी गई है और हमने यह ठीक नहीं समझा कि इस सहायता को न लें जबकि हमें इस के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने अपने एक्सपर्ट्स से पूछ-ताछ कर के तय कर लिया है कि हिन्दुस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं, वे काबिल नहीं हैं, इसलिए बाहर से एक्सपर्टस मंगाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उसी प्वायंट पर बहस की जा रही है । कोई फ़रदर इन्फ़र्मेशन नहीं मांगी जा रही है ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय , कोयला तो सड़क या रेल से जायगा । क्या सरकार ने यह देख लिया है कि उस के पास आवश्यक साधन है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : और दो तीन माननीय सदस्यों ने भी यह सवाल पूछा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग ने समस्या की जांच अपने कार्यकारी वर्ग तथा विशेषज्ञों द्वारा कराई है और परिवहन बाधा की इस समस्या का हल करने के लिए — वित्तीय तथा अन्यथा —उपबन्ध किए गए ? यदि हां, तो सरकार का विचार योजना आयोग और इन विदेशी विशेषज्ञों के कार्यों को किस प्रकार समन्वय करना है ?

†**श्री हजरतवीस :** सच यह है कि विश्व बैंक ने प्रस्ताव की स्वीकृति की कोई सूचना नहीं भेजी है तथा नही कोई विशेषज्ञ भेजा है । सिफारिशें मिल जाने के बाद ही इसका पता लग सकता है कि समन्वय की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं । जो एजेन्सी अपनी अपनी सिफारिशें भजेंगी सरकार निश्चित रूप से उनका समन्वय करेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि विश्व बैंक द्वारा दी गई इस सहायता के स्वीकार कर लेने के बाद हमें विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए विश्व बैंक का ऋण लेना होगा ?

---

†मूल : अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस :** ऐसा आश्वासन देना मेरे लिये संभव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल में कोई आश्वासन नहीं मांगा जाता है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

+

†७४९. { **श्री सुबोध हंसदा :** / **डा० रा० बनर्जी :** }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों की कमी के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम पर काफी असर पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना असर पड़ेगा या उस में कितनी देर लगेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है ; यदि हां, तो भविष्य में इस कार्यक्रम के लिए कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किए जा रहे हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** भिलाई में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम है । प्रत्येक वर्ष १०० ग्रेजुएट अप्रैंटिस, १३३ वरिष्ठ आपरेटर्स, २४४ कनिष्ठ आपरेटर्स, तथा २२८ आर्टिसन ट्रेनी, प्रशिक्षित हो रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों को लगाने के लिए सरकार अभी भी कुछ टैक्निसियनों को रूस भेज रही है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जी हां । जितने आवश्यक होते हैं उतने व्यक्ति रूस भेजे जाते हैं ।

†**श्री गोविन्द दास :** क्या माननीय मंत्री जी ने गत मास में भिलाई में जो उत्पादन हुआ है उस के अंक देखे हैं और क्या हर महीने यह उत्पादन बढ़ता जायेगा, ऐसी आशा है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** यह प्रश्न मूल प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है । मूल प्रश्न प्रशिक्षार्थियों तथा कर्मधारियों की कमी के संबंध में है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या यह सच है कि अधिकारियों ने विस्तार कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि उनको इकट्ठी रक़म मिल जायेगी और बाद में उनको यह रक़म नहीं दी गई थी । जिस के परिणामस्वरूप इसके विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है ; यदि हां, तो क्या अधिकारी अपना आश्वासन पूरा करेंगे अथवा यदि इसको वापस लेंगे तो इसके क्या कारण हैं?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** श्रीमान् प्रश्न ....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एकदम भिन्न प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इलियास** : यह विस्तार कार्यक्रम के संबंध में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या प्रविधिक कर्मचारियों की कमी का विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : टैक्निकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण ठीक तरह से नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी** : भिलाई में कितने विदेशी प्रविधिक कर्मचारी हैं तथा क्या हम प्रावस्था भाजित कार्यक्रम बना रहे हैं कि जिस से विदेशी प्रविधिक कर्मचारी पर आश्रित हुए बिना अपना काम कर सकें ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : श्रीमान, हमें जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उतने नियुक्त करेंगे। १० लाख टन संयंत्र के प्रथम क्रम के निर्माण के लिए हम १००० रूसी विशेषज्ञों को नियुक्त कर रहे थे । परन्तु विस्तार क्रम में हमारा विचार २५६ रूसी विशेषज्ञ नियुक्त करने का है।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान टाइम्ज़ के कारेस्पोंडेंट ने जो किताब लिखी है "पब्लिक सैक्टर" उसमें कहा गया है कि भिलाई तथा और भी जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं उनमें आदमियों की कमी है जिस की वजह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ? क्या इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कैसे आदमी ?

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान टाइम्ज़ के कारेस्पोंडेंट ने . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कहिये जो कहना चाहते हैं, ट्रेंड पर्सनेल की बात कर रहे हैं या बाकी आदमियों के बारे में कह रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : उसने लिखा है कि जितने हमारे पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं भिलाई समेत उनमें ट्रेंड आदमियों की कमी है जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान उधर गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो सवाल है। और क्या है इसमें ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है कि आगामी वर्षों में कितने प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, और यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या प्रशिक्षण का कोई प्रवस्थाभाजित कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां।

†**श्री दाजी** : जब प्रविधिक कार्यक्रम का विनियम हो जायेगा तब क्या आगामी पांच वर्षों की हमारी आवश्यकता इससे पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां ।

राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुये भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी

†*७५०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीयसचिवालय में विभिन्न श्रेणियों में राज्यों से प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आये हुये भारतीय प्रशासन सेवा के कितने अधिकारी हैं ;

(ख) इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) की अवधि में कितना अतिरिक्त भुगतान किया जाता है ; और

(ग) राज्यों के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को, विशेष कर अवर-सचिव की पदावली में लेने के क्या विशेष कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क)

अवर सचिव	२९
उप सचिव	६७
संयुक्त सचिव	४५
*सचिव/अतिरिक्त सचिव	३५

(ख) कोई अतिरिक्त परिश्रमिक नहीं दिया जाता है । इन अधिकारियों को वेतन भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ के अधीन दिया जाता है ।

(ग) इस पद्धति से निम्न लाभ होते हैं :—

(१) व्यावहारिक प्रशासन से उच्च नीतियां अलग नहीं होती हैं अर्थात् प्रशासन जनता तथा उनकी समस्याओं को अच्छी प्रकार समझ जाता है ।

(२) केन्द्र से लौटने के बाद राज्यों को अखिल भारतीय दृष्टिकोण के अधिकारी मिल जाते हैं ।

(३) सिद्ध योग्यताओं वाले अधिकारियों को ऊंचे पदों के लिये चुन लिया जाता है ।

(४) सेवा से देश एक प्रशासनिक इकाई बन जाता है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि राज्यों के भारतीय प्रशासन अधिकारियों को अवर सचिव की पदावली में लाने से यहां के सुपरिंटेंडेंटों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं ?

†**श्री दातार** : जी नहीं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि देश के विकास के लिये सेवा में काम के प्रति लगन अत्यावश्यक है ? यदि हां, तो केन्द्र में काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के राज्यों से अधिकारियों को ले कर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : भारत सरकार को एक सीमा तक सभी राज्य सेवाओं से अधिकारी लेने होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने अभी बताया कि ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि देश के दूरस्थ इलाकों में क्या हो रहा है। दूसरे जहां तक केन्द्रीय सेवाओं का संबन्ध है, उनका दावा है कि अवर सचिव की समस्त पदालो उनके लिये रक्षित होनी चाहिये। परन्तु वेतन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और इस को रद्द कर दिया था ।

†**श्री दलजीत सिंह :** इस समय भारतीय प्रशासन सेवा में बैठने के लिये क्या आयु सीमा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न में नहीं आता है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब हमारे सैक्रेटेरिएट में अच्छे अनुभवी कर्मचारी मौजूद हैं तब कौन से विशेष कारण हैं कि राज्यों से लोग लिये जायें और क्या कोई कोटा फिक्स्ड है, जैसे अंडर सैक्रेटरीज़ में खास करके कि इतने राज्य सरकारों के लिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे नहीं दिया गया है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस परिमाण में, किस संख्या में लिये जाते हैं, क्या इसका कोई कोटा फिक्स्ड है ?

†**श्री दातार :** कोटा निश्चित नहीं किया गया है परन्तु सामान्यतः अवर सचिव के पद पर इनको अधिकांशतः रख जाता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि ७३ प्रतिशत पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी होते हैं तथा भारतीय प्रशासन सेवा के ६.८ प्रतिशत अधिकारी होते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** माननीय मंत्री ने बताया कि कई कारणों से राज्यों से अधिकारियों के केन्द्रीय सचिवालय में लाया जाता है। क्या यह सच नहीं है कि जब ऐसी मांग की जाती है कि अधिकांश राज्य अपेक्षित संख्या में अधिकारियों को भेजने में समर्थ नहीं होते हैं ?

†**श्री दातार :** हमने विभिन्न पदालियों के लिये कोटा निश्चित कर दिया है और सामान्यतः राज्य भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की सेवाओं को हमें देने में सहयोग दे रहे हैं।

†**श्री रंगा :** केन्द्रीय सरकार इन अधिकारियों को स्वयं छांट कर लेती है, अथवा राज्य सरकार अपनी मरजी से जिसे चाहे भेजती है ?

†**श्री दातार :** इस काम के अनुसार अपनी आवश्यकता उन्हें बता देते हैं। राज्य अपनी सिफारिशें हमें भेजती हैं और हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या अधिकारियों को लेने का कोई आधार है तथा यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार हो जाता है कि कुछ राज्यों के अधिकारी वरिष्ठ पदालो में बहुतायत में हैं तथा अन्य राज्यों के हैं ही नहीं ?

†**श्री दातार :** प्रभुत्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। पहले कुछ राज्यों के बहुत ही कम कर्मचारी आते थे परन्तु अब हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वह हमें अपेक्षित कोटा दें क्योंकि ऐसा करना हमारे तथा उनके दोनों के हितों में होगा। अब स्थिति संतोषजनक है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जो अधिकारीगण राज्यों से केन्द्र को आते हैं एक नियत अवधि के लिये, वे अवधि के समाप्त होने के पश्चात् वापस जाने में आनाकानी करते

†मूल अंग्रेजी में

हैं इस का क्या कारण है, और केन्द्रीय सरकार जिस उत्सुकता से उनको यहां बुलाती है, उस उत्सुकता से उन को वापस नहीं भेजती, और क्या गवर्नमेंट को यह . . .

अध्यक्ष महोदय : आप क्या ऐसा सवाल कर लेंगे ? पहले इतने सवालों का ही जवाब लाने दीजिये ।

†**श्री दातार** : इस प्रश्न का हम कई बार उत्तर दे चुके हैं, साधारणतया एक अवधि निश्चित कर दी गई है । अवर-सचिवों के लिये तीन वर्ष, उप-सचिवों के लिये चार वर्ष तथा संयुक्त-सचिवों के लिये पांच वर्ष हैं । मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि अपनी अवधि समाप्त करने के बाद ये यथासंभव शीघ्र वापस चले जाते हैं तथा अन्य यहां पर आ जाते हैं । परन्तु जिनकी सेवाओं की हमें और आवश्यकता होती है उनकी अवधि बढ़ा दी जाती है । ऐसा आना जाना होता रहता है और केवल आना ही नहीं होता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय राज्य मंत्री ने जो कार्यक्रम अभी बताया क्या उसमें अधिकारियों का चुनाव राज्य की पदालि में अधिकारियों की संख्या के अनुपात में होता है और क्या इन अधिकारियों को सभी राज्यों से चुना जाता है अथवा केवल कुछ राज्यों से ?

†**श्री दातार** : मैंने यही बताया कि हमने यथासंभव समानता रखी है ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या सीधे भरती होने वाले भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों तथा विभिन्न सेवाओं से परीक्षा में बैठने वाले अधिकारियों के बीच कोई पक्षपात रखा जाता है ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न बेकार का प्रश्न है परन्तु इस आरोप को नष्ट करने के लिये मैं बताता हूं कि उनको एक समान समझा जाता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के अनुभव में यह बात आई है कि राज्य सरकारें अपने अच्छे अफसरों को नहीं भेजती हैं, बल्कि जो अफसर अच्छे नही होते उनको भेजती हैं ?

†**श्री दातार** : मैं यह बात ठीक नहीं समझता हूं ।

श्री म० ला० द्विवदी : केन्द्रीय सरकार ने कुछ आई० ए० एस० अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में तायनात किया है, जैसे मद्रास के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के केरल में, इसी तरह से और जगहों पर भी हैं । इस तरह के जिन अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार ने दूसरी सरकारों से ऋण पर लिया है और जो राज्यों में काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वे भी उस संख्या में, जो कि माननीय मंत्री महोदय ने दी है, सम्मिलित हैं या उन के अतिरिक्त हैं । और कितने ऐसे अधिकारी राज्यों में काम कर रहे हैं ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य कृपया दूसरे प्रश्न की सूचना दें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब तैयार नहीं है, अलाहदा सवाल कर लीजिये ।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री सदन के पटल पर उत्तर रख दें ।

अध्यक्ष महोदय : जब सवाल ही नहीं करेंगे तो वे कैसे रख देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सशस्त्र सेना मुख्यालय का प्रतिरक्षा मंत्रालय में विलय

†७५१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों को मिलाकर एक करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो देर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि अन्तिम रूप दिया जा चुका है, तो उसका क्या ब्मौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों की संस्थाओं से उत्तर नहीं मिले हैं। इन संस्थाओं के विचार सरकार ने मामले के बारे में मांगें थे।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेंगे अथवा उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है और उसका अनुसमर्थन चाहते हैं।

†**श्री रघुरामैया** : निर्णय लेने से पूरी संस्थाओं के विचारों पर विचार करना होगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : अन्तिम निर्णय मिल जाने की आशा है ?

†**श्री रघुरामैया** : अभी बताना बड़ा कठिन है। मामला कुछ समय से लम्बित है। इसमें बड़ी उलझनें तथा कठिनाइयां हैं।

हिन्द महासागर अभियान

†*७५२. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताँने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान की उपपत्तियों का पता है जिसमें बताया गया था कि उन्हें हाल में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभिन्न गहराइयों पर पानी की एक ऐसी विस्तृत तह का पता लगा है जिसमें 'हाइड्रोजन सल्फाइड' का जमाव है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष १९५७ में अरब सागर में लाखों मछलियों के अचानक मर जाने का एक कारण यह भी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) जी हां

(ख) और (ग). कोई वक्तव्य देने से पहले आंकड़ों की सावधानी से तथा पूरी जांच करानी होगी।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : बंगाल की खाड़ी क्या अरब सांगर में 'हाइड्रोजन सल्फाइड' के भविष्य में इकट्ठा होने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** पहले हम पूरा अध्ययन तथा सर्वेक्षण करना चाहेंगे। हिन्द महासागर अभियान तीन अथवा चार वर्षों तक काम करेगा और जब पूरे आंकड़े मिल जायेंगे तब उनका उचित अध्ययन किया जायेगा। उसके बाद हम जो भी संभव होगी वह कार्यवाही करेंगे।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** अध्ययन के परिणाम हमें कब तक मिल जाने की आशा है?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** मैंने अभी बताया कि इस अभियान को चार वर्ष लगेंगे। १९६२ में काम आरम्भ होगा और १९६६ में खत्म होगा। परन्तु प्रतिवेदन ज्यूं ज्यूं आते जायेंगे हम उन पर विचार करते रहेंगे। परन्तु जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक अन्तिम उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या सरकार का विचार हिन्द महासागर अभियान से संबंधित अनुसंधान कार्यालय स्थापित करने का है?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** यह अनुसन्धान कार्यालय नहीं है परन्तु इस अभियान के फलस्वरूप कुछ अनुसंधान संस्थाओं का विकास होगा। उदाहरणतः हमने कोचीन में एक एकक स्थापित करने का निर्णय कर लिया है जिसमें सामुदायिक जीवों तथा वनस्पति का अध्ययन होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस एक्सपेडिशन के द्वारा या दूसरे ढंग से यह पता लगाया है कि समुद्र की लहरों से बिजली पैदा की जा सकती है या नहीं? यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में क्या रिसर्च यहां चल रही है?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** यह एक सामान्य प्रश्न है जो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** इस देश में गन्धक की बहुत कमी होने के कारण क्या सरकार का विचार समुद्र के हाइड्रोजन सल्फाइड से गन्धक निकालने की संभावना का अध्ययन करने का है?

†**अध्यक्ष महोदय :** महासागर से।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** जी हां।

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** मैंने जसा अभी बताया कि पहली रिपोर्ट से मालूम होता है कि कुछ क्षेत्रों में हाइड्रोजन सल्फाइड बड़ी मात्रा में जमा है। परन्तु वहां पर बड़ी गहराई है और इसको वहां से निकालने के बारे में तभी उत्तर दिया जा सकता है जब हमें यह मालूम हो जाये वहां पर भांडार क्या है तथा उसको वहां से आसानी से केसे निकाला जा सकता है। योजना के आर्थिक पहलू आदि की भी गणना करनी है।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार मछली व्यापार पर इसके बुरे प्रभाव को रोकने के लिए भी कोई कार्यवाही कर रही है?

†**श्री हुमायूंन कबिर :** अभियान इस प्रश्न की भी जांच करेगा। क्या इस हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण मछली बहुत मर रहीं हैं इस मामले की जांच भी करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभातकार :** माननीय सदस्य ने कहा है कि मछलियों के मरने का कारण जानने में चार वर्ष लगेंगे। परन्तु कलकत्ते में मछली के संभरण में कमी होने के कारण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक मात्रा में मछलियों के मरने के कारण सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे ऐसा न हो ?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र सरकार से वास्तविक कारण जानने से पहले कोई कार्यवाही करने को नहीं कहेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पहले रूसियों को सामुद्रिक तलहटी में एक बहुत बड़ा दैत्य मिला था यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी साधनों से यह जानने का प्रयत्न किया है कि क्या मछलियों की मृत्यु इस दैत्य की बहुभक्षी आदत के कारण हुई है ?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** माननीय सदस्य ने मुझे जानकारी दी है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** पहले पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का विचार समुद्र के हाइड्रोजन सल्फाइड से गन्धक निकालने की संभावना की जांच करने का है ?

†**श्री हुमायंन् कबिर :** इसकी सूचना हमें हाल में ही मिली है और हम इसकी जांच करेंगे कि क्या किया जा सकता है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि मैंने माननीय मंत्री का उत्तर ठीक सुना है कि उन्होंने प्रश्न के भाग (क) और (ख). का उत्तर 'जी, हां' दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस कारणवश बेचारी मछलियां बंगाल की खाड़ी में नहीं मरीं तथा अरब सागर में ही मरीं ? क्या बंगाल की खाड़ी में हाइड्रोजन सल्फाइड का कोई विरोधी तत्व है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जांच से स्थिति का पता लगेगा।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने भाग (क) के उत्तर में 'जी हां' कहा है परन्तु भाग (ख) के उत्तर में नहीं। मैं बड़ा प्रसन्न होता यदि माननीय सदस्य ने मेरी बात ठीक तरह से सुनी होती।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** गत कुछ वर्षों से हिल्सा मछली की बहुत कमी है जो कुछ वर्ष पहले हुगली नदी में बहुत उपलब्ध थी। यह कमी समुद्र में हाइड्रोजन सल्फाइड इकट्ठा हो जाने के कारण हुई है अथवा अन्य कारणों से हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हिन्द महासागर अभियान से अब हम हुगली नदी के बारे में पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न ?

पाकिस्तानी और चीनी लोगों के लिये छात्रवृत्तियां

†*७५३. **श्री गो० महन्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में अध्ययन के लिये पाकिस्तानी और चीनी राष्ट्रजनों को छात्रवृत्तियां देती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) छात्रवृत्तियां किन विषयों के अध्ययन के लिये दी जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

पाकिस्तानी राष्ट्रजन	हां, श्रीमान ।
चीनी राष्ट्रजन	नहीं, श्रीमान ।
(ख) पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१९६२–६३ के लिए २, परन्तु अभी तक कोई नाम निर्देशन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उन सब विषयों के लिए जिनके लिए भारत में सुविधायें मौजूद हैं ।

†**श्री गो० महन्ती** : क्या इस बारे में सरकार की नीति पर चीनी आक्रमण का कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार अपने विश्वविद्यालयों के दरवाज़े खुले रखेगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान में और चाइना में भारत के कितने नागरिक स्कालरशिप ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने कह दिया ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या पाकिस्तान सरकार ने यह छात्रवृत्ति योजना स्वीकार कर ली है और वह इससे सहमत हो गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह योजना मित्र राष्ट्र मण्डल छात्रवृत्ति प्रोग्राम के अन्तर्गत है । माननीय सदस्य को विदित है कि आक्सफोर्ड कान्फ्रेंस में मित्र राष्ट्र मण्डल के सभी देशों ने छात्रों की अदला बदली करने का प्रस्ताव किया था और भारत ने भी ऐसा ही प्रस्ताव किया था । इसी योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान को एक छात्रवृत्ति दी गई है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : हमने प्रस्ताव किया है । यह ठीक है । परन्तु क्या पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पाकिस्तान का एक छात्र आजकल अध्ययन कर रहा है । उन छात्रवृत्तियों के लिए हमें नाम प्राप्त नहीं हुए हैं जो वर्ष १९६२–६३ के लिए दी गई हैं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या यह पारस्परिक व्यवस्था है, और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान भारतीयों को कोई छात्रवृत्ति देता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वे भी मित्र राष्ट्र मण्डल के सदस्य हैं और उन्होंने भी छात्रवृत्तियां दी हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये पाकिस्तानी छात्र किन विशिष्ट विषयों के अध्ययन के लिये आते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पाकिस्तान का विद्यार्थी भूमि विज्ञान में पी० एच० डी० के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में अध्ययन कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रज़ी में

मध्य प्रदेश में कोयला खनन अधिकार

†*७१५४. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उसे राज्य में अपनी कोयला खानों से कोयला निकालने का अधिकार दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रार्थना कहां तक स्वीकार की गई है;

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इस प्रकार की प्रार्थना किसी अन्य राज्य द्वारा भी की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन राज्यों द्वारा और उनके संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) :** (क) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य में कोयला खानों से कोयला निकालने की अनुमति के लिये मध्य प्रदेश सरकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव न था । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड ने सतपुरा तापीय विद्युत् केन्द्र की आवश्यकता पूर्ति के लिये पाथेरखेड़ा कोयला खान खोलने की प्रार्थना की थी । राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और राज्य सरकार कोरबा खान के संचालन में पहिले से ही सहयोग कर रहे हैं । और पाथेरखेड़ा कोयला क्षेत्र के लिये भी वैसा ही नमूना अपनाया जा सकता है ।

केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में कोयला क्षेत्रों के विकास के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव भेजे थे । इस संबंध में, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच एक करार हुआ है । उक्त करार की एक प्रति १० अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

†**श्री बिशन चन्द्र सेठ :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल गवर्नमेंट के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह अपने प्रांत को, पहिले कोयला दे और उसके बाद जब प्रांत का सैटिसफैक्शन हो जाये तो डिस्ट्रीब्यूशन करे ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** जो फाजिल कोयला रहेगा उसको कोल कंट्रोलर बांट देगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात का ध्यान रखकर कि पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी कोयला खानों से कोयला निकालने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है, इसका क्या कारण है कि सरकार विभिन्न राज्यों में कोयला खानों के मामले में विभिन्न सिद्धांत अपनाती है ?

†**श्री हजरनवीस :** यदि कोई राज्य सरकार प्रस्ताव करती है, तो उस पर विशेषतानुसार विचार होगा । परन्तु सभी राज्यों के लिये समान नियम, आदि अपना सरकार के लिये संभव नहीं है ।

†**श्री दाजी :** क्या यह सच नहीं है कि कोरबा क्षेत्र में कोयला निकालने की योजना, जिसका सुझाव मध्य प्रदेश सरकार या राज्य विद्युत् बोर्ड ने दिया था, स्वीकार नहीं हुई क्योंकि दर के बारे में विवाद है । यदि पश्चिम बंगाल को खान चलाने की अनुमति दी जाती है तो अन्य राज्यों को भी, जो खानें चलाना चाहते हैं, अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

†**श्री हजरनवीस :** हम नहीं जानते कि मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड ने ऐसी प्रार्थना किस कारण की । जैसाकि हम पहिले कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जो भारत सरकार की एजेंसी है, सहयोग है। हमने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि हम उस आधार पर सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री भगवत झा आजाद** : क्या बंगाल सरकार के साथ करार होना सरकार की नीति बनाने का कोई द्योतक है कि कोयला खान वाले राज्यों को कोयला बाहर भेजने से पहिले अपनी मांग पूरा करने का अधिकार है ?

†**श्री हजरनवीस** : हमने पश्चिम बंगाल के एक विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार किया था। जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं, उससे हम किसी एक सिद्धांत से नहीं बन्ध जाते। यदि राज्य सरकारें प्रस्ताव करें और उनसे कोयला धन का उत्तम प्रयोग होने की संभावना हो, तो उन पर समुचित विचार किया जायेगा।

†**श्री जसवन्त मेहता** : माननीय मंत्री ने कहा था कि विभिन्न राज्यों के बारे में कोई समान नीति नहीं है। फिर, भारत सरकार की क्या नीति है ?

†**श्री हजरनवीस** : प्रत्येक प्रश्न तथा सुझाव पर उसके विशेषताओं के अनुसार विचार करना।

सांस्कृतिक करार

†**७५५. श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष १९५६ के बाद स्वतंत्र हुये किसी और एशियाई देश के साथ सांस्कृतिक करार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और करारों का क्या स्वरूप है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : पिछले पांच वर्षों में हाल में स्वतंत्र हुये अफ्रीकी देशों के साथ हम सांस्कृतिक करार क्यों नहीं कर सके हैं ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : मुख्य कारार यह है कि ऐसे करार करने की पहिले साधारणतया अन्य देशों की ओर से हुई है, और हमारा विचार है कि व्यवहारिक में करार होने या न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

डा० गोबिन्द दास : अभी चाहे एग्रीमेंट न हुये हों, लेकिन क्या कुछ देशों से इस संबंध में लिखा-पढ़ी चल रही है और अगर नहीं चल रही है तो क्या आगे कुछ लिखा पढ़ी चलने की आशा की जा सकती है ?

श्री हुमायूं कबिर : मैंने कहा हम इस बारे में कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन इस की वजह से कल्चुरल एक्सचेंज बन्द नहीं रहता। जिस मुल्क से कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे यूनाइटेड किंगडम और य० एस० ए०, वहां से भी एक्सचेंज हो रहा है और दूसरे मुल्कों से भी हो रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अफ्रीका के किन देशों के साथ हमारी सरकार का सांस्कृतिक आदान प्रदान है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हुमायूं कबिर** : इस प्रश्न का उत्तर पिछली बार दिया गया था ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या करार वाले देशों को जाने वाले हमारे सांस्कृतिक दलों को वहां कोई विशेष लाभ प्राप्त होता है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता, परन्तु दूसरी ओर सांस्कृतिक करार करने से प्राय: वे आशायें उत्पन्न हो जाती हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या सरकार को विदित है कि हमने अभी तक अफ्रीका के हाल में स्वतंत्र हुये इन देशों में से किसी से कोई सांस्कृतिक करार नहीं किया है जबकि इन्हीं पांच वर्षों में हमने अन्य नौ देशों से करार किये हैं और इससे यह भावना उत्पन्न हो गई है कि हमने इन देशों से सांस्कृतिक करार करने को कम महत्व दिया है और, यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैं बता चुका हूं कि करारों के बिना भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है और हमने उन देशों को छोड़कर, जिन्होंने स्वयं पहिल की, किसी से कोई करार नहीं किया है क्योंकि हमारी सामान्य यह है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान करारों के बिना किया जाये । अफ्रीकी देशों के बारे में चालू और आगामी वित्तीय वर्ष में सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल भेजने और उन देशों से ऐसे ही प्रतिनिधिमंडल बुलाने का विचार है । हम भारत प्रशासी प्रशिक्षण के लिये अफ्रीकी देशों का अधिकारी प्रतिनिधिमंडल भी बुला रहे हैं ।

सबलगढ़, मध्य प्रदेश में सीमट कारखाना

†*७५६. **श्री राम सेवक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सबलगढ़, मध्य प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना खोलने का लाइसेंस मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने में सीमेंट के वार्षिक उत्पादन का क्या लक्ष्य है ; और

(ग) यह लाइसेंस जिस पक्ष को मंजूर किया गया है, उसका क्या नाम है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० चं० सेठी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बहरों के लिय वश्व ओलम्पिक

†७५७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बहरे-गूंगों को प्रशिक्षित करने के संबंध में, जिससे वे बहरों के लिये विश्व ओलम्पिक में भाग ले सकें, कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्)** : नहीं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, पहिले आप प्रश्न संख्या ७५६ पर तो सवाल पूछने का अवसर दे देते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सवाल करने वाले उठे नहीं और आप देर से उठे। इसलिये मैंने दूसरा सवाल बुला लिया।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्रालय ने किसी बहरे व्यक्ति को ओलम्पिक में भाग लेने के लिये कोई अनुदान दिया है ?

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्** : नहीं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि अखिल भारतीय बहरों तथा गूंगों की फीड्रेशन को स्कैण्डीनेविया में ओलम्पिक में भाग लेने के लिये कोई अनुदान दिया है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं।

†**श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्** : नहीं।

†**श्री बड़े** : क्या इन्दौर के डेफ और डम्ब स्कूल ने कुछ लड़के तैयार किये हैं और सेंटर को लिखा है कि उनको इसमें मदद दी जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पूर्वानुमान किया जा सकता है कि इस प्रश्न के प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर 'नहीं' होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : बहरे व गूंगे दोनों ?

निर्यात संवर्द्धन

†*७५८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्होंने अपने हाल के बम्बई के दौरे के दौरान निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं के सम्बन्ध में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिये और प्रोत्साहन देने की मांग पर आग्रह किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांग क्या है तथा उसके बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

†**वित्त मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग). अनौपचारिक बात चीत हुई थी और किसी भी विशिष्ट प्रस्ताव पर ज़ोर देने या विचार करने का कोई मौका न था।

बात चीत में कुछ सदस्यों ने निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन की बात उठाई थी और वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत का उद्योग अब पूर्ण अवस्था में आ गया है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। केवल निर्यात से ही विकास ऋणों का भुगतान किया जा सकता है और अन्त में राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था बनाई जा सकती है। संभव है कि कुछ वस्तुओं के निर्यात-संवर्धन के लिये कुछ समय तक प्रोत्साहनों की आवश्यकता हो, परन्तु निर्यात-प्रोत्साहन पर अत्याधिक निर्भरता नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या निर्यात-संवर्धन के लिये प्रोत्साहन के रूप में आय-कर परिहार की तीन-स्तरीय व्यवस्था है ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य जानते हैं कि मुदलियार समिति ने निर्यात संवर्धन के लिये तीन-स्तर वाली प्रणाली का सुझाव दिया है और वह विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या उस बैठक में चर्चा के समय वित्त मंत्री ने बताया था कि अन्य प्रकार के प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्ताव हैं ? वे अन्य प्रस्ताव क्या हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रोत्साहनों का स्वरूप प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर निर्भर है; और वे सदैव ही विचाराधीन रहते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार का विचार विदेशों को निर्यात करने में सहायता देने के लिये देश में उपभोग होने वाली वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों पर उपकर लगाने का है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार उपभोक्ता की सुविधा कम करके नहीं अपितु परिवहन का व्यय तथा कच्चे माल की लागत कम करके निर्यात बढ़ाने की नीति की जांच कर रही है या उनका विचार उपभोक्ता के बदले निर्यात बढ़ाने की नीति को बढ़ावा देने का है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार उपभोक्ता की मांग पूरी न करके निर्यात बढ़ाने का उस समय तक कभी विचार नहीं करती जब तक कि ऐसा करना संभव न हो जाय । सरकार को इसका निरन्तर बोध है और मामले में सुधार करने का प्रयास कर रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार को पटसन के लिये पाकिस्तान जैसी निर्यात बोनस योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ये विस्तार की बातें हैं । मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की ओर से उत्तर नहीं दे रही हूं । मैं नहीं जानती कि सरकार का ऐसा विचार है या नहीं ।

†**श्री मुरारका** : क्या निर्यात संवर्धन के लिये उप-कर लगाने का यह प्रश्न अब भी सरकार के विचाराधीन है या यह निश्चित रूप से छोड़ दिया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं पहिले ही कह चुकी हूं कि यह अभी विचाराधीन है ।

द्विभाषी शब्दकोश

*७५९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादेमी ने द्विभाषी शब्दकोष प्रकाशित करने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शब्द कोश किन भाषाओं में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये द्विभाषी शब्दकोश कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्यमंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री हुमायूं कबिर : मैंने अभी बतलाया है। उन्होंने अपने प्रश्न में पूछा था कि साहित्य अकादमी ने कोई योजना बनाई है या नहीं तो मैं ने उसका उत्तर दे दिया कि साहित्य अकादमी ने कोई योजना नहीं बनाई।

एवरो--७४८

†*७६०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित एवरो—७४८ की हाल की दक्षिण एशिया के देशों की उड़ान वाणिज्यक दृष्टिकोण से बहुत सफल सिद्ध हुई है क्योंकि कई देशों ने हमसे इन विमानों को खरीदने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने विमान खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). कानपुर में बना एवरो–७४८ इण्डोनेशिया, मलाया, बर्मा और कम्बोडिया की प्रदर्शन यात्रा से वापस आ गया है। मुख्य प्रयोजन प्रदर्शन करना, जानकारी देना और संभावी खरीदारों की रुचि पैदा करना था। विमान ने इन सब देशों में प्रर्याप्त रुचि पैदा कर दी है।

इस प्रदर्शन उड़ान के बीच विमान तथा चालकों ने ७० घन्टे उड़ान की। सारी उड़ान में विमान की मशीन पूर्णतया ठीक रही।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रख कर कि हम विदेशों में इस विमान की मांग पैदा करने के लिये यह उड़ान कर रहे हैं; क्या हम ऐसा इस लिये कर रहे हैं कि हम इन विमानों को अपनी आवश्यकता से अधिक बना सकते हैं या इसका यह कारण है कि यह विमान हमारी आवश्यकता के लिये एकदम बेकार है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : विमान-निर्माण का विकास करने, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और उत्पादन मितव्ययीय बनाने के लिय अधिक मांग प्राप्त करना अच्छा है। इन देशों से सम्बन्ध रखना भी बहुत लाभदायक है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में विमानों की कितनी मांग है ? क्या हम इस मांग को इन देशों द्वारा निर्धारित समय में पूरा कर सकते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : श्रीमान्, मुझ से केवल इस देश की मांग के बारे में ही नहीं अपितु अन्य देशों की मांग के बारे में भी पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारा ऐसा उत्पादन प्रोग्राम है कि हम अन्य देशों को निर्यात कर सकें ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : उत्पादन तो आवश्यकता पर निर्भर है और उपलब्धि उत्पादन पर ; यह सब एक दूसरे से संबद्ध है । मैं इस आशा में क्षमता नहीं बढ़ा सकते कि कोई आकर खरीदेगा और यह आशा करके क्षमता बनाने से मना नहीं कर सकते कि कोई नहीं आयगा । सरकार के लिये और निर्माताओं के लिये यह समायोजन का मामला है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या हाल में मलाया के प्रधान मंत्री ने एवरो—७४८ खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और क्या उन्होंने वस्तुतः क्रयादेश दे दिया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : किसी ने भी वस्तुतः क्रयादेश नहीं दिया है । वे सब पूछ ताछ कर रहे हैं और देखने आदि को आ रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री के विचार में इन विमानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कब तक होने लगेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : आजकल कुछ विमान "रेको" पर हैं और क्षमता बढ़ाई जा रही है । मेरा विचार है कि एक महीने में इसका संगठनात्मक प्रबन्ध पूरा हो जायेगा ताकि यह उत्पादन करने की स्थिति में हो जायगा ।

†**श्री त्रिविध कुमार चौधरी** : इस विमान के इंजन के कितने पुर्जे इस देश में बनाये जा रहे हैं या निकट भविष्य में बनाये जायेंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस विमान के इंजनों का आयात होता है । भारतीय इंजनों का निर्माण बंगलौर में होता है । यह एक अलग कारखाना है और यह वहां बनाया जा रहा है । मेरा विचार है कि तीन या चार वर्ष में उत्पादन का कार्य पूरा हो जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अपनी मांग का ध्यान रख कर क्या हम जान सकते हैं कि अन्य देशों को निर्यात करने के लिये हम पर्याप्त संख्या में विमान कब तक बना सकेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रारम्भिक अवस्था में हैं । पहिले से यह कैसे कहा जा सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : यह सच है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय प्रतिरक्षा मंत्रालय के एवरो —७४८ विमान का खरीददार है और यदि हां, तो क्या उस मंत्रालय ने परिवर्तन करने के जो सुझाव दिये थे, वे लागू कर दिये गये हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : वे कोई विवरण न दे सके । विमान का विशेष विवरण है और यदि वह उनके अनकूल हो तो वे उसे लेंगे । यह विमान परिवहन विमान है, इस लिये उसके लिये उपयोगी होगा ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : एवरो ७४८ का मूल्य क्या होगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह उड़ान केवल इसकी मशीन की परीक्षा करने के लिए थी या यह इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह आम रूप का विमान नहीं है। इसका निर्माण सामान्य निर्माण प्रक्रिया से हो रहा है। इस अर्थ में यह परीक्षण उड़ान थी कि हमने इसे इन जल-वायु में नहीं उड़ाया था और न ही इतनी दूर और निरन्तर रूप से उड़ाया था। परन्तु यह उस अर्थ में परीक्षण उड़ान न थी जो कि उस शब्द से समझा जाता है।

उद्योग के लिये इस्पात

†*७६२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष में उद्योग के वितरण के लिए कुल कितना इस्पात उपलब्ध है ;

(ख) बड़े पमाने के उद्योग को कितना भाग मिलेगा और छोटे पमाने के उद्योग को कितना भाग मिलेगा ;

(ग) क्या चालू वर्ष में इसकी छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कुछ कटौती कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में कितनी कटौती की गई है ; और

(ङ) उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में इसके दुरुपयोग के संबंध में सरकार का क्या अनुमान है और दुरपयोग को रोकने में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) वर्ष १९६२–६३ में लगभग ५० लाख टन।

(ख) अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). इस्पात की कुछ श्रेणियों पर नियन्त्रण ढीला कर दिया गया है। ऐसी श्रेणियों के लिए कटौती का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिन श्रेणियों पर अधिक कड़ा नियन्त्रण है, अर्थात् चादरें, जी०पी०/जी०सी० चादरों का कोई सामान्य आवंटन नहीं किया गया है, क्योंकि उत्पादकों के पास संभरण के लिए आदेश काफी समय से अपूर्ण पड़े हैं। इसमें बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों में कोई भेदभाव नहीं है।

(ङ) इस्पात नियन्त्रण आदेश का लागू करना मुख्यकर राज्य सरकारों का काम है। अतः विभिन्न क्षेत्रों में दुरुपयोग की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। फिर भी, जब भी दुरुपयोग के किसी मामले का पता लगता है केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करती है वह मामला चाहे छोटे पैमाने के उद्योगों का हो या बड़े पैमाने के उद्योगों का हो।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझता हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों को भाषण करते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि उन्हें दिये जाने वाले इस कच्चे सामान का बड़ा दुरुपयोग होता है। ऐसे वक्तव्य का क्या आधार है और क्या उनका विचार है कि बड़े क्षेत्र में अधिक दुरुपयोग होता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : कोई तुलनात्मक बात नहीं कही जा सकती, परन्तु हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ यथाकथित छोटे पैमाने के उद्योगों के लोगों ने यह प्राप्त किया है और उसे खुले बाजार में बेचा है। अतः मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि यह नहीं होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न—श्री दाजी

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भिलाई इस्पात कारखाना

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०** — **श्री दाजी** : / **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने में काम के अनुसार वेतन पाने वाले ६००० कर्मचारियों को नये वेतन-क्रम के अनुसार वेतन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और उत्पादन बोनस नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अस्थायी होने के कारण वे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कर्मचारी पुनरीक्षित (वेतन-क्रम) नियमों तथा बोनस योजना के लाभ के अधिकारी नहीं हैं।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारी वही वेतन-भत्ता ले रहे थे जो अन्य कर्मचारियों को मिलता था और, यदि हां, तो उन्हें बढ़ा हुआ मेंहगाई भत्ता नहीं मिल सकता जो कि अन्य कर्मचारियों को मिल रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दैनिक मजूरी दी जाती है। अतः अन्य भत्तों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि काम के अनुसार वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों की कुछ वर्ष की सेवा पूरी होने पर उन्हें नियमित कर्मचारी बना दिया जाता है और, यदि हां, तो क्या उन्हें नियमित कर्मचारी बनने पर यह बोनस, आदि दिया जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां, श्रीमान। काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारी के टेक्निकल कार्य करने योग्य बनते ही उसे नियमित कर्मचारी बना दिया जाता है और तब उसे सारे लाभों का अधिकार होता है।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय इस्पात उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड बना रहा है जो मजूरी तथा मेंहगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार करेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मजूरी बोर्ड पहिले ही बन चुका है।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों को अनेक वर्षों तक काम के अनुसार वेतन वाले कर्मचारियों के रूप में रखा जाता है और यदि हां, तो उनके नियमित कर्मचारी बनने और अन्य लाभ पाने में क्या बाधा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : कठिनाई यह है कि काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारी को नियमित कर्मचारी बनने के लिए टेक्निकल दृष्टि से योग्य बनना पड़ता है। यदि वह योग्य नहीं बनता है तो उसे स्वभावतः अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। संभव है कि कुछ लोग कभी भी योग्य न बन सकें।

†**श्री नम्बियार** : क्या योग्य व्यक्ति तुरन्त नियमित कर्मचारी बन जाते हैं या उन्हें भी किसी न किसी कारण प्रतीक्षा-सूची में पड़ा रहना पड़ता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उन्हें यथाशीघ्र लगाया जाता हैं। वास्तव में, खानों में और इस्पात कारखानों में लगभग १,५३२ काम के अनुसार मजूरी पाने वाले कर्मचारी जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६२ तक नियमित कर्मचारी बना दिये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा

†*७४५. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर सार्वजनिक निधि से कितना प्रतिशत धन व्यय किया जाता है ; और

(ख) स्वाधीनता से पहले इस प्रयोजन के लिये किये गये व्यय की प्रतिशतता की तुलना में यह व्यय किस प्रकार बैठता है ?

†**शिक्षा मंत्री डा०का० ला० श्रीमाली** : (क) १९५९–६० में लगभग ३९.३

(ख) स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात तेल शोधक कारखाने में राज्य का अंश

†*७६१. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कि :

(क) गुजरात में तेल शोधक कारखाने की स्थापना में गुजरात राज्य को कितना अंश आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य ने गुजरात तेल शोधक कारखाने में उससे अधिक अंश मांगा है जितना उसे केन्द्रीय सरकार ने दिया है ; और

(ग) आसाम और बिहार राज्यों में स्थापित होने वाले तेल शोधक कारखानों में इन राज्यों के अंशों की तुलना में गुजरात शोधन कारखाने में गुजरात राज्य को दिया गया अंश कितना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल शोधन परियोजना में समाश पूंजी विनियोग का १५%

(ख) जी हां।

(ग) यह बिहार और आसाम राज्यों को दिये गये अंशों के समान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार को कोयले का कोटा

†*७६३. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को आवंटित कोयले के कोटे में काफी कटौती की गई है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कटौती से राज्य के उद्योगों में संकट आ गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). पहले कोयले के अभ्यंश उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता से बहुत अधिक थे ।

यह अनुभव किया गया था कि यथार्थ आवंटन करना उपभोक्ताओं के लिये लायभदायक होगा, जिसकी वास्तव में उठाये जाने की अपेक्षा हो ताकि उपभोक्ता अपने एकांशों के कार्य संचालन की समुचित आयोजना कर सकें । बिहार समेत सभी राज्यों के १९६२ के अभ्यंशों में तदनुसार शोधन किया गया ताकि वह उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता के बिलकुल बराबर हो । बिहार में राज्य नियंत्रित अग्रताओं के लिये कोयले का शोधित अभ्यंश, जो जुलाई, १९६२ से लागू हुआ, ३३६० वैगन प्रति मास नियत किया गया है, जो १९६१ में २९५५ वैगन प्रति मास के औसत प्रेषण से अधिक है । इसलिये आशा की जाती है कि बिहार के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को, कुल मिलाकर, कम से कम उतना संभरण किया जाना चाहिये जितना १९६१ में किया गया था ।

वेतन बचत योजना[1]

†*७६४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन बचत योजना सभी सरकारी विभागों में लागू कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब लागू किया गया था ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** (क) और (ख). वेतन वृत्त बचत योजना को सरकारी दफ्तरों पर लागू करने की प्रक्रियात्मक हिदायतें ३० मई, १९६२ को जारी की गई थीं । योजना वैकल्पिक है और विविध सरकारी दफ्तरों में इस का लागू होना इस मांग पर निर्भर करेगा कि इस अतिरिक्त सुविधा के लिये कितनी मांग है ।

छिद्रण यंत्रों (ड्रिलिंग्स रिग्स) तथा अन्य उपकरणों की कमी

†*७६६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छिद्रण यंत्रों (ड्रिलिंग रिग्स) तथा अन्य उपकरणों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[1]Pay Roll Savings Scheme

(ग) क्या भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर की वर्कशाप में इन यंत्रों के निर्माण के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसनें कितनी सफलता मिली है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) मात्रा बताना कठिन है । खनिज खोज का विस्तृत क्षेत्र है और यदि अधिक सामान तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाया जा सके तो परिणाम तेज हो सकते है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय खान ब्यूरो ने प्रयोग के तौर पर भारतीय स्थितियों के अनुरूप ३०० फुट क्षमता का ड्रिलिंग रिग्स का निर्माण सफलतापूर्वक किया है । ब्यूरो ने एक ५०० फुट क्षमता का ड्रिलिंग रिग्स भी डिजाइन किया है जो शीघ्र ही इसका निर्माण आरम्भ करेगा प्रयोगात्मक आधार पर ।

पंजाब में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†२१४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९६२–६३ में पंजाब में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार करने के मामले में सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी गई या देने का विचार किया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये मकान

†२१४५. **श्री उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लोगों के लिय सस्ते मकान बनाने के लिये उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी, १९६१ तक कितने मकान बनाये गये है ;

(ग) १ जनवरी, १९६२ तक कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) उन मकानों का किराया क्या है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हरिजनों को मकान

†२१४६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में मकान बनाने के लिये जम्मू व काश्मीर में; हरिजनों को कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) क्या यह राशि दी जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क). १९६१–६२ में जम्मू व काश्मीर को अनुसूचित जातियों के लिये मकान बनाने के लिये ०.५१ लाख रुपये की राशि नियत की गई थी ; और

(ख) राज्य सरकार ने १९६१–६२ में योजना पर किसी व्यय की सूचना नहीं दी अतः उनको अब तक कोई राशि नहीं दी गई ।

इम्पीरियल गजेटियर

†२१४७. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत के इम्पीरियल गजेटियर १९०९ संस्करण में अत्यधिक अपेक्षित संशोधन करने के लिये कोई कार्रवाई की है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ; और

(ग) यह कब प्रकाशित किया जाएगा, और कब बिक्री के लिये दिया जायगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) खण्ड १ छप रहा है । खण्ड २ में संशोधन किया जा रहा है । खण्ड ३ और ४ की योजनाएं विचाराधीन हैं ।

(ग) खण्ड १ की १९६२ के अन्त तक या १९६३ के प्रारम्भ में प्रकाशित किये जाने की संभावना है । भारतीय गजेटियर के चारों खंड तीसरी योजना के अन्त तक प्रकाशित हो जायेंगे ।

एम० ए०, बी० टी० अध्यापकों की पदोन्नति

†२१४८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि एम० ए० (हिन्दी) बी० टी० अध्यापकों को, दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक अध्यापकों के संघर्ष से स्नातकोत्तर पद क्रम नें पदोन्नत करने और वेतनक्रम सम्बन्धी वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा ;

(ख) क्या वेतन आयोग ने हिन्दी के उन अध्यापकों के लिये, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, कम वेतन क्रम उचित ठहराया है ;

(ग) क्या यह भी सही है कि दिल्ली के प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों प्रकार के अध्यापकों को वही वेतन क्रम दिया जाता है और ५०:५० आधार पर पदोन्नति दी जाती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस भेद को मिटाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है और प्रशिक्षत तथा अप्रशिक्षित दोनों श्रेणियों के अध्यापकों के वर्तमान वेतनमान क्या हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) आयोग ने ऐसी सिफारिशें नहीं की।

(ख) आयोग ने भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये कम वेतन मान की सिफारिश की है, जो प्रशिशित स्नातक नहीं है।

(ग) हिन्दी समेत भाषा पढ़ान के लिये भरती किये जाने वाले अध्यापकों के लिये निर्धारित निम्नतम योग्यताओं में, निर्धारित वर्षों तक पढ़ाने का अनुभव या संबद्ध विषय की प्रात्त्य उपाधि या अध्यापक प्रशिक्षण उपाधि वैकल्पिक योग्यताओं के रूप में रखी गई हैं। उन सब अध्यापकों को वही वेतनमान दिये जाते हैं यदि वे उन वेतनमानों के लिये उपलब्ध पदों पर भरती किये जाते है। स्नातकोत्तर भाषा अध्यापकों की पदालियों के ५० प्रतिशत रिक्त स्थान प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा भाषा अध्यापकों की पदालियों से समान अनुपात में पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। शेष ५० प्रतिशत पद सीधी भरती के द्वारा भरे जाते हैं।

(घ) इसमें कोई भेद नहीं है और इसको हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

आन्ध्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२१४९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर जल संभरण साधनों का पता लगाने के लिये राज्य में भूतत्वीय सर्वेक्षण करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन जिलों का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) सर्वेक्षण कब आरंभ किया गया था और शेष जिलों में इसकी कब तक पूर्ण होने की आशा की जाती है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कहने पर, आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च, १९६२ में चौथी योजना अवधि में १४ जिलों में जल संभरण योजनाओं के लिये ३० अनुसंधान कार्य भेजे हैं। इन प्रस्तावों की जांच भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में की जा रही है।

(ग) जो अनुसंधान कार्य चौथी योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये अनुमोदित हैं, १९६६ में आरंभ किये जायेंगे और १९७१ तक पूर्ण हो जायेंगे।

पंजाब में विज्ञान मन्दिर

†२१५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में पंजाब राज्य में कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री म० मो० दास) : (क) तीसरी योजना में पंजाब राज्य में विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का क्रमबद्ध कार्यक्रम अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†२१५१. श्री वी० चं० शर्मा : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी में सामान्य तथा अनन्तर्बाधित उत्पादन करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट की जांच करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जैसाकि १ मई, १९६२ को सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर में बताया गया था, उर्वरक निगम के निदेशक मंडल द्वारा समिति नियुक्त की गई थी और उस की सिफारिशों की जांच बोर्ड द्वारा की गई है ।

(ख) बोर्ड के निर्णय के अनुसार, सक्षम प्रविधिक अधिकारियों का एक एकांश पूर्णकालिक आधार पर स्थापित किया गया है ताकि वह समिति की उन सिफारिशों को कार्यान्वित कर सके, जिनको बोर्ड ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है । अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है और इस कार्य के लिये अपेक्षित धन मंजूर किया गया है ।

पूर्व रामनाथपुरम, मद्रास में सीमेंट फैक्टरी

†२१५१. श्री अरुणा चलम : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के पास मद्रास के पूर्व रामनाथपुरम क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने क लाइसेंस के लिये एक अर्जी आई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित फैक्टरी की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) फैक्टरी कब उत्पादन आरंभ करेगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) ५०० टन प्रतिदिन ।

(ग) अर्जी विचाराधीन है ।

समुद्री बीमा निधि

†२१५३. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निधि आयोग की सिफारिश के अनुसार समुद्री बीमा निधि के लिये एक संविधि अधिनियमित करने में कितनी प्रगति अब तक की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस विधि के कब तक अधिनियमित किये जाने की संभावना है ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव कि समुद्री बीमा सम्बन्धी विधि का संहिता काम करने वाला विधेयक ३० सदस्यों पर आधारित, दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिस पर १० सदस्य राज्य सभा के और २० सदस्य लोक सभा के हों, १७-८-६२ को राज्य सभा में स्वीकार किया गया था। प्रश्नकर्त्ता श्री दीवान चंद शर्मा के प्रस्ताव पर ३१ अगस्त, १९६२ को लोक सभा ने संयुक्त समिति में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था।

कांगों में भारतीय सैनिक अफसर का लापता हो जाना

†२१५४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री १ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवाओं के साथ काम करने वाले गुम हो गये भारतीय सैनिक अफसर का अता पता तब से लगा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या अग्रेतर कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) कटंगा में संयुक्त राष्ट्र सेना ने २९ नवम्बर, १९६१ को कटंगा के अधिकारियों से जोरदार विरोध किया है, जिन्होंने उस अफसर को ढूंढने की प्रतिज्ञा की थी। मेजर अजीत सिंह की अवस्था के बारे में भारत सरकार को जो बड़ी चिन्ता थी वह कांगो सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय सलाहकार समिति में हमारे प्रतिनिधि द्वारा ९ जनवरी, १९६२ को व्यक्त की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाहक महासचिव को ६ मार्च, १९६२ को लिखा जिसमें इस दुखद घटना का विरोध किया गया था और इसके बारे में हमारी भारी चिन्ता व्यक्त की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा गया है कि वह उस अफसर का पता लगाने में कोई कसर न रखे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों द्वारा मेजर अजीत सिंह का पता लगाने के लिये किये गये सभी प्रयत्न अभी तक असफल रहे हैं।

उड़ीसा में भूमिहीन आदिमजातीय लोग

†२१५६. श्री उलाका : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भूमिहीन आदिम जाति लोग कितने हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन लोगों को भूमि दिलाने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बातार) : (क) सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं। उड़ीसा सरकार से पूछा गया है और यदि वे सूचना दे सके तो वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में आदिम जाति लोगों के लिये सिंचाई की छोटी योजनाएं

†२१५७. **श्री उलाका :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में आदिम जाति लोगों के लिये सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है ;

(ख) वह राशि कितने वर्षों में खर्च की जाएगी; और

(ग) तीसरी योजना के पहले वर्ष में कितनी राशि खर्च करने का विचार है और इसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) तीसरी योजना में पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण की योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार ने आदिम जाति के लोगों के लिये सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये कोई नियतन नहीं किया ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

उड़ीसा के लिये नालीदार लोहे की चादरें

†२१५८. **श्री उलाका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में उड़ीसा को कितनी नालीदार लोहे की चादरें दी गईं ;

(ख) उड़ीसा की मांग कितनी थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को अभ्यंश बढ़ाने के लिये राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो १९६२–६३ में कितना संभरण किया जाएगा ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) ३ नियंत्रित स्टाकधारियों को दिये गये माल समेत सब अभ्यंशों के मुकाबले ३३९४ एम/टन गालवेनाइज्ड नालीदार चादरें ।

(ख) १७१७२ एम/टन ।

(ग) अभ्यंश बढ़ाने के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गई, क्योंकि सब राज्यों को इन चादरों की कठिन संभरण स्थिति का सामान्यतया ज्ञान है । तथापि आग लगने के कारण उजड़े हुये लोगों को बसाने के लिये जी० सी० चादरों के तदर्थ आवंटन की प्रार्थना अप्रैल, १९६२ में आई थी, और जहां तक संभव था यह पूरी की गई थी ।

(घ) अप्रैल-जून, १९६२ में १३६६ टन जी० सी० चादरें दी गई थीं । ७ वैगन भर का मासिक अभ्यंश जुलाई, १९६२ से लेकर राज्य को देने के लिये नियत किया गया है ।

उड़ीसा के लिये लोहा और इस्पात

†२१५९. **श्री उलाका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ १९६० तक वर्षवार सिंचाई योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार ने लोहे और इस्पात की कितनी मांग की; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि में वर्षवार कितना संभरण किया ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). मांगें आती हैं और आवंटन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है । विपुल अभ्यंश राज्य सरकारों को उन की विकास योजनाओं के लिये किया जाता है, जिन में सिंचाई की छोटी योजनाएं सम्मिलित हैं। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये विपुल आवंटन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को किया जाता जाता है जो उसे परियोजनाओं के लिये बांटता है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की इस्पात की मांग तथा आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	मांग	मीट्रिक टनों में आवंटन
१९५७–५८	१५७०६	२४१५
१९५८–५९	२१११०	१५९३४.५०
१९५९–६०	२३९८५.७५	२१८६१.७५
१९६०–६१	२२६७०	२३७२९*

*इस में पिछली अवधि की पूरी न की गई मांग के मुकाबले ११४४ टन का विशेष आवंटन शामिल है ।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये मांग और आवंटन का ब्यौरा उपलब्ध नहीं । किसी विशिष्ट राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को इस्पात के यथार्थ संभरण के आंकडे भी उपलब्ध नहीं हैं।

कोयले के दाम

†२१६०. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खनन संधान के इस आशय के अभ्यावेदन की जांच कर ली है कि सरकार के हाल के निर्णय से ग्रेड २ के कोकिंग कोयले के दाम को बढ़ाने की बजाए बहुत घटा दिया है, जिससे उत्पादकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

(ग) क्या सरकार संधान के इस तर्क को स्वीकार करती है कि कोयले के दामों में अग्रेतर संशोधन करते समय ग्रेड २ के कोयले को, उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देकर, उसी मात्रा तक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). जून १३, १९६२ को मूल्य अधिसूचना से पहले, कोयले जो किसी समय ग्रेड २ कोकिंग कोल थे, ग्रेड एच एच, जे०, के० और एल में श्रेणीकृत कर दिये गये । उन की कीमत क्रमशः ये थीं :—

	रूपय नये पैसे	
एच एच.	२०·५६	स्टीम कोल
जे	२०·०६	,,
के	१९·८१	,,
एल	१९·३१	,,

१३ जून, १९६२ की अधिसूचना में इन सब ग्रेडों को एक ग्रेड एच एच में मिला दिया गया और मूल्य भी ग्रेड एच० एच० के बराबर कर दिया गया, अर्थात् २०·५६ रुपये प्रति टन । अतः ग्रेड २ के कोकिंग कोयले के मूल्य में कमी ही नहीं हुई, अपितु दूसरी ओर ग्रेड जे, के और एल के मूल्य भी बढ़ा दिये गये । केवलमात्र अन्तर इतना था कि जबकि पहले वाले मूल्य निर्धारित थे, २०·५६ रुपये का आधुनिकतम मूल्य अधिकतम मूल्य है। ऊपरि सीमा के मूल्य की प्रणाली के अधीन, किसी कोयला खान से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह सीमा से कम भाव पर बेचे जब तक कि उस की आर्थिक अवस्था वैसा करने योग्य न हो।

(ग) और (घ). अब ग्रेड २ के कोयले के दामों में कोई अग्रेतर संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार विभिन्न श्रेणियों के कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये उपायों का विचार कर रही है ।

सड़कों द्वारा कोयला का भेजा जाना

†२१६१. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के संवहन के लिये सड़क परिवहन का उपयोग करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ख) क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई परिवहन संबंधी समिति की इस आशय की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की गई है, कि छोटी दूरी के स्थानों तक रेल द्वारा माल भेजना पूर्णतया बन्द कर दिया जाए, इस्पात संयंत्रों और रेलवे को माल भेजने को छोड़कर ?

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) निम्न कार्रवाई की गई है :—

(१) ग्रेड २ और घटिया कोयले तथा सौफ्ट कोक को भेजने के लिये सड़क अनुज्ञप्ति देने में नर्मी कर दी गई है । ऊंची किस्मों के कोयले के मामले में भी सड़क अनुज्ञप्तियां पोषक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अभ्यंश तक बड़ी आसानी से दी जाती हैं।

(२) सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में सहायक तथा मिलाने वाले सड़कों का विकास करने एवं इन दोनों राज्यों में कुछ राजमार्गों को सुधारने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) रामगढ़ क्षेत्र में कोयला खानों से मोक्कामाघाट तक ट्रेकों द्वारा कोयला ले जाने और वहां से गंगा नदी पर अलाहाबाद तक नावों द्वारा कोयला भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(४) कोयला क्षेत्रों से थोड़ी दूरी वाले उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वह अपना अभ्यंश सड़क द्वारा उठायें और उन में से कुछ लोगों ने ऐसा करना आरम्भ भी कर दिया है।

अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद

२१६२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह
श्री राम रतन गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने वाले आयोग के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) : आयोग के कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) ने (१) इंडियन पीनल कोड, (२) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर और (३) इंडियन एवीडेन्स एक्ट के हिन्दी मसौदे तैयार किये हैं। सिविल प्रोसीजर कोड का हिन्दी मसौदा आजकल तैयार किया जा रहा है। इन मसौदों में से इंडियन पीनल कोड के हिन्दी मसौदे की धारा १७१ (१) तक पूरे आयोग ने अपनी पहली बैठक में विचार कर लिया है।

चेतन विज्ञान का अनुसन्धान

२१६३. श्री रमेश चन्द्र : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जड़ विज्ञान के समान चेतन विज्ञान के अनुसंधान की भी कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). अगर चेतन विज्ञान से माननीय सदस्य का मतलब बायोलाजी या दूसरे जीव विज्ञानों से है तो उत्तर "हां" में है।

नागालैण्ड में उपद्रव भत्ता

†२१६४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नागालैंड में सरकारी कर्मचारियों को उपद्रव भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर के उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उपद्रव भत्ता क्यों नहीं दिया जाता;

(ग) क्या सरकार उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को उपद्रव भत्ता देने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब से, यदि नहीं तो इस के क्या कारण है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) हां, श्रीमान।

(ख), (ग) तथा (घ). इस विषय की जांच की जा रही है।

इंजीनियरिंग कर्मचारियों का नियोजन

†२१६५. श्री मुहम्मद इलियास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरों के प्रतिनिधि निकाय ने सरकार से मांग की है कि प्रविधिक परियोजनाओं के प्रशासन में इंजीनियरों को नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस के लिए क्या कारण बताये गये हैं?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). इंजीनियर संस्था (भारत) की ४१वीं सभा ने अन्य बातों के अलावा यह सुझाव दिया है कि इंजीनियरिंग परियोजनाओं और उपक्रमों के निर्देशन और प्रबंध में इंजीनियरों को लगाया जाये। इसका कारण यह बताया गया कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय का महत्व अधिक हो जाने के कारण वैज्ञानिक और प्रविधिक प्रशासन की समस्या का नये ढंग से हल करने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार

†२१६६. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंत्रियों पर भी लागू होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिनियम के प्रारम्भ के बाद राज्यों के मंत्रियों पर कितने अभियोग चलाये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय भ्रष्टाचार विरोधी और विदेश कर्मचारिवृन्द व्यवस्था ने अब तक मंत्रियों के विरुद्ध जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) भाग ख और ग राज्यों के छः मंत्रियों के विरुद्ध दण्ड संहिता के अधीन १९४९-५० में अभियोग चलाया गया था। जहां तक केन्द्रीय सरकार को विदित है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत किसी मंत्री पर अभियोग नहीं चलाया गया।

(ग) हां, श्रीमान।

(घ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है छः मंत्रियों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है। उन में से एक अपराधी ठहराया गया और एक कोपद से हटाया गया। अन्य चार के विरुद्ध मामले न्यायालय की अनुमति से और विधिवक्ता की इस सलाह पर कि अभियोग चलाना उचित नहीं वापस ले लिये गये। भाग ख के एक मंत्रि के विरुद्ध दण्ड संहिता के अधीन मुकदमे की जांच १९४९ में की गई थी किन्तु कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों के लिये रोजगार

†२१६७. **श्री राम सेवक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में जब कि बेरोजगारी की समस्या इतनी गहन है तो विश्व-विद्यालय के छात्रों को अवकाश के दिनों में रोजगार दिलाने का सिद्धांत क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को नेशनल एटलस के अंग्रेजी संस्करण की तैयारी के सम्बन्ध में आरम्भिक काम करने के लिए नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन में लगाया गया था ताकि उस संगठन के स्थायी कर्मचारी अन्य महत्वपूर्ण काम की ओर ध्यान दे सकें।

राकेट विज्ञान का विकास

†२१६८. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में राकेट विज्ञान का विकास करने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) प्रतिरक्षा संगठन ने इस संबंध में कतिपय प्रारम्भिक काम किये हैं।

(ख) कोई ब्यौरा बताना लोक हित में उचित नहीं।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†२१६९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ५ अगस्त, १९६२ को अमृतसर से ४२ मील दूर राजाके गांव के निकट भारतीय सीमा पुलिस और पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों के बीच ३० मिनट तक गोलाबारी हुई थी ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** ५ अगस्त, १९६२ को तो कोई घटना नहीं हुई, किन्तु २ अगस्त, १९६२ की रात को १० मिनट तक पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों और ताक में बैठी भारतीय पुलिस टोली के बीच राजाके के पास गोलाबारी हुई थी जिससे एक तस्कर व्यापारी मारा गया था।

राजस्थान में पिछड़ी जातियों के लिये बस्तियां

२१७०. **श्री बैरवा कोटा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछड़ी जाति के लिये आवास योजना के लिये जो रुपया १९६०–६१ में दिया था उसमें से राजस्थान में पिछड़ी जातियों के लिये कहां-कहां कालोनी बनाई गई है ; और

(ख) उन पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय असैनिक आचरण नियम

†२१७१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार केन्द्रीय असैनिक नियम, १९५५ में संशोधन किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह निश्चय किया गया था कि असैनिक आचरण नियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

भर्ती के तरीके

†२१७२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामले हुए हैं जिनमें संघ लोक सेवा द्वारा सब परीक्षाओं और मौखिक परीक्षाओं की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद सरकारी विभागों ने भर्ती रद करदी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में सरकारी विभागों ने संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई नियुक्तिओं को विलम्ब से बुलाया है ;

(घ) यदि हां, तो १९६०–६१ में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या थी ; और

(ङ) क्या संघ लोक-सेवा आयोग ने ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में निर्दिष्ट भर्ती नियम तैयार कर लिए हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ऐसे मामले सदा कम से कम करने के लिए अधिक उत्सुक रहती है और सब सम्बन्धित विभागों को उपयुक्त हिदायतें देने का विचार किया जा रहा है।

(ग) हां श्रीमान।

(घ) ९३।

(ङ) भर्ती के १४३ प्रारूप नियमों में से जो १ अप्रैल, १९६१ को संघ लोक सेवा आयोग के पास विचाराधीन थे १२४० के बारे में आयोग ने सम्बन्धित मंत्रालयों को सलाह दी है।

†मूल अंग्रेजी में

सिंघभूम में आदिम जातियां

†२१७३. **श्री ह० च० सोय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंघभूम और बिहार के अन्य आदिम जातियों के क्षेत्रों में कुछ पहाड़ी रास्तों का निर्माण अधूरा पड़ा है और अभी भी आदिम जाति क्षेत्रों में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पहुंचा नहीं जा सकता और जहां शीघ्र मार्ग बनाने की आवश्यकता है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). भारत सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु उड़ीसा की तृतीय पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए ५.०० लाख रुपये का उपबंध पहाड़ी रास्ते, पुल, गांवों की सड़कें बनाने के लिए नियत किया गया है। आदिम जाति विकास खण्ड कार्यक्रमों में संचार के संबंध में और योजनाएं रखी गई हैं और उसके लिए किया गया उपबन्ध आदिम जाति विकास खण्ड के लिए प्रयोग किया जायेगा। यह खण्ड आदिम जाति के क्षेत्रों में खोला जायेगा।

मेसर्ज भारत कोलियरीज लिमिटिड

†२१७४. **श्री प० कुन्हन** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेसर्ज भारत कोलियरीज लिमिटिड की एकरा खास कोयला खान के बन्द होने के कारणों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) क्या इन खानों को दुबारा खोलने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). कोयला खान के उत्तर की ओर पुरानी आग लगी हुई थी। कोयला बोर्ड ने कई सुरक्षात्मक उपाय किये परन्तु इसके प्रयत्नों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और यह धीरे धीरे फैलती रही। हाल ही में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया और इससे पास की कोयला खानों को खतरा पैदा हो गया। अतः आग बुझाने के लिये कोयला खान में पानी भरने का फैसला किया गया और पानी भरने का काम ९ जुलाई, १९६२ को आरम्भ हुआ। इस प्रकार कोयला खान बन्द हो गयी है।

(ग) जब आग पूरी तरह बुझ जायेगी, तो खान को पुनः खोलने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

फौजी बलडोजर का अलकनन्दा में गिरना

२१७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में एक फौजी बुलडोजर पीपलकोटी से कुछ आगे सड़क से गिर कर अलकनन्दा नदी में डूब गया था;

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों और, जन और धन की हानि पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) हताहत व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों को कैसी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं। तदपि एक बुलडोजर जो सीमा सड़क संगठन का था, एक ऐसी घटना का शिकार हो गया था।

(ख) मामला जांच अधीन है। जान अथवा माल का कोई ह्रास नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के अधिकारी

*२१७६. श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में श्रेणी १ और २ के कितने अधिकारी हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश से श्रेणी १ और २ के कितने अधिकारी प्रत्यायोजित हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) ६२१।

(ख) ५।

सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड

२१७७. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जो जिला सैनिक, नाविक व वैमानिक बोर्ड हैं, उन के कर्मचारियों को पिछले छः महीनों से वेतन नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ;

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) उन जिला बोर्डों के कर्मचारियों को कब तक पिछले वेतन की अदायगी कर दी जायेगी ?

†प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ; यह सच है कि इन कर्मचारियों को फरवरी से जुलाई १९६२ तक, ६ मास के वेतन नहीं मिले हैं।

(ख) प्रत्येक राज्य के जिला सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड, संबंधित राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों से चलाये जाते हैं, जो संबंधित राज्य बोर्ड द्वारा प्राप्त और वितरित किये जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा

†मूल अंग्रेजी में

हर वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के बोर्ड को उसी वित्तीय वर्ष में, दो किस्तों में दे दिया जाता है, जबकि केन्द्रीय सरकार के हिस्से का ७५ प्रतिशत उत्तर प्रदेश बोर्ड को तदर्थ आधार पर उसी वित्तीय वर्ष में दे दिया जाता है, और शेष ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड के पिछले वर्ष के जांचे हुए लेखे की प्राप्ति पर अगले वित्तीय वर्ष के अक्तूबर मास में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड से यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्डों के कर्मचारियों को फरवरी, १९६२ के वेतन, १९६१-६२ वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय सरकार के शेष भाग के न मिलने पर रोक लिये गये थे, और केन्द्रीय सरकार के १९६२-६३ वित्तीय वर्ष के भाग के विलम्ब से मिलने के कारण, जबकि संसद् में अनुदानों की मांगों को वोट किया गया था, तथा इसी कारणवश उत्तर प्रदेश सरकार का भाग विमुक्त होने में विलम्ब के कारण, उन कर्मचारियों के मार्च से जुलाई, १९६२ तक के वेतन भी रोक लिये गये थे।

(ग) उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है, कि वह ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्डों को स्थायी सरकारी संस्थाएं बना दें, और उन बोर्डों को चलाने के लिए आने वाला सारा खर्च, केन्द्रीय सरकार के भाग की प्रतीक्षा किये बिना प्रारंभिक तौर पर अपने राजस्व से चलाएं। वित्तीय वर्ष के बोर्डों द्वारा उन पर हर वर्ष, वास्तविक हुए खर्च के जांचे हुए लेखे की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार का भाग बाद में विमुक्त कर दिया जायेगा। आशा है, यदि इस नई प्रक्रिया को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया, तो बोर्डों के कर्मचारी बिना किसी झंझट के नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य के सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड से प्राप्त हुए प्रतिवेदन के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों को, अब तक, उनके मार्च, अप्रैल तथा मई, १९६२ महीनों के वेतन दे दिये गये हैं, और जून तथा जुलाई, १९६२ के महीनों, के वेतन, अगस्त, १९६२ के अंत तक उन्हें मिल जाने चाहिएं। जहां तक उन के फरवरी, १९६२ के वेतन का संबंध है, उन्हें वह भी शीघ्र दे दिये जाने की आशा है।

पंजाब में स्वर्ण निक्षेप

२१७८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारनौल (पंजाब) में सोना मिलने की संभावना होने की आम धारणा फैली हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल की जा रही है अथवा करने का विचार किया जा रहा है ?

†**खान और इंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस):** (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के उत्पादन के लिये विदेशी सहायता

†२१७९. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला उत्पादन का विस्तार करने के लिये विदेश से १७ करोड़ रुपये तक की सहायता ली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कैसे प्रयोग की जा रही है और यह सहायता कोयले की कमी पूरी करने में कहां तक सहायक हुई है ?

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) विश्व बैंक ने तीसरी योजना में गैर-सरकारी कोयले की खानों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार के ३५० लाख डालर (लगभग १७ करोड़ रुपये) का ऋण देने की पेशकश की है। इस में से ३१ जुलाई, १९६३ तक ३०० लाख डालर की राशि ली जा सकती है और शेष ५० लाख डालर की राशि ३० सितम्बर, १९६५ तक ली जा सकती है।

(ख) यह राशि कोयला खनन यंत्रों, उपकरणों, पुरजों आदि के आयात के लिये, जो नई खानें स्थापित करने और पुरानी खानों का विस्तार तथा संधारण करने के लिये अपेक्षित है, खर्च की जायेगी। अब तक १२.७ करोड़ रुपये का सामान आयात करने के लिये लाइसेंस के हेतु ४२८८ प्रार्थनापत्र मिले हैं। इनमें से १७७३ लाइसेंस लगभग २.९ करोड़ के सामान के लिये जारी किये गये हैं। ऋण से राशि वास्तव में तभी मिलाई जायेगी जब मशीनों और उपकरणों का आयात हो जायेगा।

बोकारो इस्पात संयन्त्र

†२१८०. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती जमुना देवी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद और हजारीबाग के जिलों में बोकारो परियोजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है ;

(ख) कितने लोगों को अपनी जमीनें और मकान छोड़ने पड़ेंगे और उन के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार ६२,००० एकड़।

(ख) कितने लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा इस की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिहार सरकार बोकारो परियोजना के लिये जमीन प्राप्त करेगी और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की योजना भी तैयार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सशस्त्र बल मुख्यालय कर्मचारियों को स्थायी बनाना

†२१८१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल मुख्यालय के अधीक्षक क्लर्क और स्टेनोग्राफर श्रेणी के ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के प्रश्न को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक आदेश जारी होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में लौह अयस्क

†२१८२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य की गेधामरदन पहाड़ियों में लौह अयस्क के और निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या इस क्षेत्र का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) सर्वेक्षण का परिणाम क्या है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९५४-५५ में खोकारी के दक्षिण पश्चिम, उपार जागर के पूर्वोत्तर, और उड़ीसा के क्योंझर जिले में गेधामरदन पहाड़ियों के इचंदा नामक स्थानों पर भारत के भूभौतिकी सर्वेक्षण विभाग ने लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाया है ।

(ख) जी नहीं । केवल प्रारम्भिक निर्धारण किया गया है ;

(ग) भारत के भूभौतिकी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के परिणाम निम्नलिखित हैं ।

सौकाटी का दक्षिण पश्चिम : १६०० मीटर लम्बे और ६०० मीटर चौड़े क्षेत्र में लौह अयस्क है ।

उपार जागर का पूर्वोत्तर : १६०० मीटर लम्बे क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेप है । अनुमान है कि वहां से १२० लाख टन (१२१ लाख टन भार) लौह अयस्क प्राप्त होगा ।

इचंदा : चार फर्लांग के क्षेत्र में निक्षेप फैला हुआ है ।

चूंकि यह निक्षेप रेल से १३० किलोमीटर दूर है और चूंकि रेलवे स्टेशन के निकट ही बड़े बड़े निक्षेप हैं अतः उपरोक्त निक्षेपों के काम को प्राथमिकता नहीं दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुग्ध चूर्ण

†२१८३. श्री स० बरुआ : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्ध चूर्ण में पौष्टिकता बनाये रखने के लिये अनुसंधान कार्य कहां तक किया जा चुका है ;

(ख) क्या इस अध्ययन में यह भी अध्ययन किया जा रहा है कि कतिपय प्रोटीन उस में कैसे रखे जा सकते हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार का संयंत्र स्थापित करने के लिये सरकार कोई विदेशी सहायता प्राप्त करने का विचार रखती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर): (क) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्था मैसूर ने भैंस के दूध से बच्चों के लिये पौष्टिक दूध तैयार करने की प्रक्रिया निकाली है ।

(ख) हां श्रीमान ।

(ग) तथा (घ). उपरोक्त प्रक्रिया को प्रयोग करके व्यामरा सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ एमल बेबी फूड के व्यापारिक नाम से बच्चों के लिये दूध तैयार कर रहे हैं। कुछ और समवाय भी विदेशी सहयोग से बच्चों का दूध तैयार कर रहे हैं ।

अपंगों के लिये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

†२१८४. श्रीमती सावित्री निगम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपंगों के लिए सलाहकार परिषद् ने जिसकी बैठक गत वर्ष हुई थी कितनी सिफारिशें की थीं जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित १६ सिफारिशों में से १२ सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है । शेष चार सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है । राज्य सरकारों से सम्बन्धित १३ सिफारिशें उन्हें भेज दी गई हैं ।

गूंगे बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†२१८५. श्रीमती सावित्री निगम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में गूंगे बहरों के लिए कितने प्रविधिक केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हैं ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): तीसरी योजना में वयस्क बहरों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना रखी गयी थी । भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने गत वित्तीय वर्ष में इसकी हैदराबाद में स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ राज्य क्षेत्रों में गूंगे और बहरे

†२१८६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गूंगों और बहरों के शिक्षा प्रशिक्षण और रोजगार की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये संघ राज्य क्षेत्रों में गूंगे और बहरों की वास्तविक संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गूंगे बहरों की संस्था

†२१८७. **श्रीमती सावित्री निगम** :क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गूंगे बहरों की कितनी संस्थाएं हैं जिनमें उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था है ?

†**शिक्षा मंत्री(डा० का० ला० श्रीमाली)**: भारत सरकार की सहायता से अखिल भारतीय बहरा संघ ने दिल्ली में फोटोग्राफी की एक संस्था स्थापित की है और भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष में हैदराबाद में वयस्क बहरों के लिये एक संस्था स्थापित कर रही है । बहरों का शिक्षण प्रशिक्षण के लिए और कोई संस्था नहीं है ।

उड़ीसा में कोयला खानें

२१८८. **श्री किशन पटनायक** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के दिनांक ५ मई, १९६२ के गजट नोटिफिकेशन संख्या १३३४ के अनुसार उड़ीसा में कोयला खानों के लिये जितनी जमीन एक्वायर की गई है, उसका मुआवजा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुआवजों की राशि कितनी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री केशव देव मालवीय)**: (क) नहीं । सम्बन्धित दावेदारों ने अभी तक अपना कोई दावा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कारों का निर्माण

†२१८९. **श्री प्रा० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा कारों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के बारे में हाल में ही शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्यतः किन त्रुटियों की शिकायत है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) से (ग). सरकार को हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कारों में कुछ त्रुटियों की शिकायतें मिली हैं । कुछ शिकायतें इस फर्म द्वारा स्वयं तैयार किये गये पुर्जों के बारे में हैं और अन्य सहायक उद्योगों द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

तैयार वस्तुओं के बारे में हैं। निर्माताओं का ध्यान शिकायतों की ओर दिलाया गया है। उन्होंने स्तर बनाने के लिए निरीक्षण और जांच की उपयुक्त व्यवस्था कर दी है। वे पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन लगाने का विचार कर रहे हैं।

सैक्शन अफसरों की तालिका

†२१९०. **डा० मेलकोटे :**
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :
श्री मु० मो० हक :
श्रीमती सरोजिनी महिषी :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सैक्शन अफसरों की तालिका के बारे में २८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७१ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग की मंत्रणा स्वीकार कई ली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि तालिका बना ली गई है तो सरकार उन हजारों असिस्टेंटों के हितों को कैसे सुरक्षित करेगी जिनको इससे हानि पहुंचेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सारा मामला अभी विचाराधीन है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

२१९२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ रचनाओं पर पुरस्कार देने के जो नियम थे उनमें हाल में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) (एक) अकादमी पुरस्कार पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित व्यक्तिगत रचना की साहित्यिक योग्यता के आधार पर दिया जाता रहेगा। लेकिन लेखक की कुल रचनाओं और साहित्यिक स्तर का भी यथेष्ट ध्यान रखा जायेगा।

(दो) लेखक की मृत्यु के बाद का प्रकाशन पुरस्कार के योग्य तभी माना जाएगा यदि उसका प्रकाशन लेखक की मृत्यु के तीन साल के अन्दर हो चुका हो।

(तीन) कोई भी लेखक जो एक बार पुरस्कार पा चुका हो, दुबारा पुरस्कार का अधिकारी नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सैनिक प्रशिक्षण स्कूल

†२१९३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में कोई सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). पंजाब सरकार इस समय तीसरा सैनिक स्कूल खोलने की स्वीकृति प्राप्त करने के बारे में विचार कर रही है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

लो वोल्टेज एयर ब्रेक कंटैक्टर आदि

†२१९४. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स देश में बने लो वोलटेज एयर ब्रेक कंटैक्टर, ३ फेज रिलेज और डायज्ज टाइप कार्टरिज फ्यूज़ इसलिए नहीं खरीदता कि उनके मूल्य अधिक हैं ; और

(ख) क्या सरकार यह विचार कर रही है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स देशीय माल खरीद कर विदेशी मुद्रा की बचत करे ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**:(क) और (ख). सरकार की नीति सदा यही रहती है कि यदि टैक्नीकल दृष्टि से कोई हानि न होती हो तो अधिक से अधिक देशीय संसाधनों का ही प्रयोग किया जाय । जहां तक सम्भव होता है हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अपनी खरीद यदि वस्तुएं अच्छी किस्म की हों और उनकी टैक्निकल आवश्यकता को पूरा करती हों, दो देशीय संसाधनों से ही करता है ।

विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

२१९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन छात्रों अथवा व्यक्तियों को भी विदेश जाने के लिये विदेशी मुद्रा नहीं दे रही है जो अपने सारे व्यय का भार दूसरे देशों में वहन करने के लिये प्रस्तुत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य उन व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा नहीं, बल्कि विदेश-यात्रा की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो विदेश में अपने खर्च का प्रबन्ध खुद ही करने को तैयार हैं । ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा दिये जाने का प्रश्न साधारणत: पैदा ही नहीं होता । जहां सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक को प्रबन्ध की सचाई के सम्बन्ध में सन्तोष हो जाता है, वहां यात्रा की अनुमति दे दी जाती है । ऐसे कुछ मामलों में अनुमति नहीं दी गई जिनमें सन्देह था और जिनके बारे में यह खयाल हुआ कि वे मुआवजे की व्यवस्था के रूप में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्कूल

२१९६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में सरकारी अथवा निजी प्रबन्धकों की देख-रेख में कितने प्राइमरी और मिडिल स्कूल चल रहे हैं ;

(ख) क्या इन स्कूलों को दिल्ली प्रशासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान दिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन स्कूलों को बहुत समय से यह सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों के अध्यापकों के तथा और अन्य कर्मचारियों के कई मास के वेतन नहीं मिले हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की कठिना ई भविष्य में इन स्कूलों के सामने न आये इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

	प्राइमरी स्कूल	मिडिल स्कूल
(एक) सरकारी	—	२
(दो) निजी, सहायता प्राप्त	७	४

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में स्थित निजी प्राइमरी स्कूलों, और मिडिल स्कूलों के प्राइमरी विभागों को सहायता-अनुदान नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा और मिडिल स्कूलों के मिडिल विभागों को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया जाता है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली नगरपालिका से मिडिल स्कलों के मिडिल विभागों को इस वर्ष से सहायता अनुदान देने की प्रार्थना की थी । लेकिन नगरपालिका ने इस अतिरिक्त दायित्व को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की । इससे मिडिल स्कूलों के मिडिल विभागों को दूसरी तिम्हाई की सहायता अनुदान मिलने में कुछ देर हुई । दिल्ली प्रशासन ने अब फैसला किया है कि इस सम्बन्ध में स्थिति यथापूर्व रखी जाये और मिडिल स्कूलों को उनका रुका हुआ अनुदान दे दिया गया है ।

(घ) इस मामले की जांच कराई जा रही है ।

(ङ) और (च). उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ये प्रश्न उठते ही नहीं । पहले से ही त्रैमासिक सहायता अनुदान तीन माह पूर्व पेशगी दे दिया जाता है ।

बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी भत्ता

†२१९७. **श्री प० कुन्हन :**
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिये, जिनके बच्चे मुख्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर शिक्षा पा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिये भत्ता स्वीकृत किया है ;

(ख) यदि हां, वे कर्मचारी भी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं जिन के बच्चे मुख्यालय के स्थान पर ही शिक्षा पा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां । कम वेतन पाने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता स्वीकृत किया गया है जिन्हें मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी पड़ती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह योजना वेतन आयोग की सिफारिश पर मंजूर की गई है जिसने उन कर्मचारियों के लिये किसी आर्थिक सहायता की सिफारिश नहीं की है जिनके बच्चे मुख्यालय के स्थान पर ही शिक्षा पाते हैं ।

यूनेस्को का मंत्रणा मिशन

†२१९८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती गायत्री देवी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९६२ के आखिर में यूनेस्को का मन्त्रणा मिशन भारत में विज्ञान शिक्षा विकास सम्बन्धी योजनाओं पर चर्चा करने आया था ;

(ख) यदि हां, तो मिशन के साथ किन किन विषयों पर बातचीत हुई ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) सैकंडरी स्तर तक विज्ञान शिक्षा का विकास कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करना जिसके लिये संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता विस्तृत कार्यक्रम (यूनेण्टा) के अन्तर्गत टैक्नीकल सहायता दी जायेगी ।

(ग) मिशन ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय बीमा का विदेशी कारोबार

†२१९९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० की समाप्ति के समय, १९६१ में और इस समय भारतीय बीमाकर्ताओं का विदेशों में कितना कारोबार था ; और

(ख) इस कारोबार को बढ़ाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

वर्ष	विदेशों में जीवन बीमा निगम का चालू जीवन बीमा कारोबार	भारतीय सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा भारत से बाहर प्राप्त किया गया सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
१९६० .	१०९ करोड़ रुपये	८.६५ करोड़ रुपये
१९६१ .	११४ करोड़ रुपये	
इस समय .	आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं	आंकड़ इस समय उपलब्ध नहीं हैं

(ख) जीवन बीमा कार्य

अधिक एजेंटों की भर्ती करके और अधिक विकास पदाधिकारियों की नियुक्तियां करके जीवन बीमा निगम संस्था को विदेशों में दृढ़ बनाया जा रहा है । यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि दूर स्थित स्थानों पर भी कारोबार किया जाय ।

सामान्य बीमा कारोबार

भारतीय सामान्य बीमा कम्पनियां विदेशी कारोबार में घाटा दिखा रही हैं । १९६० में कुल ७४ लाख रुपय का घाटा पड़ा । इस कारण वर्तमान परिस्थितियों में कारोबार का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

विदेश जाने के लिए विदेशी मुद्रा का दिया जाना

२२००. **श्री यु० द० सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा विदेश यात्रा करने वालों पर प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात् कितने भारतवासियों को विदेशों में जाने के लिये विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ख) इन विदेश जाने वाले भारतीयों के लिय कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) . सूचना इकट्ठी की जा रही और है उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

नये विश्वविद्यालय

२२०१. **श्री यु० द० सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में अनेक नये विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की है ;

(ख) ग्वालियर में विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में क्या मत प्रकट किया गया है ; और

(ग) यदि यह आयोग ग्वालियर में विश्वविद्यालय खोलने के पक्ष में नहीं है तो उसके क्या कारण बताये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) नये विश्वविद्यालय खोलने के विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में निम्नांकित संघीय या एकात्मक ढंग के छः विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की है :—

१.	आन्ध्र प्रदेश .	. हैदराबाद
२.	मध्य प्रदेश	. इन्दौर
३.	मद्रास	. मद्रास या मदुर
४.	महाराष्ट्र . .	. पूना
५.	मैसूर	. बंगलौर
६.	राजस्थान	. जोधपुर अथवा जयपुर

(ख) और (ग). ग्वालियर में विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में समिति ने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया था। समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी १ अगस्त, १९६२ की बैठक में, ग्वालियर में विश्वविद्यालय खोलने के लिये सिद्धान्त रूप में अपनी रजामन्दी दे दी है। परन्तु आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो सकेगी।

खान और ईंधन मंत्रालय म गुप्त सूचना विभाग

†२२०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और ईंधन मन्त्रालय में एक गुप्तचर विभाग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के अपेक्षित कृत्य और रचना क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). कोयला सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के लिये खान और ईंधन मन्त्रालय में एक जानकारी तथा गुप्त वार्ता कमरा बनाया जा रहा है। कोयले के उत्पादन और भेजी गई मात्रा को ग्राफों और चार्टों के रूप में वहां प्रदर्शित किया जायेगा। कोयले के बारे में उपयोगी पाठ्य सामग्री भी वहां रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में प्राकृतिक गैस

†२२०३. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम बिजली बोर्ड द्वारा असम में वितरित की जाने वाली गैस पर ८ रुपये ५० न० पै० प्रति हजार क्यूबिक मीटर वसूली करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या गुजरात की औद्योगिक कम्पनियों से सरकार लगभग ८५ रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर वसूल करती है ;

(ग) क्या सरकार गुजरात बिजली बोर्ड को भी गैस उसी दर से देगी जिस दर पर असम बिजली बोर्ड को देती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं । आयल इण्डिया लिमिटेड ने असम बिजली बोर्ड को ८ रुपये ८३ न० पै० की दर से गैस बेचना स्वीकार किया है ।

(ख) इस समय गुजरात में औद्योगिक कम्पनियों को प्राकृतिक गैस नहीं दी जा रही है ।

(ग) गुजरात बिजली बोर्ड की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दी जाने वाली गैस का मूल्य अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संघ राज्य-क्षेत्रों में अपराध

†२२०४. **श्री हिम्मत सिंहजी :**
श्रीमती गायत्री देवी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से मनीपुर, त्रिपुरा और अन्दमान में अपराधों की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) संघ राज्य क्षेत्रों में १९५९, १९६० और १९६१ में हुये हस्तक्षेप अपराधों के आंकड़ों में अधिक अन्तर नहीं है ;

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

†२२०५. **श्री सिद्दय्या :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावने :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० में यह पता लगाने के लिये कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया था कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को कितना लाभ हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). १९६०–६१ में यह सर्वेक्षण करने का विचार था । इस परियोजना के लिये संलग्न विवरण में दी हुई एक प्रश्नावली राज्य सरकारों को भेजी गई थी कि जिन संस्थाओं में १९५९–६० में छात्रवृत्ति पाने वाले हों, उनके प्रधान अध्यापक उन्हें भर दें और राज्य सरकारों की टिप्पणी के साथ प्रश्नावली को इस मन्त्रालय में वापस भेज दिया जाये । कई बार स्मरण दिलाने के बाद भी कई राज्यों से अभी भी जवाब नहीं आये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४]**

इलाहाबाद में अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

†२२०६. **श्री सिद्दय्या :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावने :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये बनने वाले छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) इस इमारत की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) इसमें कितने विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था हो सकती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र से संलग्न छात्रावास की इमारत का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है ।

(ख) ३,०८,१७० रुपये ।

(ग) ८१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें

†२२०७. श्री सिद्दय्या :
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावने :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये राज्य क्षेत्र में आवास योजना का काम रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या १९६२–६३ में योजना को पुनः शुरू कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) ४.५० लाख रुपये ।

हरिजन लड़कियों के लिये छात्रावास

†२२०८. श्री सिद्दय्या :
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावने :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में हरिजन लड़कियों के लिये छात्रावास स्थापित करने के लिये प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) इन छात्रावासों से कितनी लड़कियों को लाभ होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) योजना में राज्य क्षेत्र के अधीन १९६२–६३ के लिये अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के छात्रावासों के लिये—लड़कों और लड़कियों दोनों के छात्रावासों के लिये—६७.५५ लाख रुपये का मिलाजुला उपबन्ध किया गया है । यह राशि संलग्न विवरण में दिये गये रूप में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गयी है । उपरोक्त उपबन्ध से अनुसूचित जाति की कितनी लड़कियों को लाभ मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर होगा कि हर राज्य में और संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का अनुसूचित जाति की लड़कियां किस सीमा तक उपयोग करती हैं । इस योजना को दी गई उच्च प्राथमिकता को ध्यान में रख कर तीसरी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन २० लाख रुपये का अतिरिक्त उपबन्ध कर दिया गया है ताकि अनुसूचित जाति की लड़कियों की छात्रावास व्यवस्था की अतिरिक्त मांग को पूरा

†मूल अंग्रेजी में

किया जा सके । इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति की लड़कियों के कुछ चुने हुये सामान्य छात्रावासों में रहने की जगह बढ़ाने के लिये किया जायेगा और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर इसमें से उनको राशियों का आवंटन किया जायेगा ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित राशि
१. आन्ध्र प्रदेश	८.१९
२. बिहार	२.८०
३. गुजरात	३.३८
४. जम्मू तथा काश्मीर	०.४५
५. केरल	२.१०
६. मद्रास	९.००
७. महाराष्ट्र	७.३०
८. मैसूर	१४.११
९. उड़ीसा	६.००
१०. राजस्थान	२.८०
११. उत्तर प्रदेश	८.६०
१२. पश्चिम बंगाल	१.२०
१३. हिमाचल प्रदेश	०.५०
१४. त्रिपुरा	०.१२
१५. पांडेचेरी	१.००
योग	६७.५५

जूट के सामान का कम बीजक बनाना

†२२०९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मैकलीड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा आयात किये जा रहे जूट के सामान को सीमा शुल्क अधिकारियों ने इस आरोप पर रोक लिया था कि उस का कम बीजक बनाया गया था;

(ख) क्या ८ अगस्त, १९६२ को या उस के बाद समाप्त होने वाली जांच पूरी होने से पहले ही यह माल छोड़ दिया गया था; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). आयात के जूट के माल को रोकने की कोई घटना नहीं हुई है। परन्तु कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय के सामने मैसर्स मैक्लीड एण्ड कम्पनी लिमिटेड और मैगना मिल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा टाट के सामान के निर्यात के संबंध में उनके नौवहन बिलों में की गई घोषणा लगभग १९ लाख रुपये की थी और कलकत्ता सीमा शुक कार्यालय ने उपरिदर्शी रूप में इस घोषित मूल्य को कम समझा। अतः उन्होंने इस सामान के बारे में न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही आरंभ कर दी है। इस निर्णय के होने से पहले सामान को बैंक की गारंटी पर लिखे गये बांडों के आधार पर जहाज से भेजने की अनुमति दे दी गई। ऐसा करना इसलिये जरूरी था कि यदि यह ठेका पूरा न किया गया होता,तो देश की काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि हो जाती। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इस का बड़ा प्रभाव पड़ता।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

भारी इंजीनियरिंग परियोजना, हटिया

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. श्री श्रीनारायण दास : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग परियोजना, हटिया के निर्माण का काम हड़ताल के कारण रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्य): (क) से (ग). १६ अगस्त, १९६२ को हटिया स्थल पर ठेकेदारों के कुछ कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया। हड़ताल का कारण बिहार न्यूनतम मजूरी अधिनियम की विश्राम वाले दिन की मजदूरी की अदायगी की शर्त का अभिकथित अपरिपालन था। हड़ताल शुरू होने से पहले ही हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की सलाह पर ठेकेदारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की शर्तों को क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया था। फिर भी हड़ताल की गई। बिहार के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के कारण २० अगस्त, १९६२ को हड़ताल समाप्त कर दी गई। भारी मशीनें बनाने और ढलाई-गढ़ाई के कारखानों के निर्माण-कार्य पर इस का आंशिक प्रभाव पड़ा परन्तु बस्ती और अन्य विभागीय कार्यों पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल में पियासबाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा दो भारतीयों के मारे जाने का कथित समाचार

†**श्री दाजी** (इन्दौर): श्रीमान, नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"पश्चिम बंगाल में पियासबाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा २८ अगस्त, १९६२ को दो भारतीयों के मारे जाने का समाचार।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : श्रीमान्, ३० अगस्त, १९६२ को मालदा के जिलाधीश से हमें यह समाचार मिला कि २८ अगस्त को लगभग ५.३० बजे लगभग २२ पाकिस्तानी राष्ट्रजन जो घातक शस्त्रों से सुसज्जित थे भारत राज्य क्षेत्र में घुस आये और वे मझागर गांव से १९ पशुओं को उठा ले गये। सूचना में बताया गया है कि इस प्रकार घुस आये व्यक्तियों ने देबेन घोष और उस के भाई विश्वनाथ घोष पर, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर अपने पशु चरा रहे थे, आक्रमण किया। इस से विश्वनाथ घोष की मृत्यु हो गई और देबेन घोष को गम्भीर चोटें आयीं। मालदा के जिलाधीश ने सूचित किया है कि उप आयुक्त, राजशाही (पूर्वी पाकिस्तान) के पास उन्होंने कठोर विरोधपत्र भेज दिया है।

दूसरे दिन अर्थात् ३१ अगस्त को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने भारत सरकार के पास तार द्वारा उस विरोधपत्र का ब्यौरा भेजा जो इस घटना के संबंधमें पूर्वी पाकिस्तान के पास भेजा गया है। उस विरोधपत्र में मांग की गई है कि घटना की तुरन्त जांच की जाये, अपराधियों को कड़ी सजा दी जाये, भारतीयों को उनके पशु वापिस दे दिये जायें और मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये।

अखबारों के समाचार के अनुसार दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

पूर्वी पाकिस्तान सरकार से विरोधपत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। ढ़ाका स्थित हमारे उच्च आयुक्त को घटना की सूचना दे दी गई है। उससे यह भी कहा गया है कि राजनयिक स्तर पर वह विरोधपत्र दे दें।

†**श्री दाजी** : क्या वे लोग पाकिस्तानी सैनिक थे।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे।

श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इंडोनेशिया सरकार की प्रतिक्रिया

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण–पश्चिम) : श्रीमान्, नियम १९७ के अधीन में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"एशियाई खेल संघ के वरिष्ठ उप-प्रधान श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इन्डोनेशिया सरकार द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियायें।"

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : श्रीमान्, २८ अगस्त, १९६२ को जकार्ता में श्री जी०डी० सौंधी द्वारा दिये गये कथित इण्डोनेशिया विरोधी वक्तव्यों के बारे में सर्वश्री,इन्द्रजीत गुप्त स० मो० बनर्जी, प्रभात कार और दाजी द्वारा दी गई ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सौंधी के वक्तव्यों का प्रामणिक रूप सरकार के पास नहीं है। परंतु भारत सरकार यह बात स्पष्ट कर देना चाहती है कि श्री जी० डी० सौंधी जकार्ता में भारत के सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नहीं हैं। अपनी व्यक्तिगत हैसियत से वे अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक परिषद् के सदस्य, एशियाई खेल संघ के वरिष्ठ उप-प्रधान और एशियाई खल संघ में भारतीय ओलम्पिक संघ के तीन प्रतिनिधियों में से एक हैं। उनकी जकार्ता यात्रा का सारा खर्च भारत सरकार या इंडियन ओलम्पिक संघ द्वारा नहीं बल्कि चौथे एशियाई खेल की संयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। श्री सौंधी द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण उन के व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं।

भारत सरकार की नीति सदा से यही रही है कि राष्ट्रीय खेल संघों के मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करती। सरकारी हस्तक्षेप ओलम्पिक अधिकारपत्र का उल्लंघन होगा।

भारत सरकार और भारत की जनता ने इन्डोनेशिया के साथ सदैव मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखे हैं और इन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार सदैव प्रयत्नशील रहेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कि जकार्ता में हमारे दूतावास के सामने प्रदर्शन भी हुआ, भारत सरकार यह स्पष्ट करेगी कि श्री सौंधी या तैवान के पक्ष में दिये गये उनके वक्तव्य से हमारा कोई संबंध नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम कैसे कह सकते हैं कि श्री सौंधी से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्री सौंधी एक भारतीय राष्ट्रजन हैं।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : क्या भारत सरकार ने इण्डोनेशिया सरकार के सामने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भारत सरकार श्री सौंधी द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी नहीं है।

†**डा का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि श्री सौंधी द्वारा व्यक्त विचारों के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह एशियाई खेलों तथा ओलम्पिक में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से वहां गये हुए हैं। इण्डोनेशिया स्थित हमारे राजदूत ने भी यह बात स्पष्ट कर दी है और भारत सरकार ने भी यह बात स्पष्ट कर दी है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : इस घटना से अनेक गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। क्या सरकार के पास श्री सौंधी के वक्तव्य की प्रामाणिक प्रति है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें उनके वक्तव्य की प्रामाणिक प्रति नहीं मिली है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद से जो एक अनचाही स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस सम्बन्ध में इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री का वक्तव्य क्या है और क्या श्री सौंधी ने अपना वक्तव्य वापस ले लिया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस के बारे में मुझे कोई इत्तिला नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है श्री सौंधी ने अपना वक्तव्य वापस नहीं लिया है।

श्री बड़े (खारगोम) : क्या गवर्नमेंट की तरफ से श्री सौंधी को कुछ लिखा गया है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट उस ने क्यों दिया और क्या उससे इस स्टेटमेंट को मांगा गया है जो उस ने दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह वहां ओलम्पिक्स के प्रतिनिधि के रूप में गये हैं और उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से यह वक्तव्य दिया है । सरकार किसी की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कैसे प्रतिबंध लगा सकती है ?

लद्दाख में चीनी सैनिक चौकियों के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : लद्दाख में चीनियों द्वारा ३० नई चौकियां स्थापित किये जाने के बारे में प्रधान मंत्री स्वयं एक वक्तव्य देना चाहते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : कब ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं । मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगी ।

सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र संख्या ६ में उन चीनी सैनिकों चौकियों के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है जो २६ जुलाई, तक स्थापित हुई थीं और जिनके सम्बन्ध में हमने विरोधपत्र भेज दिये थे ।

श्वेत पत्र संख्या ६ के प्रकाशन के बाद हमने चीनियों द्वारा स्थापित की गई कुछ और चौकियों के संबंध में २२ और २४ अगस्त को विरोधपत्र भेजे । मई, १९६२ के बाद चीनियों ने इस प्रकार ३० चौकियां स्थापित की थीं ।

२८ अगस्त को हमने चार अन्य चौकियों की स्थापना के बारे में एक विरोधपत्र भेजा हमें पता लगा है कि इस बीच इनमें से एक चौकी हटा ली गई है । परन्तु खबर है कि पास में ही उन्होंने २ और चौकियां स्थापित कर ली हैं ?

मैं पहले ही सभा में बता चुकी हूं कि हाल में स्थापित की गयी चौकियों में से अधिकांश चौकियां पुरानी चौकियों का कुछ मील आगे तक विस्तार हैं जहां तक पुरानी चौकियों से रक्षा की जा सकती । विशेष रूप से दौलत बेग ओलधी और चिपचाप नदी के क्षेत्र में जहां चीनी चौकियां एक दूसरे से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही हैं, यही स्थिति है ।

गलवान नदी की घाटी में पास-पास तथा आपस में सम्बन्धित कई चीनी चौकियां हैं । इन के कारण स्थल मार्ग से हमारी चौकियों को सप्लाई का रास्ता बन्द हो गया है । इसी प्रकार पैंगांग झील क्षेत्र में चीनियों ने २३ अगस्त को एक चीनी चौकी स्थापित कर के हमारी सप्लाई के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की । हमने इस का विरोध किया है और पैंगांग क्षेत्र में अपनी चौकी तक सप्लाई भेजने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक उपाय किये हैं ।

१४ अगस्त की घटना के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि पैंगांग झील क्षेत्र में हमारी चौकी तथा चीनी सैनिकों के बीच गोलियां चली थीं । हमारी चौकी में किसी की मृत्यु नहीं हुई । १५ अगस्त को हमने इस घटना के बारे में चीन को विरोध पत्र भेज दिया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : चीनियों ने अब तक ३० चौकियां स्थापित कर ली हैं जब कि श्वेत पत्र में २० का ही उल्लेख किया गया है । इसका यह अर्थ हुआ कि चीनियों ने इस बीच १० चौकियां और स्थापित की जब कि प्रधान मंत्री का कहना है कि हमने चिनयों से २००० वर्ग मील क्षेत्र वापस ले लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : चौकियों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि चीनी आगे बढ़ रहे हैं यह तो उन के हथकण्डे हैं कि वे किसी चौकी को कई हिस्सों में बांट दें। सीधा सा उत्तर यह है कि इन चौकियों की स्थापना का यह मतलब नहीं है कि चीनी हमारे राज्य क्षेत्र में आगे आये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न यह है कि चीनियों ने जब ३० नई चौकियां स्थापित कर ली हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वे हमार राज्य क्षेत्र में घुस आए हैं चाहे यह उनकी चाल ही है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि चीनी चौकियों की संख्या में वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि चीनी हमारे राज्य क्षेत्र में आगे बढ़ आये हैं। चौकियों को, दो, तीन चार हिस्सों में बांटना युद्ध की एक चाल है।

†**श्री हेम बरुआ** : मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया कि चीनियों ने कुछ मील आगे तक नई चौकियां बना ली हैं। प्रतिरक्षा मंत्री ने भी कहा है कि चौकियों को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि वास्तव में चीनी आगे बढ़े हैं या नहीं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह प्रश्न ३० चौकियों के बारे में है और प्रतिरक्षा मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा कही गई बातों में कुछ अन्तर होने के कारण गलतफहमी पैदा हो गई है। जब वैदेशिक-कार्य मंत्री ने चौकियों की वृद्धि के बारे में बताया तो यह शक हो सकता है कि चीनी आगे बढ़ आये हों परन्तु मेरा कहना है कि वे आगे नहीं बढ़े हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई बार सरकार की स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो जाती है। हम सभी देश के हितों की रक्षा चाहते हैं अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार जानबूझ कर किसी जानकारी को छिपाये। प्रश्न पूछते समय इस बात को ध्यान में रखते हुए सदैव उत्तर के लिये आग्रह करना ठीक नहीं होता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

मनीपुर बाल नियम, १९६२

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, मैं बाल अधिनियम, १९६० की धारा ५९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २२ जून, १९६२ के मनीपुर गज़ट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ३/७/६२—एक्ट/एल की एक प्रति, जिसमें मनीपुर बाल नियम, १९६२ दिये हुए हैं, सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–३८७/६२]

जेनेवा अभिसमय (विधि व्यवसायियों का काम) नियम, १९६२

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : श्रीमान्, मैं जेनेवा अभिसमय अधिनियम, १९६० की धारा १९ के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुरामैया]

एस० आर० ओ० २२२ में प्रकाशित जेनेवा अभिसमय (विधि व्यवसायियों का काम) नियम, १९६२ की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–३८८/६२]**

खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, १९६२

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : श्रीमान्, मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत, दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७६ में प्रकाशित खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–३८९/६२]**

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ३० अगस्त, १९६२ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २० अगस्त, १९६२ को पास किये गये अणु शक्ति विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ अगस्त १९६२ को पास किये गये विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ अगस्त, १९६२ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : श्रीमान्, हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिजली (संभरण), अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाण्डागार निगम विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि उत्पाद तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भाण्डागार के प्रयोजनों के लिये निगमों के निगमन तथा विनियमन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उत्पाद तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भाण्डागार के प्रयोजनों के लिये निगमों के निगमन तथा विनियमन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा ३१ अगस्त, १९६२ को श्री भगत द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी, अर्थात् :--

"कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने और उसके परिणामस्वरूप भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री अब्दुल वहीद अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री अब्दुल वहीद (वैलोर)** : यह विधान निर्यातकर्ताओं के लिये बड़ा लाभप्रद सिद्ध होगा क्योंकि इस में निर्यातकर्त्ताओं को अधिक वित्तीय सुविधायें देने की व्यवस्था की गई है । इस विषय में मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं ।

निर्यात उद्योगों को वित्तीय सुविधाओं की मात्रा और शर्तों में उदारता दिखाई जानी चाहिये । माल का बन्धकीकरण २० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । बैंकों को हिदायतें दी जानी चाहियें कि निर्यात उद्योगों और निर्यात कारोबार पर ब्याज बहुत कम लें जिससे निर्यात के माल के मूल्य बढ़ने न पावें । निर्यात उद्योगों को अधिक से अधिक दीर्घकालीन ऋण दिये जाने चाहियें । इस से निर्यात व्यापार बहुत बढ़ेगा ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : माननीय सदस्यों द्वारा इस विधेयक पर वादविवाद में भाग लेकर इसका समर्थन करने के लिये मैं उनका आभारी हूं । यहां मैं उनकी कुछ बातों का उत्तर दे रहा हूं ।

श्री प्रभात कार ने कहा कि रक्षित बैंक के गवर्नर और डिप्टी-गवर्नर पूरे समय के लिये पदाधिकारी होने चाहियें । उन्हें इस संशोधन पर आपत्ति है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रार्थना पर उन्हें कुछ ऐसे काम भी दिये जा सकते हैं, जो लोक हित में हों । श्री कार ने यह भी कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के काम में अब पर्याप्त वृद्धि हो गई है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं किन्तु यह उपबन्ध नमनशील है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनसे हर बार कोई भी काम करने के लिये कहा जाये। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी महत्वपूर्ण जांच अथवा ऐसा कोई अन्य कार्य उनके सुपुर्द करना पड़े। उस समय की कानूनी बाधा को दूर करने के लिये ही यह उपबन्ध रखना पड़ा है।

दूसरी बात स्टर्लिंग बिलों के बारे में है। यह सही है कि यदि समय के पहल ही उनका भुगतान कर लिया गया, तो हमें विदेशी मुद्रा की हानि होगी। मौजूदा अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि स्टर्लिंग अथवा विदेशी बिलों को पूरे समय तक रखना आवश्यक हो। यह बैंकों के विवेक पर है : उसके लिये कानून नहीं बनाया जा सकता। यथार्थ स्थिति यह है कि बड़े-बड़े बैंक बिलों को पूरी अवधि तक रखते हैं। इस विषय में अनुदेश जारी करने की आवश्यकता पर इस विधेयक के पारित होने पर विचार किया जायेगा।

तीसरा विषय उन्होंने ठेके पर नियुक्त खजान्चियों के बारे में उठाया, किन्तु रिजर्व बैंक में इनकी स्थिति अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न है। वे बैंक के पदाधिकारी माने जाते हैं। वे रोकड़ विभाग के कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी हैं। इसके लिये वे नकद अथवा सरकारी प्रतिभूतियां जमा कराते हैं। इस पदाधिकारी के नीचे नियुक्त अन्य व्यक्ति बैंक के कर्मचारी हैं। ठेके पर नियुक्त तथा अन्य स्थिति में काम करने वाले खजान्ची की स्थिति में इतना ही अन्तर है कि गैर-पदाधिकारी खजान्ची से प्रतिभूति की मात्रा अधिक रहती है और बैंक में रकम की कमी को पूरा करने का उत्तर-दायित्व उन पर है। उनके इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करते समय उनकी राय ली जाये। ये खजान्ची बैंक के लिये नये या अजनबी व्यक्ति नहीं हैं। वे अनेक वर्षों से बैंक का काम कर रहे हैं तथा संविदा की शर्तों के अनुसार उनका पारिश्रमिक तथा अन्य बातें नियत की गई हैं। हम इस व्यवस्था को तुरन्त समाप्त नहीं करना चाहते परन्तु वर्तमान ठेकेदारों का कार्यकाल समाप्त होने पर विभाग स्वयं इसकी व्यवस्था करेगा।

श्री मुरारका ने कहा कि बैंक की रक्षित राशि बढ़ा कर १५ प्रतिशत क्यों कर दी गयी है जब कि गत वर्षों में यह केवल २ से ५ प्रतिशत होने पर भी नहीं बढ़ाई गई थी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। विशेष मुद्रा स्फाति की स्थिति में ही ऐसा किया गया है। रक्षित बैंक को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है।

श्री मुरारका ने यह पूछा है कि मध्यमकालीन ऋण पूंजीगत पदार्थों के बारे में है अथवा कच्चा माल या उपभोक्ता वस्तुओं के लिये है। सरकार की मंशा यह है कि इंजीनियरी तथा पूंजीगत पदार्थों तक ही फिलहाल यह सीमित रखी जाये। हाल ही में नियुक्त एक समिति ने इसी आशय की सिफारिश की थी जो सरकार ने मान ली है।

श्री मुरारका ने कुल दायित्व को तीन प्रतिशत राशि की समान दर के औचित्य में शंका प्रकट की। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। यह टेकनिकल विषय है। परामर्श एवं विचार विनिमय के पश्चात् ही ३ प्रतिशत की रकम निर्धारित की गई है। आजकल निधारित समय के लिये रकम जमा करने की प्रवृत्ति में आशातीत वृद्धि हो गई है। वर्तमान अवस्था में भी यदि हम

इसे २ प्रतिशत और ५ प्रतिशत ही रखें तो बैंकों की क्षमता पर काफी असर पड़ेगा। यदि आप पूरी योजना पर विचार करें और २ और ५ प्रतिशत आंकड़ों पर ध्यान रखते हुए वर्तमान अनुपात मालम करें तो यह तीन प्रतिशत से कुछ अधिक होगा। अतः हम ने यह व्यवस्था सब की राय से बनाई है। विविध बैंकों से राय लेकर बैंकों की क्षमता को अखंड बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है।

श्री सर्राफ ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय इस बात को विस्मृत कर दिया है कि ३ प्रतिशत पर ब्याज नहीं दिया जायेगा। आगे की शर्तें पूरी होने पर बढ़ी हुई राशि पर ब्याज दिया जायेगा। और आगे की शर्तें पूरी न होने पर भी बढ़ी हुई रकम के लिये रियायत के रूप में ब्याज दिया जा सकता है। कानून नमनशील होता है, स्थिर नहीं। इसीलिये "जायेगा" के स्थान पर "सकता है" रखा गया है।

दण्ड राशि के भुगतान की अवधि के बारे में १४ दिन के स्थान पर उनकी २१ दिन की बात भी सही नहीं है। उनका मत है कि रकम के स्थानान्तरण में देर लगती है। किन्तु स्थिति यह नहीं है। दिल्ली में एक बैंक रोजमर्रा के सौदे रिजर्व बैंक बम्बई से ही क्यों करे। वह रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी यह काम कर सकता है। कानपुर या कलकत्ता के बैंक भी ऐसा ही कर सकते हैं। बैंक अपने नगर में ही यह काम कर सकता है। १४ दिन की अवधि विधेयक सर्वथा पर्याप्त है और उसमें वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने और उस के परिणाम-स्वरूप भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास कुछ संशोधनों की पूर्व सूचना आयी है। किन्तु माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, अतः मैं विधेयक के सारे खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ७, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ७, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि इस विधेयक को पारित किया जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह अधिनियम मार्च १९६१ में संशोधित किया गया था । इस संशोधन के अन्तर्गत बैंकिंग समवायों के विलय एवं पुनर्गठन के बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है । इस अन्तरावधि मैं हमने इन शक्तियों का अत्यन्त विवेक एवं संयम के साथ प्रयोग किया है । कई बैंकों के परस्पर विलय द्वारा उन्हें अधिक स्थिरधरातल पर लाकर उनके कार्य संचालन में कुशलता की वृद्धि की है । बैंकों में हर व्यक्ति द्वारा जमा १५०० रुपये तक की पूंजी के बीमे की योजना चालू वर्ष के प्रारम्भ से जारी की जा रही है ।

अगस्त, १९६० मैं पलाई सेंट्रल बैंक फेल होने के बाद वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई पूंजी में हुई घटोतरी अस्थायी और अल्पकालीन थी । १९६० के अन्त के पश्चात् इस जमा पूंजी में निरन्तर वृद्धि हो रही है और आज बैंकिंग व्यवस्था पूर्णतः स्वस्थ और संतोषजनक है ।

१९४८ में जब बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारायें बनाई गई थीं, उस समय यह कल्पना से परे था कि विकास योजनाओं का इन पर क्या प्रभाव होगा । अबः हमने न्यूनतम जमा पूंजी, संविहित संचित राशि, नकद तथा अन्य चालू पूंजी से संबंधित उपबन्धों का पुनरीक्षा का विचार किया है । आज बैंकों में १२०० करोड़ रुपये से अधिक पंजी जमा है अतः नियमों मैं ऐसे उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहियें जो विकास और प्रगति की वर्तमान बेला से सुसंगत हों ।

इस आशय का प्रस्ताव किया जा रहा है कि भारतीय बैंकों को अपने मुनाफे का एक अंश संविहित रक्षित राशि में रखना चाहिये भले ही उनकी रक्षित राशि का स्तर परिदत्त पूंजी के समान हो अथवा नहीं । परिदत्त पूंजी के स्तर से संचित राशि का संबंध स्थापित करना वर्तमान अवस्था में युक्तियुक्त नहीं है ।

खंड २ में दूसरे प्रस्ताव का उद्देश्य भविष्य में प्रारंभ किये जाने वाले किसी भी बैंकिंग समवाय की न्यूनतम परिदत्त पूंजी ५ लाख रुपये नियत करना है । आजकल यह रकम केवल ५० हजार रुपये है । इस में १० गुना वृद्धि इसलिये की गई है कि बैंकों के पास समुचित प्रारम्भिक कार्यकारी पूंजी हो और जमा करने वालों को संरक्षण मिले । इस व्यवस्था से बैंकों के गठन में सहायता मिलेगी और निम्न स्तर वाले बैंकों का प्रादुर्भाव नहीं होगा ।

विधेयक के खंड ४ और ६ परस्पर संबंधित हैं । खंड ४ में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित बैंक में नकद रक्षित राशि कुल दायित्व का कम से कम तीन गुना होना चाहिये । मांगने पर मिलने वाली और निर्धारित समय वाले अन्तर को मिटा कर सब दायित्वों के मामले में ३ प्रतिशत समान दर कर देने से उक्त परिवर्तन आवश्यक हो गया है ।

खंड ५ में यह निर्धारित किया गया है कि बकों में दायित्वों का कम से कम २५ प्रतिशत भाग नकद, सोना अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप मैं निर्वहन किया जाये ताकि यह तत्काल उपलब्ध कराई जा सके । भविष्य मैं अनुसूचित बैंकों मैं २८ प्रतिशत और अनुसूचित

बैंकों में २८ प्रतिशत तथा ४० प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकने वाली दायित्व की व्यवस्था की गई है। यह संपूर्ण व्यवस्था नमनशील है। ऐसा करते समय बक द्वारा दी गई अग्रिम राशि, उनका मुनाफा तथा देश की आवश्यकता आदि पर ध्यान रखा जायेगा।

संपूर्ण विधेयक में हमने बैंकों में पूंजी जमा करने वालों और विशेषत: भारतीय जनता के हितों में ध्यान को रखा है। आज बैंकों के पास व्यापक साधन हैं। देश की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी नीतियों पर उनका बड़ा प्रभाव है। इस विधेयक में बैंकों पर नियंत्रण की जो व्यवस्था की गई है वह उचित और युक्ति संगत है, स्वस्थ और आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सभा को इनम कोई आपत्ति नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं। इस बात से सब लोग सहमत हैं. जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि बैंकिंग उद्योग ने अपनी स्थिति स्थिर कर ली है और यदि किसी बैंक द्वारा गलत कदम न उठाये जायें; भारत में बैंकिंग उद्योग को कोई खतरा नहीं होगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह सुझाव दिया था कि जब तक रक्षित निधि और पूंजी निक्षेपों के ६ प्रतिशत के बराबर न हो, तब तक बैंकों को लाभ का २० प्रतिशत अलग रखते जाना चाहिये। परन्तु यह विधेयक उन लाइनों पर नहीं लाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि निक्षेप बढ़ जायेंगे परन्तु यह नहीं पता कि लाभ में से २० प्रतिशत का हस्तांतरण चिरकाल तक क्यों जारी रहे?

बैंकिंग उद्योग में गुप्त रक्षित निधि का उपबन्ध है और अधिनियम बैंकिंग कम्पनियों को गुप्त रक्षित निधि की राशि को संतुलन पत्र में न दिखाने की अनुमति देता है। बोनस अंश देने के लिये ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष गुप्त रक्षित निधि के रूप में रखे गये हैं। उस पंजी और रक्षित निधि में किसी अनुपात का अवश्य होना विकासशील अर्थ व्यवस्था में समझ में नहीं आता है। इसके स्पष्टीकरण की जरूरत है।

देश की अर्थ व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के हित में छोटे बैंकों को कायम रखना चाहिये। ५०,००० रुपये की पूंजी की न्यूनतम सीमा जारी रखी जानी चाहिये, उसे बढ़ाकर ५ लाख रुपये नहीं किया जाना चाहिये।

बैंकों की तरलता को बढ़ा कर २८ प्रतिशत कर दिया गया है। इसका व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनके लिए पेशगियों की राशि कम हो जायेगी। १० प्रतिशत तरलता कायम रखी जानी चाहिये थी।

देसाई पंचाट का असर यह होगा कि जिन बैंक कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल रहे हैं उनको और भी अधिक वेतन मिलने लगेंगे तथा जिन कर्मचारियों को कम मिल रहा था उनको उतना ही मिलता रहेगा जो उनको दो वर्ष पूर्व मिल रहा था। इससे उनके वेतनों का अन्तर बढ़ जायेगा। इसे रोका जाना चाहिये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर): दक्षिण में बैंकों के असफल हो जाने की प्रवृत्ति को देखते हुए, इस विधेयक का स्वागत ही करना चाहिये। किन्तु जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, ये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

जमा करने वालों के हित में दिखाई देते हैं, किन्तु इन का प्रभाव बहुत गहरा होगा। विधेयक के खंड ५ में जो संशोधन है, उसमें 'सार्वजनिक हित' शब्दों से बैंकिंग कम्पनी को भारत में कार्यालय खोलने के कारण अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। इस से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी कठिनाई होगी। और बेईमान आदि किसी भी बैंकिंग कम्पनी को अपना कारबार जारी रखने से रोक सकेंगे। इससे निकटवर्ती देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वे हमारी विधियों की नक्ल करेंगे। इस लिए हमारे उन भारतीयों को जिन का कारबार देश के बाहर है नुक्सान पहुंचेगा। इस लिये खंड ५ के संशोधन को हटा देना चाहिये। जहां तक खंड ७ का सम्बन्ध है, उस उपबन्ध को लाने की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई, यदि उसे स्वीकार कर लिया जायेगा, तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी छोटे छोटे निक्षेपकों का शोषण कर के बहुत अधिक वेतन ले सकेगा। इसलिए इस के स्थान पर मूल उपबन्ध को रखना अधिक अच्छा होगा। दूसरे पहलुओं पर मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री मुरारका** (झूझनू) : मैं इस विधेयक के लाभदायक उपबन्धों के लिए इस का स्वागत करता हूं। कुछ उपबन्ध निक्षपकों के हित में हैं, कुछ हिस्सेदारों के हित में और कुछ स्वयं सरकार के हित में हैं।

यह सत्य है कि तरलता अनुपात २० से २८ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस में भी सन्देह नहीं कि बैंकों के निक्षेप बढ़ रहे हैं। बैंक जनता को अपना ऋण इतना अधिक बढ़ा रहे हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ विनियोजित करने की बजाये अपनियोजन कर रहे हैं। सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम के लिए यह प्रवृत्ति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। यह विधेयक जो तरलता का अनुपात बढ़ाता है, इस स्थिति को किसी हद तक सुधार सकेगा। यह कदम स्वागत योग्य है।

परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया है कि निक्षेपकों के लिए अधिक प्रतिभति क्यों आवश्यक समझी गई है। इस मामले में सभा को यह बताया जाना चाहिये कि यह सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम की सहायता करने के लिये किया गया है।

तरलता के प्रतिशत में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार तथा वाणिज्य के लिए तुरन्त कोई ऋण नहीं मिल जायेगा। बैंक उसे ३० प्रतिशत बनाये हुए हैं जब कि कानून में केवल २० प्रतिशत की व्यवस्था है।

इस उपबन्ध का स्वागत है कि किसी बैंकिंग कम्पनी के लाभ का २० प्रतिशत प्रति वर्ष रक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाना चाहिये। वह न केवल निक्षेपकों के हित में है बल्कि अंशधारियों के हित में भी।

सरकार ने निक्षेप रक्षित निधि के प्रतिशत को १५ प्रतिशत तक बढ़ाने की शक्ति ली थी। यद्यपि उसने उसे फिलहाल १२ प्रतिशत ही रखा है। आशा है कि इस शक्ति के प्रयोग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गौरीशंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : मैं इस संशोधक विधेयक का स्वागत करता हूं। यह न केवल हिस्सेदारों और निक्षेपकों के लिए लाभकारी है बल्कि इस से सरकार को भी बहुत फ़ायदा होता है ।

धारा २२ में "इस प्रकार के कम्पनी द्वारा व्यापार का करते रहना लोक-हित में होगा" शब्दों की निविष्टि से सम्भव है कि बहुत बड़ी राशि में विदेशी मुद्रा के विनियोग में संकोच से काम लिया जाये । इसलिये ये शब्द अनावश्यक हैं ।

प्रदत्त पूंजी और रक्षित निधि की सीमा ५०,००० से ५ लाख कर देने का मैं स्वागत करता हूं । यह इसलिए लाभप्रद है कि लोगों के मन में बैंकों के प्रति विश्वास पैदा किया जाये । यह कदम लोकहित में है ।

इस समय किसानों को अधिक अंश में ऋण सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय बैंक आदि द्वारा दिया जा रहा है । यदि उन समस्त संस्थाओं द्वारा एकरूपी नियम बना दिये जायें, तो उससे बहुत सहायता मिलेगी ।

†**श्री सु० भु० दास** (डायमंड हार्बर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह भारत में बैंकिंग संस्थाओं के निरन्तर विकास के लिए अत्यावश्यक है । बैंकिंग कम्पनी अधिनियम में वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति को मज़बूत बनाने और निक्षेपकों के हितों की रक्षा के उपबन्ध हैं, किन्तु वर्तमान विधेयक इस प्रयोजन के लिए अधिक प्रभावोत्पादक उपबन्ध करता है ।

धारा ११ के उपबन्ध का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इस से बैंकों के अन्धाधुंध स्थापित किये जाने की प्रवृत्ति रुक जायेगी ।

धारा १७ में बैंकों को अपनी रक्षित निधियों के प्रदत्त पूंजी के तुल्य होने की अवस्था में सविहित रक्षित निधि की स्थापना के बारे में दी गई छूट आवश्यक नहीं जान पड़ती है । इस मामले की पुनः छानबीन की जानी चाहिये ।

निक्षेपों और वाणिज्यिक बैंकों की कार्य निष्पादन निधियों में वृद्धि के विचार से यह वांछनीय ही है कि बैंकों की तरल निधियों में वृद्धि कर दी जाये ।

भारत का रक्षित बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जो निदेश देता है, वह उन पर बाध्य है यह उपबन्ध भी बहुत अच्छा है ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग कम्पेनीज़ ऐक्ट को सशोधित करने के लिये जो विधेयक आया है, मैं उस का स्वागत करता हूं । विधेयक के जो उद्देश्य स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में दिये हैं वे इस प्रकार हैं :

"सामान्यतः वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाना"

यह पहला उद्देश्य है । दूसरा जो उद्देश्य है वह यह है :

"निक्षेपकों को प्राप्त संरक्षण को बढ़ाना"

इस में यही दो उद्देश्य दिये हुए हैं । अगर देखा जाय तो कामर्शल बैंक की आर्थिक परिस्थिति को सम्पन्न करने के लिये और जो डिपाजिटर्स हैं उनके संरक्षण को बढ़ाने के लिये प्रिंसिपल ऐक्ट में यह संशोधन लाया गया है । इस के लिये मिनिमम पेड अप कैपिटल ऐंड रिजर्व को बढ़ाया गया है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० शी० पाटिल]

और रिजर्व फंड के बारे में जो लिमिटिंग कंडिशन थी वह निकाली गई है । कैश रिजर्व २ परसेन्ट से बढ़ा कर ३ परसेन्ट किया गया है । मेनटेनेन्स आफ दि परसेन्टेज आफ लाइबिलिटी में २० की जगह २५ परसेन्ट कर दिया गया है । २० परसेन्ट की जगह २५ परसेन्ट करने से फाइनेन्शल पोजीशन कुछ सुधरेगी । लेकिन उस में थोड़ा सा संशय मेरे मन में होता है कि सरकार उस को जितना स्ट्रेंथ करना चाहती है उतना नहीं हो सकेगा ।

हमारे यहां कामर्शल बैंक्स की जरूरत बहुत काफी है, लेकिन जो कामर्शल बैंक्स हैं उन के प्रति भी सरकार का कुछ कर्तव्य होता है । अगर पार्ट ३ देखा जाये तो उसमें बाइंडिंग अप आफ बैंकिंग कम्पेनीज़ के बारे में कुछ सेक्शन दिये हैं । उन के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट पर इस के सम्बन्ध में जिम्मेदारी आती है । जो बैंकिंग कम्पेनीज़ हैं उन के बारे में तो मेरे मन में काफी संशय है । जो लक्ष्मी बक लिमिटेड, अकोला था, जब उस का कारोबार बन्द हो गया तो उस के बाद जो डिपाजिटर्स और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन का बहुत नुक्सान हो रहा है । किसानों में भी इस बात की बड़ी चिन्ता है कि आखिर कामर्शल बैंक को वह अपना कोआपरेशन कितना दें । सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वह सेक्शन ३९ के मुताबिक इस की एन्क्वायरी करने के लिये एक आफिसर की नियुक्ति करे । वह नियुक्ति अभी नहीं की गई । प्रिफ़रेंशल पेमेन्ट्स के जो क्लेमेन्ट्स हैं और जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन के बारे में मीटिंग बुलाने और डिपाजिटस और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स को प्रूव करने का काम भी नहीं हुआ है ।

बैंक में जो डिपाजिट्स थे वे खास तौर पर किसानों के थे । एक एक किसान ने २५,००० रु० से ले कर १,५०,००० रु० तक के डिपाजिटस रखे हैं । उनकी रकम को वापस करवाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई है । इस विधेयक पर विचार होने के समय मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस गम्भीर प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं और प्रिफरेंशल पेमेंट डिपोजिट्स को देने के लिये विनती करता हूं ।

कृषि तो एक महत्वपूर्ण धन्धा है, वह प्राइमरी इंडस्ट्री मानी जाती है । किसानों के लिये कामर्शल बैंक में डिपाजिट रखना उन के हित की बात होती है । इसी लिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और जो लक्ष्मी बैंक, अकोला के डिपाजिट्स हैं उन को जल्दी ही वापस करने की विनती गवर्नमेंट से करता हूं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : जिन कुछ सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनका आभारी हूं । केवल यू० एम० त्रिवेदी ने विरोध किया है और उन्होंने संशोधनों पर आपत्ति की है । किन्तु खेद है कि उन्होंने दोनों बातों में गलत समझा है और उनके अभिप्राय को सर्वथा उलटे समझ लिया है ।

जहां तक बैंकिंग का सम्बन्ध है कार्यपालक अधिकारियों के पारिश्रमिक को समवाय निधि से जो छूट दी गई है उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों आदि के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में वर्तमान अधिनियम में भी उपबंध हैं । ये दो उपबन्ध इसलिए जोड़े गये हैं कि कुछ समय पूर्व समवाय विधि को बैंकिंग अधिनियम के बाद संशोधित किया गया था । इसे उसके अनरूप बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है । समवाय अधिनियम से छूट दिलाने का सराहनीय उपबंध इस कारण भी किया गया है कि जो कम्पनियां बैंकिंग नहीं उन में पारिश्रमिक का विनियमन समवाय अधिनियम की धाराओं के अनुसार किया जाता है, किन्तु

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग कम्पनियों में यह विनियमन भारत के रक्षित बैंक द्वारा किया जाता है। उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया ।

उन्हों ने विदेशी बैंकों के बारे में कहा कि "सार्वजनिक हित" बहुत विस्तृत शब्दावली है किन्तु वे यह नहीं समझ पाये कि कुछ बैंक ऐसे भी हो सकते है जो बैंकिंग कार्य नहीं करते । ऐसे बैंक भी हो सकते हैं जो सब प्रकार की प्रविधिक और स्थिति की विधि सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप काम करते हों परन्तु फिर देश के महान हित के लिये और अधिक बड़े सार्वजनिक हित के लिये हम समझें कि वह देश के हितों के प्रतिकूल है तो हम उसे ऐसे काम करने से नहीं रोक सकते। ऐसी आकस्मिकता का उपबन्ध करने के लिये हम ने यह उपबन्ध किया है । अतः मैं अनुरोधपूर्वक कहूंगा कि यह सराहनीय उपबन्ध है ।

बैंकिंग के सम्बन्ध में प्रभात कार के ज्ञान की मैं पहले भी सराहना कर चुका हूं और मैं अनुभव करता हूं कि बैंकिंग से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में उस ने सहायतापूर्ण जानकारी दी है । किन्तु, पता नहीं कि वह इन संशोधनों के महत्व को क्यों नहीं समझ सके । संभवतः उन्हें बैंकिंग उद्योग की अपेक्षा बैंकों के कर्मचारियों से अधिक प्रेम है अतः जिस वस्तुगत दृष्टिकोण को वे प्रायः अपनाते हैं, उसे नहीं अपनाया क्योंकि बैंकिंग उद्योग के लाभ की बजाय उन्हों ने बैंक कर्मचारियों को होने वाले लाभों का विशेष विचार किया जिस से उन का दृष्टिकोण सीमित हो गया । बैंक कर्मचारियों को अधिक वेतन देने अथवा उन के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में मैं उन के साथ हूं किन्तु ऐसे बिल पर विचार करते समय उस दृष्टिकोण की बजाय बैंकिंग उद्योग का व्यापक दृष्टिकोण लेना चाहिये ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं ने सामान्यतः विधेयक से सहमति प्रकट की है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरा अभिप्राय है कि यदि वे इस बात को देखें तो उन की आपत्तियां मान्य नहीं हो सकतीं ।

मैं उन से सहमत हूं कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में सभी कुछ स्पष्ट नहीं करना चाहिये किन्तु वास्तव में विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग पद्धति के ढांचे को एकत्रीकृत करना है चाहे उस का सम्बन्ध न्यूनतम रक्षित निधि से हो या प्रदत्त पंजी से या अन्य किसी व्यवस्था, ताकि वर्तमान परिस्थिति का सामना किया जा सके ।

उन्हों ने रक्षित बैंक के निदेश के बारे में कहा था कि प्रदत्त पूंजी निक्षेपों का ६ प्रतिशत होना चाहिये । यह सच है और वर्तमान अनुपात ५ प्रतिशत है किन्तु विचार यह था कि क्योंकि निक्षेप बढ़ रहे हैं और रक्षित बैंक को इस सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त नहीं है अतः अनौपचारिक रूप में प्रयत्न किया जाये और सब बैंक ऐसा कर रहे है । हमें कई बैंकों से प्रार्थनायें मिली हैं कि पंजी बढ़ाई जाये और हम उन्हें मंजूरी दे रहे हैं और यह अच्छा संकेत है कि बैंकों की पूंजी व्यवस्था बढ़ रही है । किन्तु उन्हों ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या इसे सदा के लिये ही ६ प्रतिशत कर दिया गया है । हम ने रक्षित बैंक के लिये शक्तियां प्राप्त की हैं ताकि वह उपयुक्त मामलों में छट दे सके । अब यह अनुभव हो कि किसी बैंक की प्रदत्त पंजी और रक्षित निधि पर्याप्त अनुपात तक पहुंच गई है तो हम छट दे सकते है । यदि सारी बैंक व्यवस्था की पूंजी पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाये तो उस समय विचार किया जा सकता है और हम उदार भाव से छट दे सकते है किन्तु आज स्थिति यह है कि बैंकों की पंजी बढ़ानी है और उस के लिये हम ने शक्तियां प्राप्त कर ली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

फिर उन्हों ने पूछा कि बैंकिंग व्यवस्था ठीक समझने पर हम २० प्रतिशत काम रक्षित निधि को स्थानान्तरित क्यों कर रहे हैं। उन्हें इन के गुणों पर आपत्ति नहीं किन्तु वे राष्ट्रीयकरण को अब अवश्यम्भावी समझते हैं। उन का मत है कि कुछ वर्षों पश्चात् बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय अंशधारियों को क्षतिपूर्ति अधिक देनी पड़ेगी। मैं इसे उचित दृष्टिकोण नहीं समझता। उन का कहना है कि कर्मचारियों को और बोनस मिलना चाहिये किन्तु इस सम्बन्ध में बैंक पंचाट है जैसेकि देसाई पंचाट जिस के द्वारा कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिये गये हैं। कुछ बैंक शिकायत करते हैं कि उन का भार बढ़ गया है किन्तु हमें तो इस से प्रसन्नता है कि इस से उसे बैंकिंग प्रणाली की पूंजी व्यवस्था के एकत्रीकरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिये। माननीय सदस्य से मुझे यही आपत्ति कहनी है।

†डा० **मा० श्री० अणे (नागपुर)** : माननीय मंत्री कृपया एक उपबन्ध का स्पष्टीकरण कर दें। धारा ११(२) के अनुसार प्रदत्त पूंजी कुल मिला कर १५ लाख से कम नहीं होनी चाहिये किन्तु धारा (२क) में रक्षित बैंक को स्वविवेक का अधिकार दिया गया है कि वह बैंक की पूंजी व्यवस्था की स्थिति उपयुक्त स्तर पर पहुंचने पर उस के लिये छूट की सिफारिश कर सकती है।

†**श्री ब० रा० भगत** : वह स्पष्टतः विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में हम दूसरे पाठ्यक्रम में बात करेंगे। इस समय मैं यहां उठाई गई सामान्य बातों को ले रहा हूं।

उन्हों ने यह बात भी उठाई थी कि पेशगियां ६० प्रतिशत तक सीमित कर देने से व्यापार और उद्योग के पास पूंजी नहीं रहेगी। माननीय सदस्य ने पहली बार व्यापार और उद्योग के लिये प्रार्थना की है।

†**श्री प्रभातकार** : मैंने कहा था बैंकर ऐसा कर सकते हैं।

†**श्री ब० रा० भगत** : बैंकर सहमत हो गये हैं। इस से व्यापार और उद्योग के साधन कम नहीं होंगे क्योंकि जैसाकि माननीय सदस्य ने संकेत किया था इस समय पंजीगत तरलता की स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि यद्यपि २० प्रतिशत की व्यवस्था है तरलता का अनुपात ३२ अथवा ३३ प्रतिशत है। यह सच है कि राज्य बैंक का तरलता अनुपात बहुत ऊंचा अर्थात् ५० से ५२ प्रतिशत है किन्तु दूसरे बैंकों का अनुपात भी १८ प्रतिशत है और कुल अनुपात ३० प्रतिशत है। यह कहना इस उपबन्ध के कारण माननीय सदस्य ने ऋण और पेशगियों में से गलत आंकड़े निकाले हैं। मैं ने पहले बता दिया है कि यह व्यापक योजना है जोकि अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हुए और बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं और संभावी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। इन सब के आधार पर तरलता अनुपात निश्चित किया गया है और यह बैंकों के परामर्श से निश्चित किये गये हैं। वे इस से सहमत हैं।

माननीय सदस्य इस बात को समझ नहीं पाये कि आज कुल निक्षेप २,००० करोड़ है, किन्तु तीसरी योजना की अवधि में इस योजना की कार्यान्विति के कारण हम निक्षेपों में ३३ प्रतिशत की वृद्धि की आशा करते हैं। इस प्रकार ७०० से ८०० करोड़ रुपये तक नये निक्षेप होंगे। और पेशगियां और ऋण इन निक्षेपों से पूरे किये जा सकते है। यह आनुषंगिक है कि इस के परिणामस्वरूप सरकार के ऋण कार्यक्रम को सहायता मिल सकती है किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम तरलता अनुपात बढ़ाना चाहते हैं ताकि बैंक सरकार की प्रतिभूतियों में अधिकाधिक पंजी लगाने के लिये बाध्य हो जाये जिस से तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हमारे ऋण कार्यक्रम को सहायता मिले।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसे तो इस योजना काल में बैंकों से प्राप्त होने वाले ७०० या ८०० करोड़ रुपये के निक्षेपों से पूरा किया जा सकता है । अभिप्राय यह है कि निक्षेपों और रक्षित निधि में होने वाली वृद्धि से ऋण कार्यक्रम और विशेष उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा । हम इसी के अनुकूल पूंजी व्यवस्था और तरलता अनुपात रखना चाहते हैं । माननीय सदस्य को इस बात की ओर ध्यान देने से नहीं चूकना चाहिये ।

निश्चय ही बैंकिंग पद्धति सुचारु रूप से काम कर रही है । हम ने विभिन्न उपायों से उस की रक्षा की है और उसे प्रत्येक संकट का मुकाबला करने के योग्य बनाया है ।

पलाई बैंक के टूटने से पूर्व देश या सभा में कोई भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं करता था कि क्षितिज पर काले बादल फिर रहे हैं । पलाई बैंक के टूटते ही देश और सभा में बहुत चिन्ता प्रकट की गई और उससे सारी बैंकिंग प्रणाली को धक्का पहुंचा । हमने सभी प्रकार की परिस्थितियों और अवसरों के लिये व्यवस्था कर दी है किन्तु बैंकिंग प्रणाली ऋण व्यवस्था पर आधारित है जो जनता के विश्वास द्वारा संचालित होती है, और यदि इस के छोटे से भाग पर भी आघात पहुंचे और पलाई बैंक तो देश के एक कोने में छोटा सा ही बैंक था तो भारी व्यवस्था डांवाडोल हो जाती है

यह कहना ठीक नहीं है कि बैंकिंग पद्धति ठीक ठाक है और उसे उपरोक्त साधनों द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता है । हम खतरा मोल नहीं लेना नहीं चाहते क्योंकि एक छोटे से बैंक को खतरा सारी बैंकिंग प्रणाली को खतरा बन जायेगा । अतः ये उपबन्ध बैंकों के सशक्त बनाने के लिये किये गये हैं ताकि वे तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में और भविष्य में प्रत्याशित कार्य कर सकें ।

किसी भी बैंकिंग व्यवस्था की मूल बात यह है कि यदि निक्षेप बढ़ जायें जैसाकि प्रतिवर्ष बढ़े हुए संसाधनों के कारण वे बढ़ ही रहे हैं तो उस से उद्योग और व्यापार तथा श्रमिकों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की देख रेख की जायेगी । इन नये उपायों का मुख्य कारण यही है न कि इस में कोई विषयगत कारण है । अतः यह कहना गलत है कि औद्योगिक ऋण की व्यवस्था विनष्ट हो जायेगी ।

श्री प्रभातकार ने पूछा कि पूंजी बढ़ा कर ५ लाख क्यों की जा रही है । यदि ह पूंजी ५०,००० रखी जाये तो छोटे बैंकों को हानि होगी । क्योंकि वे पूंजी को इतना अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे । वास्तव में वह उपबन्ध भविष्य के लिये है । जो बैंक इस समय चल रहे हैं उन पर यह लागू नदहीं होगा । यद्यपि हम छोटे बैंकों को नहीं चाहते । वे अधिक पूंजी से आरम्भ होने चाहियें । माननीय सदस्य ने कहा कि जीवन निर्वाह पर व्यय प्रासंगिक नहीं है । किन्तु उन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि इसका महत्व है क्योंकि इस से कर्मचारिवृन्द पर व्यय बढ़ जाता है । यदि कार्य संचालन के लिये निधि पर्याप्त हो तभी उस निधि से प्राप्त होने वाली आय से बैंकों के खर्च पूरे हो सकेंगे । अतः चाहे बैंक छोटा हो तब भी वह स्पर्धा के योग्य होना चाहिये । संभवतः १९४९ में या उस से पूर्व ५०,००० की पूंजी उपयुक्त होती किन्तु अब नहीं । अतः में समझता हूं कि बैंकों की पंजी व्यवस्था ५ लाख रुपये की राशि पर आधारित होनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :**

कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और बिल का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड १ अधिनियमन सूत्र और बिल का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रभातकार :** मुझे अत्यन्त खेद है कि मेरे द्वारा उठाई गई बातों को उपमंत्री ने और दृष्टि से देखा था । जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है वे तो सदा उद्योग के विकास में रुचि रखते हैं, इसी लिए उन्होंने सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों का सदा स्वागत किया है । पलाई बक या लक्ष्मी बैंक के टूटने का कारण तो यह था कि बैंक अधिपतियों ने संसद् द्वारा पारित की गई विधियों का उल्लंघन किया था । अतः मैंने इस विधेयक का समर्थन किया है ।

मैंने यह आशंका प्रकट की थी इस विधेयक के पारित होने पर बैंकों के स्वामी चीखे चिल्लायेंगे अतः यह पहले से सोच लेना चाहिये कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में मेरा अभिप्राय यह था कि समाजवादी विचारधारा के कारण जब उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तो रक्षित निधि के कारण क्षतिपूर्ति अधिक देनी पड़ेगी । अन्यथा मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री ब० रा० भगत :** श्रीमान मैंने माननीय सदस्य को वचन दिया था, अतः एक उत्तर देना चाहता हूं । उन्होंने एक विशेष धारा के बारे में पूछा था कि वह क्यों रखी गई है ।

हमने विधेयक द्वारा ऐसी शक्तियां प्राप्त की हैं जिनसे २० प्रतिशत लाभ विशेष रक्षित निधि को अन्तरित किया जा सके । अतः इस उपबन्ध द्वारा हम यथावश्यकता विदेशी बैंकों को उस प्रतिबन्ध से मुक्त करने का अधिकार पाना चाहते हैं । हम खण्ड ३ धारा १७(१क) के अधीन भारतीय बैंकों को भी वैसे ही छूट देने के अधिकार चाहते हैं । जब हम समझें कि बैंक के पास काफी रक्षित निधि है और लाभ के निरन्तर अन्तरित करने की आवश्यकता नहीं तो हम उन्हें छूट दे सकेंगे ।

धारा ११ (२क) का सम्बन्ध विदेशी बैंकों से है और धारा १७ (१क) का सम्बन्ध भारतीय बैंकों से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्ना नियंत्रण (आदेश) १९५५ के कुछ मामलों में पश्चात्गामी प्रभाव से संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शीघ्र शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पहले तो मैं गन्ना नियंत्रण आदेश के खण्ड ३ का संक्षिप्त इतिहास बताना चाहता हूं जिसे भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करना आवश्यक है और जिसके लिए इस विधेयक द्वारा अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं । इस खण्ड में गन्ना उत्पादकों को गन्न का न्यूनतम मूल्य देने का उपन्बध किया गया था । सितम्बर, १९५२ में खण्ड ३ जोड़ कर यह अनिवार्य बना दिया गया कि चीनी निर्माता गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अतिरिक्त मूल्य दें । १९५३–५४ और १९५७–५८ के बीच जब चीनी का मूल्य अधिक था पहले पहल स्वेच्छा से अतिरिक्त मूल्य देने की योजनाएं बनाई गईं और जो उत्तर और दक्षिण खण्डों में लागू रहीं । दक्षिण में इसे सीमा सूत्र कहा जाता था । दक्षिण में गन्ना उत्पादक और चीनी निर्माता मिल कर इसका फैसला किया करते थे और उत्तर में सरकार उत्पादकों और उद्योग से परामर्श करके मूल्य निर्धारित करती थी । महाराष्ट्र में तो यह सिद्धान्त अब तक सुचारू रूप से चल रहा है । उद्योग में शान्ति रही है और वर्ष के प्रारम्भ में या समय समय उद्योग-पति और उत्पादक मिल निर्धारण करते रहे हैं । १९५७–५८ में एक करोड़ से अधिक रुपया स्थगित भुगतान के रूप में दिया गया था । कुछ शिकायतें मिली थीं जिसके लिए १९५५ में गोपालकृष्ण समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने कतिपय सिफारिशें कीं और चीनी के मूल्य में अनुचित वृद्धि के समय अधिकांश रूप से लागू करने के लिए एक सूत्र का सुझाव दिया ।

सरकार ने प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया । इस सूत्र को भी संविहित रूप दे दिया गया । परन्तु इस बारे में कृषकों के अंशदान के बारे में कुछ निश्चित नहीं हो पाया । इस बारे में विभिन्न कारखानों की लागत के बारे में कोई निर्णय न हो सका । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस बारे में कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी । जुलाई, १९५८ में गन्ने की कीमतों पर नियन्त्रण कर लिया गया और लागत के बारे में फैसला करने का काम प्रशुल्क आयोग को दे दिया गया । १९५९ में गन्ना उत्पा-दकों को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम बनाया गया । १९६० को पुनः मामला प्रशुल्क आयोग को दिया गया ताकि सब मतभेदों को भुला दिया जाय । पहले सूत्र से दोनों पक्ष ही असन्तुष्ट थे । प्रशुल्क से प्रार्थना की गई कि वह इस सूत्र की पूरी छानबीन करे । इस पर सारी छानबीन और सोच विचार करके आयोग ने १९६१ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जून १९६१ को उसे सभा पटल पर रख दिया गया था ।

विभिन्न रूप में चीनी की अर्थव्यवस्था की उलझनों के कारण हम उस सूत्र को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सके । परन्तु देर होनी कुछ जरूरी ही थी । अब तो अन्तिम स्थिति आ गयी है । सरकार खण्ड ३ क में संशोधन करके गन्ना नियंत्रण आदेश और उस सूत्र में संशोधन कर सकती है । परन्तु उसे कार्यान्वित करने का प्रश्न बना रहेगा अतः विधेयक के उपबन्धों में जिन शक्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

की व्यवस्था की गई है वह सरकार लेना चाहती है। वर्तमान सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए भी हमें सदन से अधिकार प्राप्त करने होते। अब तो १ नवम्बर, १९५८ से लेकर आज तक उस सूत्र को लागू करना है, भूतलक्षी प्रभाव से। इस संशोधन के अन्तर्गत हम यही अधिकार मांग रहे हैं।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का उल्लेख मोटे तौर से सभा के सम्मख कुछ समय पहले रखे गये संकल्प में किया गया था। आयोग ने जिस सूत्र का सुझाव दिया था वह सूत्र हमें पसन्द नहीं था क्योंकि हम समझते थे कि उत्पादन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः हमने वर्तमान सूत्र को आधार बनाना ही अधिक अच्छा समझा तथा यह भी अच्छा समझा कि आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायें। इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि उद्योग और उत्पादक दोनों को मुनासिब अंश प्राप्त हो जायेगा।

गन्ने की कीमतों के बारे में सरकार की नीति सरकार के संकल्प में व्यक्त कर दी गयी है और अन्तिम निर्णय प्रशुल्क आयोग की सिफारिसों के अनुसार कर दिया जायेगा, और सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जायेगा। अतः बड़ी सीधी बात है कि सरकार को खण्ड ३क के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकार दे दिये जायें।

इस सूत्र को हमें प्रथम नवम्बर १९५८ से लागू करना था तथा इस प्रयोजन के लिये हमने खण्ड ३क तथा आदेशों की अनुसूची को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करना था। अतः इसके लिए मांगी गई शक्तियां आवश्यक थीं। महाराष्ट्र और गुजरात तो इसमें कहीं भी नहीं आते। उनका शुरू से ही अपना सूत्र है और वह आगे के लिए भी कायम रहेगा। उनका प्रशासन उन्हीं सम्बन्धों से होता है। वहां राज्य सरकार का प्राधिकार है। केवल दो पक्षों में समझौता करवा दिया जाता है। वहां कोई अनिवार्यता नहीं है। हम १.६२ नया पैसा प्रति मन देते हैं परन्तु महाराष्ट्र में मूल्य २ रुपये मन है। कभी कभी तो यह २ रुपये ४ आने तक भी चली जाती है। अतः इसे बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्रीय सरकार को मजबूर नहीं कर सकती। गुजरात में तो बहुत से कारखाने हैं ही नहीं। अधिकतर यह महाराष्ट्र का ही प्रश्न है। अब तो उत्पादक भी इस दबाव को मान गये हैं कि हम और अधिक उत्पादन करेंगे। उद्योग और उत्पादक सहयोग से चल रहे हैं और यही कारण है कि चीनी उद्योग वहां तुलनात्मक रूप में सब राज्यों से आगे है और उसकी स्थिति भी बहुत ठीक है। यह ठीक है कि उसके लिए १९५७–५८ में १.३७ करोड़ की अतिरिक्त राशि देनी पड़ी थी। इसे हमने काट लिया है।

आंध्र प्रदेश के सविस्तार आंकड़े देने तो संभव नहीं, बहुत समय लगेगा। परन्तु इतना आपको बताना चाहता हूं कि १९५७–५८ के वर्ष में यह आंकड़ा बढ़ कर २०.९९ लाख हो गया। यहां का प्रति एकड़ उत्पादन महाराष्ट्र के समान नहीं है। मद्रास में यह ८.१० लाख है, क्योंकि वहां मिलों की संख्या बहुत कम है। मैसूर में यह १६.८९ लाख है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से इन वर्षों में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। हां उत्तर प्रदेश ने ५१.०५ लाख रुपये अदा किये हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। आप अनुमान लगाइये कि यदि उन्हें चालू रखा जाता तो हालत क्या होती। बहुत सी मिलें उत्तर प्रदेश में थीं। मध्य प्रदेश ने एक लाख रुपया दिया, और वह भी एक बार। पंजाब ने एक बार ३,७३,००० रुपये दिये, बिहार ने एक बार १४,००० रुपये दिये। पश्चिमी बंगाल ने एक बार ५३,००० रुपये दिये, उड़ीसा ने एक बार १५,००० रुपये दिये। केरल ने भी सारे सालों में मद्रास और आन्ध्र प्रदेश की तरह दिया। केरल में केवल एक कारखाना है। १९५७ की अन्तिम अदायगी २,४९,००० थी। इस के बाद भी

उनकी ओर से लाखों आते रहे हैं। इनको कानून की कोई जरूरत नहीं हुई। प्राइवेट तौर पर ही बातचीत द्वारा वे फैसला कर देते रहे हैं। अब नये सीजन पर प्रथम नवम्बर से हम भूतलक्षी सूत्र लागू कर रहे हैं।

फारमला चाहे आप पहला मानें या दूसरा, प्रशुल्क आयोग की मानें अथवा न। प्रश्न है कि कौन सा सूत्र अदालती छानबीन के आगे टिक सकता है। क्योंकि यह अब तक एक व्यक्ति की इच्छा की बात नहीं रह गयी है। अतः हमें उत्पादकों के हित में जो भी सूत्र निर्धारित किया जायेगा, उसे सभा पटल पर रखा जायेगा और सदन उस पर चर्चा कर सकता है। सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि उसका रवैया कठोर नहीं होगा। चीनी और गन्ने के मूल्यों को सम्बन्धित करने में सरकार यह पूरा प्रयत्न करेगी कि उद्योग और उत्पादक इसका पूरा लाभ उठा सकें। अन्ततोगत्वा मेरा निवेदन है कि हमने जो भी सूत्र अन्तिम रूप में स्वीकार किया हमें उसे १९५८ के भूतलक्षी प्रभाव के अनुसार लागू करना होगा और इस विधेयक का इतना ही सरल सा उद्देश्य है कि खण्ड ३क को संशोधित करके सरकार को शक्ति दे दी जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कुछ संशोधन भी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या १ विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के बारे में प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मैं अपना संशोधन संख्या २ विधेयक को एक प्रवर समिति.. को सौंपे जाने के बारे में प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मूल प्रस्ताव और संशोधन संख्या १ और २ सभा के समक्ष हैं।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी :** (मारकापुर): मैंने वह सब बातें बड़े ध्यान से सुनी हैं जो कि मंत्री महोदय ने कही हैं। सरकार यह अधिकार चाहती है कि इस सूत्र को भूतलक्षी प्रभाव के अनुसार लागू कर दिया जाय। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इससे पूर्व कि हम यह अधिकार सरकार को दें सदन को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि विधेयक द्वारा प्राप्त की जाने वाली शक्तियों अथवा अधिकारों को गन्ना उत्पादकों के हित में प्रयोग किया जायगा। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि इस संशोधन की इस लिए जरूरत हुई है क्योंकि प्रशुल्क आयोग ने इस प्रकार की सिफारिशें की हैं।

एक बात इस दिशा में हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है उसका सारांश केवल यह है कि चीनी का अधिकतम मूल्य गन्ने का अधिकतम मूल्य भी हो। परन्तु उन्होंने चीनी निर्माताओं द्वारा कमाये जा रहे भारी मुनाफों का कोई उल्लेख नहीं किया। रक्षित बैंक ने अपने १९६१ के बुलेटिन में कहा है कि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां चीनी बना रही हैं उनमें से ७९ प्रतिशत ने १९५५ से १९५९ के बीच ५१.२ करोड़ रुपय का मुनाफा कमाया। कई तो २० प्रतिशत वार्षिक मुनाफा कमा रहे हैं। परन्तु प्रशुल्क आयोग ने इस तथ्य की निरन्तर उपेक्षा कर दी है।

अतः इस परिस्थिति में मेरा निवदेन है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो प्रस्थापनाएं तैयार हो रही हैं, उनसे गन्ना उत्पादकों के हितों को हानि पहुंचाने की जो सम्भावना है उसे दूर कर दिया जाये। इस बात की पूरी सम्भावना है कि निर्माताओं द्वारा कमाए गये नफे में से उत्पादकों को कुछ प्राप्त न

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यलमन्दा रेड्डी]

हो। यह भी भय प्रकट किया गया है कि शायद गन्ने की कीमत ही कम कर दी जाय। क्योंकि प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनुसार उत्पादन की मात्रा के आधार पर गन्ने के मूल्य निर्धारित किय जायें।

माननीय मंत्री महोदय को इतना बताना चाहिए कि आखिर इस पुनरीक्षित सूत्र से किस को लाभ होने जा रहा है। क्या कारखाने वाले भी किसानों को भूतलक्षी प्रभाव के अनुसार ही अदायगी करेंगे, अर्थात् १९५८ से। अतः मेरा निवदेन है कि सरकार को सब से पहले पुनरीक्षित गन्ना आदेश तैयार करना चाहिए था तथा उसे सभा के सामने रखना चाहिए था। उसके बाद ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इससे सदन को यह निर्णय करने में आसानी होती कि इस सूत्र से वास्तव में किस को लाभ पहुंच रहा है। यदि उत्पादक के हित की बात होती तो अधिकार अथवा शक्तियां तुरन्त सरकार को प्रदान कर दी जाती। अतः मेरा यही आग्रह है कि हमें शीघ्रता न करके गन्ना आदेश सब से पहले पारित करना चाहिए।

†**श्री अजीत प्रसाद जैन**: (तुमकुर): इस विधेयक पर चर्चा करते हुए हमें इस सूत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के बारे में पुराना इतिहास भी देखना चाहिए। १९५३ में श्री रफी अहमद किदवई ने यह सुझाव दिया था मिल मालिकों को स्वयं ही नफे का कुछ अंश उत्पादकों को दे देना चाहिए। १९५५ तक ऐसा चलता रहा और इसी सूत्र को २७ अगस्त, १९५५ को संविहित रूप दे दिया गया। उसमें गन्ने की कीमत निर्धारित करने का ढंग भी बतलाया गया। उस समय कम से कम कीमत १/५/–निर्धारित की गयी। फिर १/७/– और आज यह १/१०/– इसके अतिरिक्त मिल मालिकों को लाभांश भी देना होता था। १९५८ में इस सूत्र का संशोधन कर लिया गया, क्योंकि १९५५ के सूत्र के अनुसार जो व्यवस्था थी उससे मिल मालिक और गन्ना उत्पादक दोनों असन्तुष्ट थे। मैं उस समय खाद्य तथा कृषि मंत्री था अतः मैंने यह सूत्र प्रशुल्क आयोग के सुपुर्द कर दिया था ताकि मतभेद दूर हो जायें; परन्तु अब के प्रतिवेदन में तो प्रशुल्क आयोग ने और भी कई नयी बातें की हैं।

मेरा निवदेन है कि यह तर्क ठीक नहीं है कि चूंकि मूल्य निर्धारण फार्मूले पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है इस लिए सरकार चीनी की कुल लागत के अनुपात से गन्ने का प्रतिशत मूल्य निश्चित नहीं कर सकती है। सरकार को वैसा करन से कोई नहीं रोक सकता। उनके लिए उस सूत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए सभा से शक्तियां लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार मिलों को पुनर्वास भत्ता व निर्यात–हानि देने में कोई नुक्सान नहीं है परन्तु वैसा भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जाना चाहिये। उस भत्ते के अतिरिक्त मूल्य अथवा बोनस में से दिय जाने का भी कोई औचित्य नहीं है जिसके हकदार उत्पादक हैं। विधेयक का मुख्य दोष यह है कि वह भत्ता थोड़ी सी मिलों के लाभ में से अन्य कारखानों को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी विचार है कि चीनी की कुल लागत में से गन्ने की लागत का प्रतिशत बदलने के लिये विधेयक लाना आवश्यक नहीं है। यह किसान एवं समाज दोनों के विरूद्ध है। यदि सरकार अतिरिक्त शक्तियां चाहती है तो वे चीनी की कुल लागत में गन्ने की लागत का प्रतिशत निश्चित करने के सीमित प्रयोजन के लिये होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का मूल्य आज निश्चित कर दिया गया है। अब इसमें अदल बदल नहीं हो सकती। न आप बढ़ा सकते हैं और न घटा सकते हैं। कर भी वसूल कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सभी कुछ हो गया है।

भारत में ८० या ९० चीनी के कारखाने हैं। इनमें से केवल ३० या ४० कारखाने अतिरिक्त मूल्य अथवा बोनस देते हैं। इसका भुगतान कारखानों के नफे पर निर्भर करता है। अतः चीनी की कुल लागत में से गन्ने की लागत का प्रतिशत बदलने के लिये विधेयक लाना आवश्यक नहीं है। यह किसान एवं समाज दोनों के विरुद्ध है। यदि सरकार अतिरिक्त शक्तियां चाहती है तो वे चीनी की कुल लागत में गन्ने की लागत का प्रतिशत निश्चिय करने के सीमित प्रयोजन के लिये होनी चाहिए।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसका प्रभाव देश के करोड़ों गरीब किसानों पर पड़ता है। यह सभी अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्र की आय में जो वृद्धि हुई है उसमें से बहुत थोड़ा भाग ग्रामीणों को मिला है। उद्योगपतियों को सदैव लाभ पहुंचा है। सरकार का ध्यान विशेषतः उद्योगपतियों तथा शहरी इलाकों की ओर अधिक है और गांवों की ओर कम ध्यान दिया गया है। ग्रामीण लोग वर्तमान प्रशासन से संतुष्ट नहीं हैं। गन्ने के उत्पादन मूल्य के बारे में कभी कोई जांच नहीं की गई है। अभी हाल में एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जिसने गन्ने के उत्पादन मूल्य को कम दिखाया था। कोई भी व्यक्ति किसान के उन खर्चों की ओर ध्यान नहीं देता जो कि वह खर्च करता है। लागत का प्राक्कलन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। यद्यपि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि चीनी उद्योग के लाभ की मात्रा कायम रखी जाय परन्तु किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई है। प्रशुल्क आयोग ने विचित्र तर्क पेश किया है कि गन्ना उत्पादकों को अस्थगित भुगतान की योजना खत्म की जानी चाहिये क्योंकि गन्ने का कंट्रोल मूल्य उससे अधिक है जितना कि अन्य फसलों से प्राप्त किया जा सकता है और उपभोक्ताओं के हित में गन्ने की मूल्य कम किया जाना चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अधिसूचना में कोई ऐसी बात न हो जो कि गन्ना उत्पादकों के अहित में हो। औसतन वसूलियों के आधार पर भुगतान करने से उत्पादकों को लाभ न होगा और इससे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

अतः औसत दर पर भुगतान किया जाना चाहिये जो कि ठीक है। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बात का प्रयत्न हो कि किसानों को कोई हानि न हो तथा माननीय मंत्री महोदय ने जो वचन दिये हैं उनका पूरा पूरा पालन किया जाता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (धर्मपुर) : मैं एक ऐसे राज्य से आ रहा हूं जहां चीनी की मिले कम हैं। गत चार वर्षों से पश्चिम बंगाल के गन्ना उत्पादक मूल्य सम्बन्धी सूत्र को कार्यान्वित करने के लिये मांग करते रहे हैं। और विधेयक के द्वारा सरकार जो पूर्ण अधिकार प्राप्त कर रही है उससे इन वायदों को पूरा करना और भी संदेहपूर्ण हो जाता है।

अभी तक बारबार प्रयत्न किये गये हैं लेकिन कोई ठीक से निश्चित नहीं हो सका है। तब कहीं जाकर १९५८ में एक स्थिर सूत्र तैयार किया गया। १९६० में जाकर श्री पाटिल ने यह स्वीकार किया कि इस सूत्र को क्रियान्वित करने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

यदि सरकार मूल्य सूत्र में सुधार करना आवश्यक समझती, तो ऐसा करने के लिए उस के पास पर्याप्त अधिकार थे परन्तु वह चुप बैठी रही और इस को लागू करने के लिए उस ने कुछ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

नहीं किया। इसे भूतकाल से लागू करने का प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ कि सरकार मिल-मालिकों के पक्ष में इस सूत्र में रूपभेद करना चाहती है, जो पहले ही बड़े लाभ उठा चुके हैं।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

चीनी नियंत्रण आदेश के संशोधन पर मुझे एतराज है। विधेयक का खण्ड २ सरकार को पूर्ण अधिकार देना चाहता है। यदि सरकार के दिल में किसानों का भला करने की इच्छा है, तो उसे खण्ड २ में ही नहीं बल्कि सूत्र में भी रूपभेद करना चाहिए।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : माननीय सभापति जी, जो बिल सदन के सामने विचाराधीन है, वह देखने में और शब्दों के पढ़ने में बहुत साधारण मालूम होता है। हो सकता है कि यह बिल इस सदन के सदस्यों के लिए, चीनी मिलों के मालिकों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए साधारण हो, लेकिन गन्ना के उत्पादकों के लिए तो यह एक घातक चीज है। क्यों है? यह स्पष्ट है इसलिए कि जिस अनुचित मुनाफे का कुछ हिस्सा चीनी मिल मालिकों से ले कर उपभोक्ताओं को दिया गया था, उसका कुछ हिस्सा उनको नहीं मिला जिन्होंने इस उद्योग को बढ़ाने में काफी श्रम किया और श्रम ही नहीं किया बल्कि अभी भी अपना बलिदान करते हैं। इस शुगरकेन कंट्रोल (ऐडीशनल पावर्स) बिल के विषय में आगे बढ़ने के पहले मैं सभापति महोदय, आप के द्वारा, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चीनी के उद्योग धंधे को उन्नत करने वाले वे किसान जो आज भी परिश्रम कर रहे हैं देश के उस हिस्से से आते हैं जहां पर कभी कभी उन का सर्वस्व प्राकृतिक प्रकोप के कारण नष्ट हो जाता है। इस समय आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को देख लें। बाढ़ के कारण कितने ही स्थानों पर गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के गन्ने के ऊपर पानी बह रहा है। मैं इस बात की चर्चा इस कारण यहां पर करता हूं कि जहां टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि गन्ने के उत्पादक अन्य खाद्यान्न के अनुपात से कुछ अधिक पैसा पाते हैं वहां उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और बिहार के उत्तरी हिस्से में गन्ना उत्पादकों की संख्या सब से अधिक है वहां इस तरह के दैवी प्रकोप भी आते रहते हैं। यह खेद का विषय है कि उन की ओर टैरिफ कमिशन और यह सरकार कुछ उपेक्षा कर रही है। क्या इस चीनी उद्योग की सुरक्षा के लिए विदेशों में उस का निर्यात करने के लिए और कुछ अंश मुनाफे का मिल मालिकों के लिए सुरक्षित होने के लिए उन गन्ना उत्पादकों के हितों की तरफ उपेक्षा की जाय?

अन्य प्राकृतिक प्रकोपों को छोड़ भी दें और केवल आने वाली बाढ़ों को ही लें तो भी इन से पीड़ित होने वाले कृषक लोगों की संख्या देश में नगन्य नहीं है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या २ करोड़ से अधिक थी। इस समय और भी बढ़ी है। सन् १९५३–५४ में जहां लगभग ३५ लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती थी वहां सन् १९६१–६२ में करीब ६० लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती हो रही है। इस का तात्पर्य यह है कि देश में गन्ने का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से उन की संख्या बढ़ रही है वैसे ही राष्ट्रीय आय में जिस में ५० प्रतिशत से अधिक कृषकों की देन है उस राष्ट्रीय आय में गन्ना उत्पादकों के कारण दिनों दिन वृद्धि हो रही है। इस दृष्टिकोण से सोचने पर कि देश की आय होगी, निर्यात चीनी का होगा और उस निर्यात की सुविधा के लिए मिलमालिकों को जो आमदनी हो रही है वह सुरक्षित रह जाय क्या किया जाय? इसके लिए जो आपने किसानों के लिए अनुपात निर्धारित किया था जो भी अंश मुनाफे का निर्धारित किया था ऐलान किया था

इस सदन के अन्दर एक बार नहीं कई बार उस को आप लेना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि इस बिल में वह बात साफ नहीं है जिससे यह मालूम होता है कि उनका मुनाफा ले ही लिया जायगा या नहीं लिया जायगा। जब आप निर्यात के लिए या इस चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना कृषकों के लाभ में से कमी करेंगे तो स्वभावतः यह अनिवार्य है कि उन का हित मारा ही जायगा। इस बात का ध्यान रखिये कि अगर आप इस तरह से गन्ना उत्पादकों को बिलकुल आप अवलम्बित समझ कर उन को दबाते रहे तो निश्चय ही उन का ध्यान उधर से हटेगा। उन के लिए जो भी मुनाफा आप की सरकार द्वारा यहां पर घोषित होता है समय आने पर वह मुनाफा मिलने के बदले यदि उस में कटौती होती है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। यदि सरकार उन्हें मुनाफा दिलाने में सफल नहीं हुई और अब उनका मुनाफा ले लिया जाय तो यह किसी तरह भी इक्विटी, या न्याय के आधार पर, उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं उस काम को छोड़ने के बदले कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। जो उसका हकदार है उस के लिए जिनका हक है उनके उस हक को ही यहां पर समाप्त कर दिया जाय––यह कहां का इंसाफ है ? आप कहेंगे कि नहीं पूरा नहीं लेंगे, कुछ कमी की जायगी। हो सकता है कि भविष्य के लिए आप ठीक करें। लेकिन जिस बात के लिए आप ने यहां एक घोषणा की उससे पीछे हटना एक लोकतंत्रीय सरकार के लिए प्रशंसा की बात नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षिक करूंगा कि उद्योगपतियों के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए केवल निर्यात ही नहीं है। चीनी का निर्यात आज से दो, चार साल पहले इतना बढ़ा नहीं था। चूंकि निर्यात को स्वभावतः हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार गन्ने की खेती को उन्नत करे और गन्ना उत्पादकों को इसके लिए प्रोत्साहन दे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकार का ध्यान उधर है और वह इसके लिए कोशिश भी करती है। लेकिन गन्ने की रीकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य तय करने की जो नीति घोषित हो रही है उस की तरफ टैरिफ कमिशन ने एक बात पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान नीति को बदल कर चीनी की रीकवरी से सम्बन्धित कर देने से किस को लाभ हो रहा है यह चीज़ आपको देखनी चाहिए। यह अवश्य दृष्टिकोण रहे कि इससे जिनको लाभ होना है उनकी संख्या कितनी होगी। अगर इस तरह से सोचने के बदले उनके मुनाफे का जो अंश होगा उसे किसानों से लेकर दूसरे उद्योग धंधों और दूसरे क्षेत्र में लगाना चाहेंगे तो स्वभावतः इससे गन्ने के उत्पादन पर आघात होगा।

मुझे इस बिल का विरोध तो नहीं करना है लेकिन सरकार को यह सुझाव देना है कि जो १९५७–५८ से लेकर अब तक की बात है उस के बारे में यह उनके मुनाफे के बारे में कुछ ऐसा संशोधन हो जो साफ हो। वर्तमान संशोधन इस समय स्पष्ट नहीं मालूम होता है। गवर्नमेंट के दिमाग में न जाने क्या है कि बात साफ नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि उनके गन्ना उत्पादकों के मुनाफे की सुरक्षा के लिए सरकार कोई संशोधन लाये। जब आप भविष्य के लिए कोई नीति अपनायें तो आपके गन्ना मूल्य निर्धारण की बात फिर सदन में आवे। जब वह बातें सदन के सामने आयेंगी तब उन पर विचार होगा। लेकिन इस समय तो यही है कि आप जो वायदा कर चुके हैं एक वर्ष से नहीं बल्कि कई वर्ष से वायदा करते आये हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपने काम भी किया और जिस काम को करने के लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल में आवश्कीय संशोधन के लिए सरकार से अनुरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विभूति मिश्रः सभापति महोदय, सिफ उत्तर प्रदेश वालों को ही बोलने का चांस मिल रहा है। बिहार वालों को भी तो इस पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक से सरकार की पूंजीपतियों के पक्ष की और उत्पादकों के हितों के विरोध की नीतियों का पता चलता है । अतः इस विधेयक को लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिये । इस विधेयक में मिलों के हितों की उपभोक्ताओं और किसानों को हानि पहुंचा कर सुरक्षा करने का प्रयास किया गया है ।

यह सम्भव नहीं हो सकता कि गन्ने की कीमत को उस से प्राप्त की गई चीनी की किस्म से सम्बद्ध किया जाये ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ७ का प्रयोग उन मिल मालिकों के विरुद्ध किया है जिन्होंने गन्ना उत्पादकों को उनके देय दामों का भुगतान नहीं किया है ?

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाये । ध्येयों और कारणों के विवरण से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है ।

मेरे विचार में चीनी मिलों को पुनः संस्थापन भत्ते के भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं है । विधेयक केवल मिल मालिकों की सहायता करता है । मैं अपील करता हूं कि गन्ना-उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिये । अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत मिल मालिकों पर मुकद्दमे चलाये जाने चाहिएं और उन्हें स्पष्ट रूप में बताना चाहिये कि वे इस प्रकार नहीं कर सकते । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस ले लें ।

गन्ने के मूल्य को उस की किस्म से सम्बद्ध करने का विरोध करता हूं । यह गलत है । यदि सरकार विधेयक को वापस नहीं लेना चाहती तो विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, पेशतर इस के कि मैं आगे कुछ कहूं, सब से पहले मैं डेफर्ड प्राइस के सम्बन्ध में थोड़ा सा कहना चाहता हूं । उसका थोड़ा सा इतिहास आपको बतलाना चाहता हूं । जब हम १९५२ में चुन कर आये उस वक्त एक रुपया तीन आना और एक रुपया पांच आना मन गन्ने का दाम रखा गया था । इस के बाद हम किदवई साहब के पास गये और उन से हम ने इस के बारे में आग्रह किया और उन को बताया कि गन्ना पैदा करने वालों को कम दाम दिया जा रहा है तो किदवई साहब ने बहुत सोच विचार कर के कहा कि हम आप को डेफर्ड प्राइस देंगे । हमें विश्वास नहीं हुआ कि मिल वाले डेफर्ड प्राइस देंगे । श्री डी० एन० तिवारी यहां नहीं हैं और अगर वे होते तो वह भी आप को बताते कि हम दोनों रात को किदवई साहब के पास गये और उन से कहा कि मिल वाले आप को ठग लेंगे और यह डेफर्ड प्राइस किसानों को नहीं मिलेगी तो किदवई साहब ने अपनी उत्तर प्रदेश की भाषा में कहा कि विभूति मिश्र तुम देखना कि मिल वाले ठगते हैं या मिल वालों को मैं ठगता हूं । यह इस डेफर्ड प्राइस का इतिहास है । उस के कोई पन्द्रह रोज के बाद किदवई साहब का स्वर्गवास हो गया उस के बाद दूसरे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आ गये और कभी भी डेफर्ड प्राइस नहीं मिली ।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि यह डेफर्ड प्राइस शरू कैसे हुई । १९१४ से १९१८ तक की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, उस वक्त हमारे जिले में एक चकिया शूगर फैक्ट्री है जिसे अंग्रेज चलाता था और उस ने डेफर्ड प्राइस दी । चूंकि उस को लाभ हुआ था उस को फायदा हुआ था इस वास्ते उस ने ग्रोअर्ज को हिस्सा दिया । लेकिन आज जो मिल वाले हैं वे न तो अपने आप देते हैं और न सरकार उनसे दिलवाती है जब एक बार कानून में यह तय कर दिया गया कि उन को डेफर्ड प्राइस मिले तो क्या वजह है कि उन को दिलाई नहीं जाती है । १९५८ के बाद से जब डेफर्ड प्राइस नहीं मिली और इस के लिये सरकार को कंम्पैल किया गया तो सरकार ने जो यह झगड़ा था इस के बारे में तय कर दिया है कि

यह टैरिफक मिशन के पास चला जाना चाहिये। जब यह मामला टैरिफ कमिशन के पास गया और उस ने इस की छान बीन की तो उस छानबीन के बाद उस ने अपनी रिपोर्ट के पेज ४८ पर लिख दिया :—

"यहां तक एक्स का सम्बन्ध है, उत्पादकों ने कहा कि प्रतिशत अंटा गन्ने के मूल्य और चीनी के मूल्य के अनुपात में होना चाहिये ।"

यह जब तय हो गया तो उस के बाद तो सरकार को कम से कम इतना तो देना चाहिये था, ६० परसेन्ट तो ग्रोअर्स को दिलाना चाहिये था लेकिन यह ६० परसेन्ट भी सरकार ने नहीं दिलवाया है । मैं समझता हूं कि सरकार इस लिये है कि वह देश का नियंत्रण करे, देश का पालन-पोषण करे, देश के जो कानून हैं, उन को ठीक तरह से लागू करे । आप के ऊपर यह इन्कम्बेंट था कि हमें ६० परसेन्ट दिलायें । यह आप ने क्यों नहीं दिलवाया । हम लोगों के रिप्रिजेंटेटिव यहां पर आ कर बैठते हैं और हर साल हम सरकार का बजट पास करते हैं । पिछले चार साल से हम सरकार का बजट पास करते चले आ रहे हैं और सरकार को चलाते आ रहे हैं लेकिन ग्रोअर्ज़ का पैसा आज तक भी हम उनको नहीं दिला पाए हैं ।

मैं एक खतरे की बात आप के सामने रखना चाहता हूं । टेरिफ कमीशन की जो रिपोर्ट है यह भानुमति का पिटरा है । इस में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं । हमारे पाटिल साहब एक योग्य और कुशल वकील हैं । मैं उन को बताना चाहता हूं कि वह बात जो कि इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में लिखी हुई है :—

नये सूत्र का निरीक्षण किया है और ऐसा विचार है कि इस को ठीक प्रकार से संशोधित कर के लागू करना उपयुक्त है ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि इसी रिपोर्ट में लिखा है कि बारह परसेन्ट जो फैक्ट्री वालों को दिया है उस में सब कुछ आ जाता है, मुनाफा, खर्चा, सूद वगैरह । अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारह परसेन्ट में रिहैबिलिटेशन क्या नहीं आता है ? हमारे पाटिल साहब भी किसानों के भक्त हैं । मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात को देखें कि १९३४ में जो शुगर मिल लगाई गई थी, उस ने आज तक कितना मुनाफा कमाया है ? अगर उन्हों ने इस को देखा तो उन की आंखें खुल जायेंगी । आज चीनी का जो कंट्रोल रेट है वह ३७ रुपये ८५ नये पैसे है जिस में ३७ रुपये ३५ नये पैसे तो कीमत है और ५० नये पैसे उन को और दे दिये गये हैं कि अगर घाटा वगैरह हो तो उस को वे पूरा कर लें । जो भाई कलकत्ता के रहने वाले हैं वे इस को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर ४१ रुपये मन चीनी बिक रही है । अब चीनी की एक किस्म नहीं है, उस की कई किस्में हैं । जो मीटा दाना होता है, उसका दाम ज्यादा है और जो पतला दाना होता है, उस का दाम कम होता है । जो कारखानेदार हैं वे अब तक अपना मुनाफा बराबर लेते आये हैं । मैं सभापति महोदय, आप का ध्यान उन गवाहियों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि टेरिफ कमिशन ने ली हैं । उस ने किसी भी किसान की गवाही नहीं ली है । इस हाउस में पांच सौ से ज्यादा मैम्बर हैं, जिस में से कुछ किसान भी हैं और बड़े बड़े किसान भी हैं । लेकिन एक भी लोक सभा के मेम्बर की टैरिफ कमिशन ने गवाही नहीं ली है । मेरे जिले में नौ शुगर फैक्ट्रियां हैं, मेरे बगल वाले जिले में, सारन में आठ शूगर मिलें हैं लेकिन वहां पर किसी की गवाही नहीं ली गई है ग्वाहियां ली गई हैं; लखनऊ में बैठ कर के, पटना में बैठ कर के, कलकत्ता बम्बई और मद्रास में बैठ कर के और उन गवाहियों के आधार पर उस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । उस टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमारे पाटिल साहब ने भी अपना बिल बनाकर इस हाउस के सामने पेश कर दिया है । इस तरह से जब रिपोर्ट दी जाती है तो स्वाभाविक है, कि उस पर शक हो और शक होता है कि सरकार पर भी कि वह क्या करेगी । २२ अगस्त,, १९६२ के एक रेजोल्यूशन

सरकार की तरफ से पब्लिश किया गया था। उस में सरकार ने कहा है कि रिहैबिलिटेशन की कास्ट वगैरह सब चीज रहेगी। उस में यह लिखा हुआ है :

सरकार की राय में वर्तमान सूत्र उचित संशोधन कर के इसे लागू करना उचित होगा।

हमें इस में सब से बड़ा खतरा यह मालूम देता है कि पहले एलाउन्स फार रिहैबिलिटेशन एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस, यह करार नहीं था। हमारा आप का करार तो पहले से यह है कि आप हम को एक रुपया दस आने और एक रुपया आठ आने देंगे। इस करार के मुताबिक सरकार का कर्तव्य है कि इतना पैसा वह हम किसानों को दिलाये अगर सरकार इतना पैसा किसानों को नहीं दिलाती है तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन नहीं कर रही है। माननीय त्यागी जी ने तथा माननीय जैन साहब ने अपने भाषणों में कई बातें कहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज सवाल इतना सा ही है कि जब किसान को चार पैसे मिलने की बात आती है तो पचासों बखेड़े उस में नजर आने लग जाते हैं, कई बड़ंगे लगाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर टैरिफ कमिशन में इस सदन का एक भी सदस्य होता, चाहे वह कोई भी होता, लेकिन वह किसानों के, काश्तकारों के दुख और दर्द को जानने वाला होता, तो यह जो टैरिफ कमिशन को रिपोर्ट है यह दूसरी ही होती।

हमारे भाई ने कहा है कि कानून नहीं है। मैं नहीं कहता कि कानून नहीं है। लेकिन कानून को बदला जा सकता है और उस में कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे जिले में अंग्रेजों में किसानों से जबरदस्ती लिखा लिया था कि वे मालगुजारी बढ़ा सकते हैं और किसानों ने बढ़ी हुई मालगुजारी देना भी शुरू कर दी थी। लेकिन मोहन दास करम चन्द गांधी जिन को गांधी जी के नाम से सब जानते हैं, उन्हों ने जा कर उस कानून को बदलवाया और किसानों को उस सारे जिले में जो भी सुविधायें थीं, सब की सब दिलाईं। क्या उन के नाम पर राज करने वाले, उन का ही नाम लेने वाले और उन के ही बताये हुए उसूलों पर चलने वाले कांग्रेसमैन चार बरस तक किसानों का जो पैसा अटका पड़ा रहा मिल वालों के पास, १९५८ से ले कर, उस को उन्हें वापिस नहीं दिला सकते थे ? टैरिफ कमीशन के जिम्मे यह काम पड़ा रहा। लेकिन यह नहीं हो सका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन बड़ी बात थी जो हो नहीं सकती थी। ५०, ६० फैक्ट्रियों से पैसे लेने हैं। लेकिन चार वर्ष तक यह चीज टैरिफ कमिशन के जिम्मे रही। गांधी जी ने सन् १९१८-१९ में एक साल के अन्दर सारे चम्पारन भर में . . .

सभापति महोदय : अब आप का समय खत्म हो गया।

श्री विभूति मिश्र : हमारे जिले में ९ फैक्ट्रियां हैं। हमारी लाइफ लाइन जो है वह शुगर फैक्ट्रीज हैं। अगर हमारे जिले चम्पारन से शुगर फैक्ट्रीज को हटा दिया जाय तो हमारी मृत्यु हो जायेगी। हमारे लिये जीवन में आमदनी का कोई और जरिया नहीं है अलावा शुगर फैक्ट्रीज के। इस लिये मुझे पांच मिनट का समय और दिया जाये।

यहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बोले हैं और ठीक बोले हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि उस समय गांधी जी ने कानून बदलवा दिया और किसानों को राहत दिलाया। लेकिन आप ने चार वर्षों तक किसानों को डेफर्ड प्राइस नहीं दिलावाई। आप कहते हैं कि हम ने कानून बना दिया है। कानून के बारे में मुझे शक है कि आप जो कानून बना रहे हैं उस में किसानों को डेफर्ड प्राइस न मिल कर रिहैबिलिटेशन अलाउंस और एक्सपोर्ट लाईसेज जो हैं वही मिलेंगे। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप ने फैक्ट्रियों के मालिकों के फायदे को देखा नहीं है। उन से हम को ४ आ० मन छोआ का मिलता है। मैं पाटिल साहब को चेलेंज करता हूं कि वह दिल्ली के बाजार में या बम्बई के बाजार में जा

कर देखें कि क्या ४ आ० मन छोआ कहीं है। लेकिन किसानों को ४ आ० मन ही उस का दाम मिलता है। दूसरे प्रैस मड ४ आ० से ८ आ० तक हर एक फैक्ट्री वाला बेचता है, जो कि खाद के काम में आता है। लेकिन इस का दाम भी नहीं जोड़ा जाता है। उन के पास बगास है, उस का पैसा भी उन के पास बचता है।

टैरिफ कमीशन को लिखना चाहिये था अपनी रिपोर्ट में कि इतना रुपया किसानों का हर साल अनपेड रहता है, मिल वाले गन्ने का दाम नहीं दे पाते है। लेकिन टैरिफ कमिशन ने इस रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हर साल किसानों का दाम मिल वालों के पास बच जाता है। दो चार या दस बार ग्रोअर मिल वाले के पास जाता है तब भी उस का पैसा पूरा नहीं मिलता है। इस के बारे में टैरिफ कमिशन ने कुछ लिखा ही नहीं। टैरिफ कमीशन ने ऐसी बातें लिख दीं उसी पर आप कानून बना रहे हैं। यहां पर कानून इस तरह से सरकार बनाती है कि सन् १९५८ से ले कर सन् १९६२ तक जो ग्रोअर्स की डेफर्ड प्राइस है वह नहीं मिली। उन को मय सूद के वह डेफर्ड प्राइस दिलाई जायें। आप ने कहीं लिखा है कि डेफर्ड प्राइस सूद के साथ दिलायेंगे? मिल वालों के यहां हमारी डेफर्ड प्राइस बाकी हैं। अगर उन्हों ने उसे नहीं दिया है तो हम उसे लें। लेकिन आप कहते है कि ऐसा नहीं होगा। इसी सदन में शोलापुर मिल के बारे में कांस्टीट्यूशन को अमेंड किया गया, दस बजे रात में अमेंड किया। मैं समझता हूं कि यहां पर ७५ फी सदी आदमी ऐसे हैं जो कि ग्रोअर्स के, गरीब किसानों के वोट पर चुन कर आये है और यहां पर उन के हित के लिये बैठे है। आप ने संविधान में भी लिखा है कि सोशल जस्टिस होनी चाहिये। चार साल तक गरीब का पैसा नहीं मिला, उस के सूद का हर्ज कर के अपने कर्जदारों को दिया। लेकिन चार साल तक आप चुप बैठे रहे। टैरिफ कमिशन ने कहीं भी नहीं लिखा कि जिन मिल वालों ने पैसा नहीं दिया है उन्हें सजा देनी चाहिये। आप कहते हैं कि झगड़ा हुआ। झगड़ा तो हुआ, लेकिन जैसा पेज ४८ पर लिखा हुआ है, ६० फीसदी पेजेन्ट्स को, किसानों को और ४० परसेन्ट मिल वालों को मिलना चाहिये। और जो झगड़ा हुआ वह नहीं होना चाहिये। लेकिन वह भी नहीं हुआ।

पाटिल साहब त्यागी और तपस्वी हैं और किसानों के भक्त हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि जब कोई जुआ खेलता है तो कंठ पर लगाता है। सारी चीजें यहां कंठ पर रक्खी हुई है।

मुझ एक और बातें कहनी है। आंप ने लिख दिया है कि रिकवरी के ऊपर आगे जा कर दाम तय होगा, कीमत ठीक होगी। मगर यह खतरनाक बात है। इस रिपोर्ट में खुद ही लिखा है कि इस का संचालन होना मुश्किल है। लेकिन इस के बावजूद भी सरकार ने तय कर दिया कि रिकवरी के ऊपर कीमत रखी जायगी। यह सब से खतरनाक बात है। जब हमारे हाथ में सरकार आई तो किदवई साहब ने कहा कि डेफर्ड प्राइस मिलेगी, आप कहते हैं कि डेफर्ड प्राइस तो नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या इन्सेन्टिव है किसानों के लिये? एक, दो, तीन, चार या पांच एकड़ जमीन किसान जोतता है। मैं आज चैलेन्ज कर के कहता हूं कि डा० राम सुभग सिंह जो एक किसान मिनिस्टर हैं, खेती करते हैं, वे हिसाब लगा कर बतलायें, उन से हिसाब लिया जाये, कि खेती में उन को क्या बचता है। उन की खेती में कितना खर्च होता है और कितनी बचत होती है, इस का हिसाब वे सदन को दें। अगर किसान को कुछ बचता है तो किसान से पैसा लिया जाये नहीं तो न लिया जाये।

एक माननीय सदस्य : वह हिसाब देंगे क्यों?

श्री विभूति मिश्र : देंगे क्यों नहीं? यहां चेअर पर बैठ हैं तो क्यों नहीं देंगे, आप भले ही न दें? आप एक किसान की फसल को देखिये। आप को पता होगा कि सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद वह अपना गन्ना फैक्ट्री तक ले जाता है, लेकिन उस के बाद भी उस को पूरा पैसा नहीं मिलता। हमारी सरकार जो है वह टैक्स लेती है। केन्द्रीय सरकार और स्टेट की सरकार दोनों मिल कर १४

रु० ६ आ० टैक्स लेती हैं। मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि आप ने क्या केन डेवलपमेंट किया ? जो पैसा आप लेते हैं, उस में से कितना पैसा आप ने उस पर खर्च किया ? मेरा मतलब केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो ३ आ० लेती हैं केन सेस वगैरह का वह जनरल फंड हो गया, केन्द्रीय सरकार जो एक्साइज लेती है वह भी जनरल फंड हो गया, जब सभी कुछ जनरल फंड हो गया तो किसान बेचारा कैसे डेवलप करे। हम यहां बैठते हैं, ४०० रु० महीना तन्ख्वाह लेते हैं और २१ रु० रोज लेते हैं, एअर कंडिश्न्स जगह में बैठते हैं, इस लिये हम को किसानों की हालत का पता नहीं चलता। गांधी जी ने जो शर्त रखी थी कि जो जिस काम पर जाये पहले उस काम को करे, उस तरीके से काम होना चाहिये। अगर हमारे फड और एग्रिकल्चर मिनिस्टर अपने हाथ से खेती करते, अपने हाथ से हल चलाते, कुदाल चलाते, तब उन्हें पता चलता कि किसान का दुःख और दर्द क्या चीज है।

एक माननीय सदस्य : अब खेती करने वाले मिनिस्टर हैं ?

श्री विभूति मिश्र : इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर पाटिल साहब किसानों को पैसा दिलाना चाहते हैं तो रिहैबिलिटेशन अलाउंस और एक्स्पोर्ट लासेज की बात न करें। सब से बड़ी बात यह है कि हमें मंत्री महोदय से बहुत आशायें हैं, उन की मिनिस्ट्री से आशायें हैं, आगे चल कर हमें देखना है कि क्या होता है।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : सभापति महोदय, बड़े दुःख और शर्म की बात है कि हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा, जहां पर रोज कृषकों के फायदे की बातें कही जाती हैं, ऐसे बिल लाये जाते हैं जिन से किसानों का बहुत बड़ा अपहित होने वाला है। अभी कल परसों लैंड एक्विजिशन बिल आया, जिस के ऊपर इतना हाहाकार मचा। उस में अमेंडमेंट थे, और अब यह दूसरा बिल आया है गन्ना प्राइस कंट्रोल के बारे में। मैं श्री जैन से और श्री त्यागी की बातों से सहमत हूं। फार्मूला छोड़ दिया जो इस में दिया हुआ है। मैं एक सिम्पल फार्मूला आप के सामने रखता हूं। एज एन एग्रिकल्चरिस्ट मैंने एग्रिकल्चर पढ़ा और उस के बाद यू० पी० गवर्नमेंट में एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में १४ सालों तक काम किया। मैं आप को एग्रिकल्चर डिपार्ट में के फिगर्स दे रहा हूं। अगर १०० मन गन्ना पैदा होता है तो उस में से ६० मन जूस निकलता है, १५ मन गुड़ निकलता है और १० मन चीनी निकलती है। जैसा कि सरकार ने फिक्स किया है, अगर किसान की प्राइस १ रु० १० आ० मन हो, तो १०० मन का दाम १६० रु० हुआ। अगर उस में से १० मन चीनी बनी तो उस का दाम लगभग ४०० रु० हुआ। उस के बाद मिल मालिकों को ४ या ५ मन चोटा, जिस को आप मोलैसेज कहते हैं, मिलता है, खोई भी मिलती है। अगर उस का दाम ज्यादा नहीं, १० रु० ही रख लें तो कुल ४१० रु० हो गये। उस में से १६० रु० गन्ने की कीमत निकाल दें, तो भी मिल मालिक को २५० रु० बचा। उस में से मिलमालिक का प्राफिट, सेस टैक्स, एक्स्पोर्ट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह का जितना हिसाब चाहें लगा कर निकाल लीजिये। १६० रु० तो किसान को मिला, फिर २५० रु० में से कुछ कास्ट आफ प्रोडक्शन वगैरह निकाल दीजिये। अगर किसान को १०० फी सदी मिलता है तो मिल ओनर को १५० फी सदी मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जब किसान को दाम देने की बात आती है तब इस तरह के बिल आ जाते हैं कि जिस में किसानों को ठीक दाम न मिलें। जब १९५५ के एक्ट में १ रु० १० आ० दाम फिक्स हुआ था उस के बाद किसान को बोनस देना था तो वजह क्या है कि इस तरह का बिल लाया जाये ? इस बिल को लाने का मकसद क्या है ? मकसद यह है कि बोनस न दिया जा सके। मंत्री जी ने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो मिलें हैं वह गन्ने का दाम दो रुपया और सवा दो रुपया देने के बावजद किसानों को एक करोड़ ३७ लाख रुपया बोनस के रूप में दे सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश

में जहां ४० से ज्यादा चीनी मिलें हैं और जिन्होंने ५५ करोड़ मुनाफा किया, उस में से किसानों को केवल ५१ लाख दिया। इसका मतलब यह है कि जितना रुपया उनको बोनस के रूप में देना चाहिए था उतना आज तक नहीं दिया। मैं इस बिल को लाने की आवश्यकता तो तब अच्छी तरह समझ सकता जब मिल ओनर्स की ओर जो किसानों का पैसा निकलता है उसको इसके द्वारा दिलाये जाने की बात होती। मिल मालिकों ने जो २० परसेंट और २५ परसेंट मुनाफा करके जो ५५ करोड़ रुपया कमाया है उसको वसूल करके अगर किसानों को दिलाने की बात होती तो यह बिल सपोर्ट करने के काबिल होता।

आज किसान को अपने गन्ने का मूल्य एक रुपये और दस आने मन मिलता है। आप देखें कि किसान कितने परिश्रम से गन्ना पैदा करता है। यहां बहुत कम लोग होंगे जो यह जानते हों कि किसान किस प्रकार धूप में और लू में गन्ने को सींचता है और किस प्रकार जाड़े की रातों में उसकी रक्षा करता है, और फिर उसको काट कर किस प्रकार उसको मिल के दरवाजे पर तीन तीन दिन तक रुकना पड़ता है। उसके बाद उसको एक मन गन्ने का मूल्य १ रुपया १० आना मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि एक दिन मंत्री जी बैलगाड़ी में बैठ कर गन्ने के खेत की हवा खा लें, ताकि उनको अहसास हो जाये कि किसान जो पैदा करता है उसमें उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है।

यह बिल जो लाया गया है यह रिहैबिलिटेशन के लिए और एक्सपोर्ट लासेज़ को पूरा करने के लिए है। पर इन चीजों से किसान का क्या सम्बन्ध है ? उस का क्या फायदा है। अगर आप गन्ने का भाव १ रुपया दस आने मन रखते हैं तो चीनी का दाम ८ आने सेर रखिये और अगर आप चीनी का भाव एक रुपये सेर रखते हैं तो किसान को अपने गन्ने का दाम ढाई रुपये मन मिलना चाहिये। आपने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात में किसानों को गन्ने का दाम सवा दो रुपये दिया गया तो भी मिल मालिकों ने उनको एक करोड़ ३७ लाख रुपया बोनस का दिया . . . . .

श्री रा का० पाटिल : आप गलती कह रहे हो, यह बोनस उस गन्ने के दाम से अलग नहीं है, यह उसी में शामिल है।

श्री विश्राम प्रसाद : तो भी ज्यादा है।

मैं कहना चाहता हूं कि आप के पास एग्रीकल्चुरल एक्सपर्ट हैं, रिसर्च स्टेशन्स हैं, आप देख लें कि किसान जो गन्ना लाता है उसमें एक्चुअल सूक्रोज़ कंटेंट कितना पड़ता है, दस परसेंट पड़ता है या पांच परसेंट पड़ता है, चीनी का कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या पड़ता है और आपका शेयर क्या पड़ता है, और उसके बाद किसान को जो कीमत मिलती है वह उचित है या नहीं। अगर आपके हिसाब के बाद किसान का गन्ने का मूल्य कम आता है तो कम दीजिये, लेकिन अगर आप किसान के फायदे की बात करते हैं . . . . .

श्री क० ना० तिवारी (वगहा) : यह आप क्या कह रहे हैं। जब ५ परसेंट सूक्रोज कंटेंट होगा तो वह कम दाम देंगे, इससे किसका नुकसान होगा और किस पर इसका असर पड़ेगा ? आप किस का काज़ एडवोकेट कर रहे हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : मैं जानता हूं कि पांच परसेंट कभी नहीं जायेगा। नवम्बर में कम होता है, लेकिन दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में और मार्च तक ज्यादा होता है, अप्रैल में जाकर कम होता है। लेकिन पांच परसेंट कभी नहीं जाता।

मैं इस बिल का इसी शर्त पर समर्थन कर सकता हूं फिर इसके द्वारा किसानों का जो पैसा सन् १९५८ से आज तक का बाकी है वह उनको दिलाया जाय। आपने कहा कि किसानों को

महाराष्ट्र और गुजरात में इतना मिलता है । उसी हिसाब से अन्य किसानों को भी दिलाया जाये तो मैं इस का समर्थन कर सकता हूं वरना इससे किसानों को नुकसान होगा और मिल ओनर्स को फायदा होगा जिनका, मुझे विश्वास है, आपके ऊपर प्रैशर है । अगर इस बिल के द्वारा आप यह करना चाहते हैं कि मिल मालिकों को किसानों का जो बोनस देना है वह माफ कर दिया जाय, तो आप इस को वापस ले लीजिये ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (**अमरावती**) : यह विधेयक बिल्कुल निष्कपट प्रतीत होता है । सरकार इस विधेयक द्वारा सूत्र को भूतकाल से लागू करने की शक्ति लेना चाहती है । श्री अ० प्र० जैन ने बताया है कि ऐसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदेश में भी आवश्यक शक्ति सरकार के पास है । यदि सरकार इस राय से सहमत नहीं है और स्वयं को असमर्थ अनुभव करती है तो विधेयक के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । सरकार को पुनर्वास भत्ता और निर्यात से उत्पन्न हानि के बारे में तटकर आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं करनी चाहिए थीं । यदि कोई उद्योग समुचित रूप से नहीं चल रहा है, तो क्या इसका यह अर्थ है कि कच्चे सामान के संभरण कर्ता अर्थात् गन्ना उत्पादकों से उस उद्योग के पुनर्वास के लिए अंशदान करने के लिये कहा जाएगा । इस विषय में सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

चीनी उद्योग की निर्यात से उद्योग हानि वहन करने के लिए गन्ना उत्पादकों पर भार डालने में कोई युक्ति नहीं है ।

मैं इस बात से सहमत हुं कि गन्ने की कीमत और उससे प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा में संबंध स्थापित करना अव्यावहारिक है ।

गन्ना उत्पादकों पर पुनर्वास का व्यय और निर्यात हानियों को भी लादना चाहिए । यदि इस सम्बन्ध में निर्णय भी किया जा चुका है तो उसे बदल दिया जाएगा ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): सभापति महोदय, आज जो संशोधन बिल हाउस के सामने रखा गया है उसके इतिहास पर आप गौर करें तो शुरू में जैसा कि अभी बतालया गया है सन १९५५ के पहले दो दफा आपस में एग्रीमेंट होकर यह रखा गया था कि जो प्राइस जो कीमत सरकार की मिनिमम हो उस के अतिरिक्त बोनस के रूप में भी जो गन्ना पैदा करते है उनको पैसा दिया जाय । इसके बाद सन् ५५ में एक आर्डर बना कर उसको एक स्टेचुटरी पोजीशन दे दी गई। सन् १९५८ में भी उस को पुष्ट किया गया और उसके बाद अब उसकी बहुत साफ पोजीशन है । जब एक चीज यह कानूनी तौर पर बन गई कि जो गन्ना पैदा करते है उनको गन्ने की कीमत मिलेगी । जो भी एकोनामिक कौस्ट होगी उसके अतिरिक्त उनको वहां बोनस के तौर पर ऐक्स्ट्रा पेमैंट भी दिया जायेगा । मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या दिक्कत थी और क्या आपत्ति थी जब कि एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट १९५५ में बना और उस कानून को एनफोर्स किया गया तो उस कानून में सम्बन्धित धारा में यह बड़ा साफ दिया हुआ है कि अगर किसी तरीके से कोई इन आर्डर्स की ब्रीच करता है, नहीं मानता है तो पीनेल क्लाज उस तीन साल की सजा के लिए दिया हुआ है । खाद्य मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख जो यह बात रखी कि जो भी रुपया काश्तकारों को जिन्होंने कि गन्ना पैदा किया, उनको पाना है उनको वह पैसा देने के लिए लीगल सैंक्शन नहीं है । मैं उनसे इसमें सहमत नहीं हो सकता । मेरा तो यह विचार है कि कानूनी दृष्टिकोण से जब एसेंसिएल कमोडिटीज ऐक्ट एनफार्स है तो जो भी पैसा ड्यू है और जिसको कि आपने स्टैचुटरी शेप सन् १९५८ में दे दी है, कोई कानूनी आपत्ति नहीं है और वह पैसा मिल मालिकों से वसूल किया जा सकता है । यह खाली सिविल लायबेलिटी नहीं है क्रिमिनल लायबेलिटी भी है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज

†मूल अंग्रेजी में

एक्ट के अन्तर्गत यह आर्डर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पास किया है और इसके ब्रीच करने पर जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया उनको तीन साल की सजा है । मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि जब सरकार एक तरफ तो यह आवाज उठाती है कि हम देश में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था चाहते है परन्तु जब सदन के सामने कोई संशोधित बिल आता है जब सदन के सम्मुख कोई भी कानून आता है तो इस बात का प्रदर्शन होता है कि इस देश के रहने वाले मुटठी भर जो पूंजी वाले लोग है जो मिल-मालिक हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी दौलत को और जल्दी और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है ।

मुझे तो यह देख कर बड़ा हर्ष होता है कि हमारी खुद रूलिंग पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य भी इसकी मजम्मत करते हैं और बुराई करते हैं परन्तु बाद में जब मत देते का प्रश्न होता है तब मालूम नहीं क्या बात हो जाती है कि वह प्रजातन्त्रवादी भावनाएं उनमें उस समय नहीं रह जाती हैं । मैं यह समझता हूं कि अगर यह भावनाएं जिनका कि वह प्रदर्शन सदन में करते हैं और यह सिद्ध है कि वह समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत चीजें होती हैं तो फिर उनको उस तरीके पर मत देने में भी बाधा होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मुझे आपके द्वारा माननीय मंत्री से यह निवेदन करना है कि यह शक्कर का प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न है । आज तो हमने शक्कर के मामले में इस कदर प्रगति की है कि शक्कर एक ऐसी चीज है जिसको कि हम विदेशों में भी भेजते हैं । जब शक्कर के उत्पादन में मिलमालिकों को इस कदर मुनाफा होता है जैसाकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से विदित है कि उनको एक वर्ष में ५५ करोड़ रुपये के करीब मुनाफा हुआ तो ऐसा व्यवसाय जिसमें कि इतना अधिक मुनाफा होता हो, तो जो मेहनत करते हैं जो किसान गन्ना पैदा करते हैं, सुबह से शाम तक खून पसीना एक करते हैं उनके अधिकार की जो चीज़ें हैं जिनका कि आपने उनको अधिकार दिया है, जो पैसा उनको पाना है कानूनन जिसके कि वह अधिकारी हैं, एनटाइटिल्ड हैं, उस पैसे के लिये भी आप उनको इस तरह के संशोधन लाकर एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं कि उनको पैसा न मिल सके ।

यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ में यह कहा गया है कि यह संशोधक विधेयक इस लिये लाया जा रहा है कि शूगर पैदा करने वाले मिल मालिकान के लिए पुनर्वास और एक्सपोर्ट पर होने वाले ख़र्च, एक्सपोर्ट लासिज़, को पूरा करने की व्यवस्था की जाय । स्टेटमेंट आफ़ आबजक्ट्स एंड रीज़न्ज़ से इस बिल का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और साफ जाहिर होता है । इस लिए अगर सरकार इस सदन को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करे कि हम गन्ना पैदा करने वाले किसानों के हित की रक्षा के लिए यह कानून बना रहे है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मैं समझता हूं कि कोई मामूली कानून जानने वाला भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता । अगर यह प्रश्न कभी भी किसी न्यायालय में जायगा, तो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ के आधार पर कभी भी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो सकता, जिससे शूगरकेन पैदा करने वाले किसानों को फ़ायदा हो सके । स्टेटमेंट आफ़ आबजक्ट्स एंड रीज़न्ज़ से बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि सरकार ने यह संशोधक विधेयक देश के कुछ मुट्ठी भर मिल वालों को फायदा और लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से इस सदन के सामने रखा है, जो कि खूब मुनाफा खा रहे हैं और जिनका मुनाफा दिन प्रति दिन बढ़ रहा है ।

मुझे एक बात और कहनी है । सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि इस संशोधक विधेयक को **विद रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट** लागू किया जाय और इसको पिछले सालों के सम्बन्ध में भी एन्फ़ोर्स किया जाय । जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है, जिन किसानों ने मेहनत करके गन्ने का उत्पादन किया है , जिन्होंने १९५५ से लेकर अब तक का रुपया प्राप्त करना है, जो कि उनका कानूनी राइट, टाइटिल और अधिकार है, उन किसानों को कानूनी रूप से हमेशा के लिए उस से

[श्री गोंरीशंकर कक्कड़]

वंचित करने के लिए सरकार यह विधेयक ला रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर यह अमैंडिग बिल न शाया जाये, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कानूनी टाइटिल या अधिकार प्राप्त है, तो इस अमेंडमेंट के बिना उसका प्रयोग हो सकता है और वह पैसा वसूल किया जा सकता है, यहां तक कि उस कानूनी राइट का ब्रीच करने पर क्रिमिनल प्रासीक्यूशन हो सकता है। यह सब होते हुए भी सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि गन्ना पैदा करने वालों के हितों की रक्षा के लिए यह संशोधक विधेयक लाने की आवश्यकता हुई।

मुझे खेद है कि १९५५ से ले कर अब तक सात वर्ष हो गये, लेकिन सरकार को अभी तक न तो इस बात की क्षमता रही और न ही शायद उस को इस बात का समय मिला कि वह एक मर्तबा भी कीमत निर्धारित कर सके। जहां तक उस फ़ार्मूले का सम्बन्ध है, जिस के द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाना है, उस के बारे में भी सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। जब सात वर्ष का समय व्यतीत हो गया और अब तक उस तरफ़ कदम नहीं उठाया गया है, तो फिर यह कैसे समझा जाय कि सरकार के हृदय में उन ग़रीब किसानों के लिए किसी तरह की हमदर्दी है, किसी तरह का ख़याल है, जो कि रात-दिन खून पसीना एक कर के गन्ने का उत्पादन करते हैं ?

अभी एक सप्ताह भी नहीं गुज़रा है, जब कि इस सदन के सामने लैंड एक्वीज़ीशन बिल पेश किया गया था। उस समय भी ऐसा मालूम होता था कि इस सदन के समस्त माननीय सदस्यगण इस राय के हैं कि उस बिल के द्वारा ग़रीबों के ऊपर एक बड़ा कुठाराघात हुआ है। उस समय मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों और बुजुर्गों ने बड़े ज़ोर के शब्दों में उस राय का समर्थन किया जैसा कि आज इस विधेयक के बारे में हो रहा है। परन्तु मुझे यह आशा करनी चाहिए कि जो माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं और इस संशोधक विधेयक को पूरे तौर से देख कर इस के यही माने निकालते हैं, दूसरे माने नहीं निकालते हैं, कि इस विधेयक को पास कर देने से उन करोड़ों किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा, जिन्होंने गन्ने का उत्पादन कर के मिलों में भेजा है और शूगर तैयार करने में इतना बड़ा भाग अदा किया है, मतदान के अवसर पर वे माननीय सदस्य, श्री चौधरी, और दूसरे सदस्यगण के द्वारा पेश किये गये इस संशोधन का समर्थन करेंगे, जिस का आशय यह है कि इस विधयक को पास करने से पहले इस को जन मत की राय जानने के लिए बाहर भेजा जाय। जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है कि विधयक के बारे में जनता की राय ली जाय, मैं उस का समर्थन करता हूं।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के अमेंडिंग बिल पास कर देने से इस देश में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के सूत्रधार इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि वास्तव में समाजवाद से उन का कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उन का सीधा-सीधा सम्बन्ध इस देश के मुट्ठी भर, इने-गिने पूंजीपतियों से है और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना उनका उद्देश्य है। इसी अधिवेशन में हम लोगों ने यह सुन लिया कि दस पंद्रह साल से पीपल्ज़ कार के बारे में जो चर्चा चल रही थी, जो विश्वास दिलाया जा रहा था कि पांच, साढ़े पांच हज़ार रुपये में वह कार मिल सकेगी, उस के बारे में हमारी केबिनेट ने आख़िरी फ़ैसला कर दिया और उस योजना को शेल्व कर दिया। उसका क्या कारण है ? उस का कारण यह है कि भारतवर्ष का एक परिवार है, जिस को हमारी सरकार फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहती है और अगर लोगों को सस्ती कार मिलने लग जाय, तो उस परिवार की इस बारे में कोई मानोपली नहीं रह जायगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस तरह के संशोधक विधेयक, जिन से कि आम जनता और मेहनत करने वालों का शोषण होता है, उन लोगों के द्वारा लाये जा रहे हैं, जो कि

आजादी से पहले, १५ अगस्त, १९४७ से पहले, इन बातों का कट्टर विरोध करते थे । आज उन लोगों का सामने आ कर इन बातों को अपनाना कहां तक उचित होगा ?

इस लिए मैं आप के द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि या तो वह कृपा कर के इस अमेंडिंग बिल को वापस ले लें, या, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री बनर्जी , या श्री चौधरी के संशोधनों में कहा गया है, इस बिल के बारे में जनमत ले लिया जाय, ताकि देशवासियों को यह मालूम हो सके कि इस विधेयक के द्वारा किस तरह उन ग़रीब किसानों का गला घोटा जा रहा है, जिन्होंने मेहनत कर के शूगरकेन का उत्पादन किया है, और इस विधेयक के बारे में हम लोग उन की राय जान सकें ।

†**सभापति महोदय** : सदन ६-३० बजे तक, जब तक विधेयक पर चर्चा नहीं समाप्त होती, बैठेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : सभा की अनुमति से होना चाहिए ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं । आदेश पत्र के अनुसार ५ बजे आध घंट की चर्चा होगी । उस का क्या हुआ ?

†**सभापति महोदय** : यह चर्चा किसी और दिन होगी ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री गोरी शंकर कक्कड़** : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं । ५ बजे आधे घंटे की चर्चा हटा कर विधेयक पर कैसे चर्चा जारी रखी जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम सत्र को ७ सितम्बर को समाप्त करना चाहते हैं । कुछ सरकार का कार्य है और सरकार उसे शीघ्र समाप्त करना चाहती है । बाढ़-स्थिति पर चर्चा करने के लिए भी मांग है । दिल्ली की शान्ति व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए भी मांग है । इस सब कार्य-वाही को समाप्त करने के लिए सभा को देर तक के लिए बैठना होगा ।

सदन को इस बात पर निर्णय करना है कि पहले हमें आधे घंटे की चर्चा करनी है और फिर इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करनी है या इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करनी है । मेरे विचार में सदस्य इस बात से सहमत होंगे । आधे घंटे की चर्चा किसी और दिन कर दी जायगी ।

†**श्री काशी नाथ पांडे** (हाता): इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि चीनी मिलों की मशीनों के बदलने तथा चीनी के निर्यात से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये चीनी मिलों को सहायता दी जाय ।

प्रशुल्क आयोग ने १९५९ में यह सिफारिश की थी कि इन कारखानों को मशीनें बदलने के लिये सहायता राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । सरकार ने भी उस समय आयोग की बात स्वीकार की थी और चीनी मिल मालिक संघ की मांग स्वीकार नहीं की थी । अतः यह देखना है कि अचानक कौन सी नयी स्थिति पैदा हो गयी है ?

तथापि आप कारखानों के बीच विभेद नहीं कर सकते हैं । आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक कारखाने को मशीनें बदलने का अधिकार है दूसरे को नहीं । यदि सरकार इसे सिद्धान्ततः स्वीकार करती है तो उन्हें देश के सारे चीनी कारखानों के सम्बन्ध में निश्चय करना होगा ।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, इस में संदेह नहीं है कि इस देश द्वारा किये गये चीनी के निर्यात में हानि हो रही है । इसे पूरा करने के लिये चीनी की कीमत में कुछ वृद्धि स्वीकार की गयी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशी नाथ पांडे]

है। प्रश्न यह है कि इसका किस प्रकार उपयोग किया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को प्रशुल्क आयोग को सौंप देवें और उससे पुनः इस प्रश्न की जांच करने को कहें।

अब मैं संयोजन सूत्र को लेता हूं। मेरे विचार से यह वज्ञानिक सूत्र नहीं है। इससे किसानों को अच्छे प्रकार का गन्ना पैदा करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा फलतः गन्ने की किस्म में गिरावट आ जायगी।

अतः मेरा सुझाव यह है कि पहिले दो वर्ष तक गन्ने की किस्म का सुधार करो तब इस सूत्र को लागू करना उचित होगा। अन्यथा इसका अच्छा परिणाम नहीं होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : यह केवल सूत्र है जिससे केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह मूल्य संयोजन सूत्र को भूतलक्षी अवधि से, अर्थात् १९५८-५९ से लागू कर सके। इस सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये गये हैं। यह कहा गया है कि वह प्रस्ताव किसानों के लिये हानिकर है। तथापि मेरा विचार है कि उन्होंने प्रशुल्क आयोग, या भारत सरकार का संकल्प नहीं पढ़ा है। यदि वे उसे सावधानी से पढ़ते तो वे सभा में ऐसा न कहते।

श्री त्यागी ने कहा है कि हमें किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिये। यह कहा गया कि स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये बहुत कुछ किया। तथापि हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि स्वर्गीय किदवई के समय गन्ने की कीमतें १ रु० ३ आ० से १ रु० ५ आ० मन थीं।

१९५२-५३ में चीनी की कीमतों में वृद्धि केवल उत्पादन शुल्क के कारण हुई। तथापि हमें स्मरण रखना चाहिये कि उस कीमत पर भी गन्ने की खेती लाभप्रद थी। तत्पश्चात् श्री अ० प्र० जेन खाद्य मंत्री हुए। १५ अगस्त, १९५९ तक गन्ने की कीमतें १ रु० ७ आने रहीं। प्रत्येक सत्र में गन्ने की कीमतें बढ़ाने की मांग रखी गयी किन्तु १९५८-५९ में कीमतों में वृद्धि दर १ रु० १० आने मन कर दिया गया। अतः यह कहना गलत है कि सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से किसानों को हानि हुई है।

सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर सरकार का संकल्प ध्यान से नहीं पढ़ा है। तथा माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि हम प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये यह विधेयक लाये हैं।

सरकार ने प्रशुल्क आयोग की मुख्य सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने इसके स्थान पर कहा है कि वर्तमान मूल्य संयोजन सूत्र ही कुछ रूपभेद के सहित जारी रहेगा।

प्रश्न यह है कि यह रूपभेद आवश्यक हैं या नहीं। श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने कहा है कि हम पिछले पांच या छह वर्षों से इस पर अमल कर रहे हैं तथापि अब उसमें एक ऐसा रूपभेद किया जा रहा है जिससे कि गन्ना उगाने वालों के उन सारे अधिकारों का हनन हो जायगा जो कि उन्हें पिछले वर्षों में प्राप्त हुए थे।

वस्तुस्थिति यह है कि यह अनुसूची जिसके अधीन निलम्बित कीमतों का भुगतान अनिवार्य बनाया गया वह चीनी (नियन्त्रण) आदेश में सितम्बर, १९५९ से लागू की गयी। इसी अधिसूचना में खण्ड ३क शामिल किया गया। इसके पहिले स्वेच्छा से ही ऐसा किया जाता था। सरकार, कारखाना तथा किसान सभी इस बात का प्रयत्न करते थे कि भुगतान किया जाय तथापि यह स्वेच्छा से ही होता था।

अब मैं आपको यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि यह विधेयक प्रस्तुत करना अनिवार्य क्यों हुआ। यद्यपि कीमत संयोजन सूत्र १९५८–५९ में लागू हो चुका था तथापि उसी वर्ष चीनी की मूल्य व्यवस्था का प्रश्न प्रशुल्क आयोग के समक्ष रखा गया।

प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में चार क्षेत्रों के लिये चार अनुसूचियां निहित कीं। यह पुनरीक्षित कीमत व्यवस्था थी। इसलिये हमें इसे घोषित करते समय अनिवार्य रूप से प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करना पड़ा। कीमत सूत्र पर, जिसे हमने प्रशुल्क आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लिया था किसी ने आपत्ति नहीं की। अतः कीमत संयोजन सूत्र को अमल में लाने के लिये हमें प्रशुल्क आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुसूची स्वीकार करनी पड़ी।

इसके पश्चात् गोपालकृष्णन् समिति ने, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर कीमत समायोजन सूत्र स्वीकार किया गया था, ५२ न० पै० प्रति कारखाने के हिसाब से पुरानी मशीनें बदलने के भत्ते की सिफारिश की। प्रशुल्क आयोग ने भी कुछ क्षेत्रों के कारखानों के लिये ४० न० पै० पुरानी मशीनें बदलने का भत्ता स्वीकार किया है तथापि भारत सरकार ने यह कहा कि भत्ता केवल उन्हीं मामलों में दिया जायगा जहां कारखाने ने उस कार्य के लिये कोई राशि पृथक् रखी है तथा जिन कारखानों में इस मद के अधीन राशि व्यय हुई है।

जहां तक निर्यात की हानियों का प्रश्न है, कुछ मामलों में देश में चीनी की कीमतें बढ़ा कर हानि को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। तब सरकार स्वयं उन हानियों को पूरा करने को तैयार हो गयी। उद्योग से कुछ अंश वहन करने को कहा गया। तथा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उद्योग को इस मामले में सहायता भी देनी चाहिये जिससे कि वे इस सम्बन्ध में होने वाली हानियों को पूरा कर सकें।

सरकार सभी बातों को विचार कर ही इस निष्कर्ष पर पहुंची है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे थोड़ा सा समय इस बिल पर बोलने को दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

उपमन्त्री महोदय ने सन् १९५५ के आर्डर की बाबत जो कहा है कि वह वालियेंटरी था मैं समझ नहीं सका कि जो आर्डर गवर्नमेंट के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर निकले वह आड वालियेंटरी है या कम्पलसरी है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सैक्शन ३ प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट अपने आर्डर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्दर ईश्यू करे।

वस्तुतः यह अत्यावश्यक पण्य अधिनियम की धारा ३ के अधीन अनिवार्य आदेश था। यह स्वेच्छात्मक नहीं था। इस आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि न्यूनतम राशि किस प्रकार तय की जायगी।

तथापि केन्द्रीय सरकार ने इस आदेश के खण्ड ३ के अधीन कार्य नहीं किया। इसमें लिखा गया है कि सरकार समय समय पर कीमतें निश्चित करेगी तथा उसे अमल में लाने का प्रयत्न करेगी।

[श्री सिंहासन सिंह]

धारा ७ में दण्ड भी निहित किया गया है कि धारा ३ या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है ।

माननीय मन्त्री अब यह चाहते हैं कि इस धारा पर अमल किया जाय । वस्तुतः अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन उन्हें यह अधिकार पहिले से ही प्राप्त हैं । तथापि इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया ।

अब म इस विधेयक के अभिप्राय को लेता हूं । सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें स्वीकार की हैं । आयोग ने यह सिफारिश की है । १०० में से ३० उद्योग को मिले और ७० गन्ना उगाने वालों को मिले। तथापि सरकार ने कहा कि २५ प्रतिशत उद्योग को मिलेगा और अवशेष ७५ को भी उद्योग तथा किसानों के बीच परस्पर वितरित किया जायगा । मेरे विचार से ऐसा करना किसानों के हितों को देखते हुए अनुचित है ।

अब सरकार ने कहा है कि वे पुरानी मशीनों को बदलने और निर्यात हानियों के एवज में सहायता राशि देंगे ।

मेरे विचार से यह विधेयक अनावश्यक और निरर्थक है ।

श्री के० द० पुरी (कैथल) : सर्व प्रथम वर्ष १९५०–५१ में भारत सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त किया वर्ष १९५२ में अधिकतर चीनी से नियन्त्रण हटा दिया गया । ऐसा होते ही चीनी का मूल्य बढ़ने लगा और उसी वर्ष अर्थात् १९५२ में गन्ना का मूल्य १रु० ७५ नये पैसे से कुछ कम होकर १ रु० ३१ नये पैसे हो गया ।

पहिली बार स्थगित भुगतान व्यवस्था नियन्त्रण के विकल्प के रूप में आरम्भ की गई थी । नियन्त्रण पहिले पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में लागू किया गया था और अप्रैल १९६० में दक्षिण बिहार में लागू किया गया जो नवम्बर १९६१ तक चला जबकि चीनी से नियन्त्रण हटाया ग या । इस बीच सरकार ने यह काम प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया जिसने ४२ कारखानों के आंकड़ों की जांच करके वास्तविक लागत के अलावा १२ प्रतिशत मजदूरों को बोनस, मजदूरों को उपदान, डिवेंचरों पर ब्याज, आदि देने की सिफारिश की । नियन्त्रण के समूचे काम में यही लगात रही है । अतः कोई अधिक प्राप्ति नहीं हुई ।

यह सच है कि चीनी उद्योग को कुछ रियायतें देने से कुछ अड़चनें उत्पन्न हो गई । देश में चीनी की कमी थी और इस कारण उद्योग तथा उत्पादकों को कुछ प्रोत्साहन दिया गया । न्यूनतम मूल्य १ रु० ७ पैसे से बढ़ा कर १ रु० १० पै० किया गया । उद्योग के लिये उन्होंने कहा, अपना क्षेत्र बढ़ा लो । यदि तुम्हारा अधिक व्यय होता है तो तुम्हें उत्पादन शुल्क में छट मिल जायगी । उद्योग ने यह स्वीकार कर लिया । परन्तु माननीय मन्त्री इससे भी आगे जा रहे हैं । उन्होंने अपनी शुद्ध लागत काफी अधिक लगाई है ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी): चीनी मिल मालिकों को लाइसेंस प्राप्त हुए तो इस हाउस में बैठ करके उनको हमने कम्पेंसेशन देने की बात की । चीनी का जब शार्टेज हुआ तो चीनी हम को बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ी और उसकी हमने इजाजत दी ।

†**श्री के० द० पुरी** : वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के मौसमों में प्रशुल्क आयोग ने लागत की गणना की थी और जो बात उन लागतों में शामिल न थी वह चीनी उद्योग पर नहीं लादी जा सकती । उस समय जो मूल्य निर्धारित किया गया था, वही लेना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास के बारे में, गोपाल कृष्णन् के सूत्र इसे लागत का एक अंग माना गया है। स्वैच्छिक आधार पर भी पुनर्वास को एक अंग माना गया है। स्वैच्छिकि आधार पर भी पुनर्वास को एक अंग माना गया है। निर्यात हानि की बात सरकार पर निर्भर है। इससे उद्योग को भी कुछ हानि हुई है। यहां तक कि आज भी जबकि निर्यात के लिये आर्थिक सहायता दी गई है, उद्योग को कुछ हानि हो रही है। इसे पूरा करना सरकार पर निर्भर है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहल मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर दो शूगर फैक्ट्रीज हैं और पानी के नीचे हमारा गन्ना रहता है। हमारे भाइयों ने यहां पर बहुत ही विद्वतापूर्ण भाषण किए हैं और किताबों में से कई बातें बतलाई हैं। लेकिन मैं किताबों में जो बातें हैं उनमें जाना नहीं चाहता। मैं खुद एक किसान हूं और खेती कराता हूं। मैं आपको जो प्रैक्टीकल बात है, वह बतलाना चाहता हूं। एक मन गन्ने में से चार सेर चीनी निकलती है। लेकिन मैं पौने चार सेर ही रखता हूं। मैं खुद भेली बनवा कर चीनी तैयार करने के परिणाम को जानता हूं। उस आधार पर मैं आपको यह बात बतला रहा हूं। अब आप चीनी के भाव को देखें। यहां दिल्ली में चीनी एक रुपया बीस नए पैसे सेर बिकती है। आप देखें कि एक रुपया दस आने तो हमको गन्ने के मिले जिसमें में से तीन आने या चार आने हमारा किराया पड़ गया और इसको निकाल दिया जाए तो हम को एक रुपया चार आने के करीब ही मिला। चार रुपये के करीब तो उसकी कीमत हुई और हमें मिले कितने एक रुपया चार आने। बाकी जो पैसा है, वह इसका मतलब यह हुआ कि मिल मालिकों को जा रहा है। आज हमें उसके मेंटेनेंस के लिये खर्च करना पड़ता है। हम आपको गन्ना बिना दाम लिये हुए दे देते हैं, बिना पैसा लिए हुए दे देते हैं। माल तो आपके घर चला जाता है और हमको छः छः महीने तक इन्तजार करना पड़ता है। आज भी लाखों रुपया जो असली दाम का है वह हमारा बाकी है। डैफर्ड प्राइस को तो आप छोड़ दें लेकिन जो असली दाम हैं और जो बाकी हैं, वे तो आप हम को दिलवा दें किसान भूखों मर रहे हैं, उनको अपना पैसा नहीं मिलता है। कमलापति जी का स्टेटमेंट आया कि लाखों किसान भूखों मर रहे हैं। ऐसी दशा में मैं गवर्नमेंट का अनुग्रहीत हूंगा अगर वह इनका पैसा दिला दे। जब इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखे और जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाता है तो वह कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट देखे। इस घपले में हम पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका तत्काल ध्यान जाना चाहिये।†

आप देखें कि तीन पैसा तो गवर्नमेंट ले लेती है डिवेलेपमेंट के नाम पर लेकिन उसमें से एक पैसा भी हम को नहीं मिलता है। मैं मिनिटर साहब को दावत देता हूं कि वह नवम्बर महीने में आकर देखें किसी मिल को हमारे इलाके में कि क्या गति बैलों की होती है। अब बैलों की कीमत को भी आप देखें। आज एक हजार में एक बैल मिलता है जबकि पहले जमाने में दो सौ में जोड़ी मिल जाया करती थीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कास्ट आफ कल्टीवेशन और कास्ट आफ ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ गया है। पहले हमें मजदूर चार आने और आठ आने में मिल जाया करता था और आज डेढ़ रुपये में मिलता है और खाना उसको हमें अलग से देना पड़ता है। हमारे गन्ने की प्राइस नहीं बढ़ती है, मिल मालिक का सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हमें जो पब्लिक को फेस करना पड़ता है, उसको हम ही जानते हैं। मान्यवर, मैंने गन्ने की बोआई अपने यहां कम कर दी है। चार बीघे के बजाय मैंने दो बीघे में ही गन्ने की बोआई करवाई है। अच्छा गन्ना हम पैदा करते हैं तो एक पुर्जी तो मिलती है नवम्बर महीने में और एक मिलती है जनवरी में . . .

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट का काम भी आप कर रहे हैं, इसलिये गन्ने की बोआई कम कर दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शिव नारायण : पार्लियामेंट गन्ने की प्राइस फिक्स करती है । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यू० पी० असेम्बली ने कांग्रेस और अपोजीशन वालों सब ने मिल कर एक रेजोल्यूशन पास किया था कि गन्ने का दाम पौने दो रुपया कर देना चाहिये लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया है । यह प्रस्ताव आपके पास भेजा गया है लेकिन इसको आपने कार्यान्वित नहीं किया है, इसको आपने मंजूर नहीं किया है । एक रुपया दस आने ही हम लोगों को मिलता है ।

आप टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं । कोई मैम्बर भी इस हाउस का उस कमीशन में नहीं है । एक भी किसान को उसने एग्जेमिन नहीं किया है । पटना, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता वगैरह में एयर कंडिशन्ड कमरों में बैठ करके उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है । यह हमको मान्य नहीं है । इस कमीशन को खत्म करें । मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे एक नया कमीशन बनायें और उसमें किसानों को शामिल किया जाय । किसानों पर तो गवर्नमेंट मुनहसर है । आज उनके अन्दर एक आह है, उन गरीबों की हालत खराब है । आखिर आप किसानों से कितना लेना चाहते हैं ? असल में सारी कीमत में से तीन चौथाई तो हम किसानों को मिलना चाहिये, लेकिन आज हमें आधा भी नहीं मिलता । अगर हम को आधा मिलता होता तो हम बढ़िया गन्ना पैदा करके दे सकते हैं । मैंने क्यूबा में देखा कि ज्यों ज्यों चीनी के दाम बढ़ते हैं वैसे ही मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है, गन्ने के दाम बढ़ते हैं। लकिन यहां पर कुछ नहीं होता । मुट्ठी भर लोग बैठ कर टैरिफ कमीशन बना लेते हैं । मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टैरिफ कमीशन फिर से बिठलायें । उसमें किसानों को भी बुलाइये उन जगहों पर जहां पर आज बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तब आपको सारा पता लग जायेगा । मैं भी खेती करता हूं और असलियत को जानता हूं। पंजाब और बिहार के लोग भी जानते हैं । **व्हाई यू आर नाट गोइंग टु फिक्स वन प्राइस फार आल इंडिया** ? आप एक प्राइस सब जगह के लिये कीजिये । १०० मन गन्ने में १०मन चीनी होती है, चाहे मद्रास का रस हो चाहे बिहार का रस हो । रस तब होता है जब पानी जल जाता है । पानी जलने के बाद प्योर रस रहता है । इसलिये उसका दाम ठीक से और एक तरह से मुकर्रर करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आग्रह कर के कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जो आब्जैक्शन एण्ड रीजन्स हैं, उनसे शंका पैदा होती है कि आप मिल मालिकों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसानों को नहीं । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरघना) : सूत्र बनाना मंत्री महोदय या उद्योग का है । यदि वे उसे लागू कर सकें, तो कर लें । अधिकार सन्तुलित रहने चाहियें । स्थिति वर्ष १९५० या १९५५ में वर्ष १९६२ की स्थिति से भिन्न थी । गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में जो वचन दिये गये थे वे पूरे किये जाने चाहियें । मान लीजिये कि मैं किसी को वर्ष १९५८ में कोई वस्तु बेची थी और मूल्य निर्धारित हो गया था । अब कोई कैसे कह सकता है कि उसे उस विक्रय की शर्तें बदलने का अधिकार है । यह कैसे हो सकता है ।

सारे संसार में यह स्वीकार किया जा चुका है कि किसान को राष्ट्रीय आय ६८ प्रतिशत का भाग मिलेगा । परन्तु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है । यहां किसान को मूल्य का उतना भाग नहीं मिलता । अब स्थिति यह है कि यदि उद्योग को १०० रु० मिलते हैं तो किसान को केवल ३५ रु० मिलते हैं यह एक असंभव बात है । मेरे मित्र कहते हैं कि वह भुगतान नहीं करेंगे । भुगतान न करने वाले वह कौन हैं ?

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कांग्रेस बेंच से कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी, मेरा खयाल है एक के सिवा सब ने, इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : जान बूझ कर ?

श्री लहरी सिंह : जान बूझ कर नहीं। ऐसे ही लैंड एक्विजिशन ऐक्ट पास करने के वक्त उठाई। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम अपनी पार्टी को तो मिनिस्टर साहब कन्विन्स कर देते।

अध्यक्ष महोदय : बड़ा अच्छा होता कि आप खामोश रहते और यह काम उन्हें ही करने देते।

श्री लहरी सिंह : मैं अर्ज करूं कि यहां पर कुछ ऐसा मालूम होता है कि अपोजीशन की तरफ से भी और कांग्रेस वाले भी सारे लोग एक व्यू के हैं कि गरीब किसान को न मारो। गरीब किसान के जो पेमेन्टस एरिअर्स में हैं, उस का जैसा हिसाब लगे, उस हिसाब से दे दो। जब आगे का हिसाब आप करेंगे तो उस के बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। जो खेती करने वाले लोग हैं उन का सन् १९५५ से ले कर इस वक्त तक का जो रुपया रुका हुआ है वह किसान को नहीं दिया गया है, हालांकि ऐक्ट प्रोवाइड करता है कि वह जरूर दिया जाना चाहिये और न देने पर उस के लिये पेनैलिटी प्रोवाइड करता है। वह कहता है कि तमाम रुपये का पेमेन्ट होना चाहिये और गरीब किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिये। लेकिन उस के लिये वह हिसाब कैसे करे ? किसान को इतना हिसाब नहीं आता, लेकिन इस पर भी आप ने एक क्लाज इस में डाल दिया कि सारी चीजों का हिसाब लगाया जायेगा। "फार इन्क्लूजन आफ अलाइंसेज फार रिहैबिलिटेशन" इस में रख दिया गया। यह इतना वेग क्लाज है कि इस में बहुत लैटिट्यूट मिल गया है इंडस्ट्री वालों को। अलाउंसेज फार रिहैबिलिटेशन वगैरह की एक लम्बी लिस्ट बनी हुई है। रिहैबिलिटेशन इतना वेग लफ्ज है कि कहां तक इस का अकाउंट किया जा सकता है। कौन किसान उस को देखेंगा। आडिटर्स आयेंगे उन के गाइडेंस के लिये भी कुछ नहीं है। तो मिनिस्टर साहब को चाहिये था कि टैरिफ कमीशन ने जो रिहैबिलिटेशन के लिये कहा है, उस की कोई लिमिट तो रख देते। यह तो बड़ा वाइड टर्म है। अगर किसान का गन्ना खराब हो जाता है, या उस का बैल मर जाता है, तो कौन उस को रिहैबिलिटेट करता है। उस से तो हर हालत में लैंड रेवेन्यू वसूल कर लिया जाता है। आप देखें कि जो किसान खेती करता है क्या वह मिल मालिकों की तरह कार रखता है, या कोठियों में रहता है। जिन को इतना मुनाफा है उन को और फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि उन को डेफर्ड पेमेंट न देना पड़े। टैरिफ कमीशन की यह सिफारिश नहीं मानी जानी चाहिये। चार आदमी बैठ गये और चाहे कुछ कर दिया। टैरिफ कमीशन की सिफारिश को मंजूर करना कोई लाजिमी नहीं है। उस की तो आप के लिए एक गाइडेंस भर है। रिहैबिलिटेशन के एलाउंसेज का कोई हिसब रखना चाहिये कि कितना मिनिमम होगा। आप की जो एक्साइज ड्यूटी है वह भी बहुत ज्यादा है।

किसी और इंडस्ट्री के लिये इस तरह का रिहैबिलिटेशन एलाउंस नहीं रखा गया है। सिर्फ इसी एक इंडस्ट्री को रिहैबिलिटेट करने के लिये यह चीज रखी गई है और इस को डिफाइन भी नहीं किया गया है, न यह कहा गया है कि यह इतने से ज्यादा नहीं होगा। इस के लिये कोई फार्मूला नहीं बताया गया है। आप ने तो सेठ के हाथ में कलम दे दी, वह होशियार आदमी है और पढ़ा लिखा है, वह कहता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है।

मेरी अर्ज तो यह है कि जो आज तक के हमारे एरियर्स हिसाब से होते हैं वह दिलवा दो और यह रिट्रास्पेक्टिव वगैरह रहने दो, आगे के लिये हिसाब करो और इस रिहैबिलिटेशन एलाउंस के लिये कोई फारमूला हो सकता हो तो उस को बना दो तो इस का कोई जस्टिफिकेशन भी हो।

श्री त्यागी : ऐसा ही करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लहरी सिंह : इन लफ्जों के साथ में उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे और बेजुबान किसानों का खयाल रख कर और सोच विचार कर काम करेंगे । वह अभी तक तो बहुत पापुलर रहे थे लेकिन अब अनपापुलर होते जा रहे हैं । तो उन को सोच समझ कर काम करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : तीन सदस्य और बोलना चाहते हैं अगर उनको वक्त दिया गया तो सात बजे तक बैठना होगा ।

श्री लहरी सिंह : तब तो आप इस बूढ़े आदमी को मार दोगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो बूढ़ा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तर्कों को दोहराया जा रहा है । क्या मैं माननीय मंत्री को बोलने के लिये कह सकता हूं ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां, श्रीमान ।

†**श्री स० का० पाटिल :** श्रीमान्, मेरी प्रार्थना है कि इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें केवल भावनाओं से काम नहीं लेना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं ने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है कि यहां जो भी कहा गया है, उस से इस विधेयक का कोई सीधा संबंध नहीं है । सूत्र बनाते समय वे मेरा पथ प्रदर्शन कर सकती हैं । वे सरकार का पथ प्रदर्शन कर सकती हैं । परन्तु इस विधेयक के बारे में, इन का इस सत्र या सूत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ऐसा सूत्र अभी सभा के विचाराधीन नहीं है । इस विधान का संबंध किसी सूत्र विशेष से नहीं है क्योंकि वह इस समय प्रस्तुत नहीं है । बहुत से सदस्यों ने पूछा है कि क्या हम वास्तव में इस विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं । मैं इसे अभी वापस लेने के लिये तैयार हूं, किन्तु क्या उन्हें पता है कि इस का परिणाम क्या होगा

यहां एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर कोई यह कहता है कि वह गरीब के अधिकारों का संरक्षक है और केवल बेचारा मंत्री ही किसान आदि के अधिकारों को छीनना चाहता है । किसी को ऐसा दावा नहीं करना चाहिये । हम यहां सब देश के प्रतिनिधि सदस्य हैं और हमें उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी है । यदि यह विधेयक पारित करने से किसानों को तनिक भी हानि पहुंच रही है तो मैं मंत्रिपद छोड़ दूंगा ।

किन्तु विधि में लिखी बात का उपबंध नहीं कर सकें जिस का कारण मेरे माननीय साथी ने बताया है । कई आयोग कार्य कर रहे थे अतः हम निर्णय नहीं कर सके । एक शंका प्रकट की गई है कि मैं इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहता हूं और यह करने के लिये सिवाय इस विधेयक के और कोई उपाय नहीं है । उत्पादकों के हितों का समर्थन करने वालों को यह समझना चाहिये कि इस विधेयक द्वारा इस सूत्र को अनिवार्य बनाना आवश्यक है ।

इस विधेयक का अभिप्राय यही है कि उत्पादक को भी लाभ में हिस्सा मिलेगा और हम चाहते हैं कि उसे स्थगित भुगतान भी मिल जाये । क्या संसार में किसी भी प्रगतिशील सरकार ने ऐसा अधिनियम कभी बनाया है ? इस का उत्तर होगा "नहीं" । ऐसा तभी हो सकता है जब उत्पादकों की इच्छा हो बल्कि यह कहना चाहिये कि उत्पादकों की शक्ति हो क्योंकि उन्हें शक्ति प्राप्त है और

†मूल अंग्रेजी में ।

बहुत से काम शक्ति से होते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कैसे किया था ? क्या आप का अभिप्राय है कि महाराष्ट्र की सरकार में इतना देवत्व है कि वहां सब कुछ सुगमता से हो जाता है ? वहां भी बहुत सी बातें उत्पादकों की शक्ति के कारण हुई हैं ।

बम्बई में क्या हुआ ? वहां भी यह उत्पादकों की सामूहिक शक्ति के कारण हुआ था क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि यदि यह स्वीकार न किया गया तो वे गन्ना नहीं देंगे और यदि उन्हें लाभ में हिस्सेदार न बनाया गया तो वे गन्ना नहीं देंगे । तब चीनी उत्पादकों ने समझा कि उनका सहयोग प्राप्त करने में ही उन का हित है । सरकार तो उस में केवल आशीर्वाद देने के लिये थी । जिस बात की छूट बम्बई राज्य और वहां के उत्पादकों को थी वही छूट अन्य राज्यों और उत्पादकों को थी । उन सब लोगों के प्रतिनिधि आज इस सभा में हैं । तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों को किस बात ने यह देने से रोके रखा ? उन वर्षों में तो कोई बाध्यता नहीं थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर भी कि उत्पादकों को कुछ देना चाहिये उत्तर प्रदेश के किसी भी अच्छे या बुरे कारखाने के सिवाय एक वर्ष से उत्पादकों को कुछ नहीं दिया । चार वर्षों में केवल एक वर्ष उन्होंने कुछ दिया था । यह मुझे या सरकार को नहीं करना है और मेरा तर्क यही था कि यह अच्छा होता कि सरकार इस मामले में पदार्पण न करती और सरकार ने केवल गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायता की थी और विश्व के अन्य देशों द्वारा, क्यूबा, और क्यूबा की ही तरह जहां नित्य प्रति ऐसा होता है यह काम किया था । हमारी बुद्धि ने इसे ही उपयुक्त समझा था । सद्भावना से सब ठीक हो जायेगा । किन्तु प्रश्न यह है कि उन चार वर्षों के बारे में जब कोई सूत्र नहीं था क्या होगा ? यदि इस सूत्र के भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाये तो उत्पादकों के हितों की रक्षा करना संभव नहीं होगा । संभवतः मेरे माननीय मित्र डी० डी० पुरी को इस विधेयक को वापस लेने से प्रसन्नता होगी क्योंकि फिर कोई कानूनी झगड़ा नहीं रहेगा । क्या मेरे मित्र यह समझते हैं कि किसान गरीब होने के कारण न्यायालय में नहीं जायेगा ? उत्पादकों की संस्था बनी हुई है और जब करोड़ों रुपये का मामला होगा तो क्या वे न्यायालय में नहीं जायेंगे । इस सूत्र के अनिवार्य बनने से पूर्व वे नहीं जा सके क्योंकि वे जानते थे कि इस सूत्र को लागू करना स्वेच्छा पर निर्भर है और वे कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे । हम जो कुछ कर रहे हैं वही एक साधन उन के हितों के संरक्षण का है । सूत्र निर्माण के पश्चात् उसे सभा पटल पर रखा जायेगा । यदि उस सूत्र में संशोधन का आवश्यकता हुई तो फिर संशोधन किया जा सकेगा । इस विधान में तो केवल यही करना है कि इस सूत्र के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना है ।

अतः मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया है, सविनय निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को मैं यथाशीघ्र पारित करना चाहता हूं ताकि यदि कोई कार्यवाही करनी है तो मुझे उसके लिये स्वतंत्र होना चाहिये । क्या आप समझते हैं कि इस में इतना समय लगना चाहिये? क्या आप इस तरह किसानों के हितों की रक्षा करेंगे ?

हम ने प्रशुल्क आयोग की सारी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, किन्तु उस आयोग के प्रति जो अशिष्ट नजनक बातें कही गई हैं वे नहीं कहनी चाहिये थीं । आप उनकी सिफारिशें मानें अथवा नहीं उनका इस प्रकार उपहास नहीं करना चाहिये ।

आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार का संकल्प भी तो है । आयोग के अनुसार उत्पादकों को ४५ प्रतिशत से अधिक नहीं मिलना चाहिये । मैं ६५ प्रतिशत का प्रयत्न कर रहा हूं । आप और करना चाहते हैं तो बेशक १०० प्रतिशत कर दें । सूत्र अभी प्रस्तुत नहीं है किन्तु सरकार उसका निर्माण करते समय उन सब उपयोगी बातों पर विचार करेगी जो यहां कही गई हैं । यदि त्रुटिहीन सूत्र बनाया जा सका और उत्पादकों को अधिकतम राशि दी जा सकी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी ।

[श्री स० का० पाटिल]

अतः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे संशोधनों के लिये आग्रह न करें और सरकार को यह विधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अधिकार दे दें। इसी से किसानों के हितों का संरक्षण हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी का विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के बारे में संशोधन मतदान के लिये रखा गया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : एक औचित्य प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा का अपना नियम है कि सभा के विसर्जन का ५ बजे का जो यूजवल टाइम है उसके बाद अगर सदन चले तो उस अतिरिक्त समय में कोई वोटिंग नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, क्या कहना चाहते हैं? एक **प्वायंट आफ आर्डर** तो पहले ही है क्या वह कुछ और कहना चाहते है या उसी **प्लवाइंट** को कहना चाहते हैं ?

†**श्री बनर्जी** : उसी **प्वायंट आफ आर्डर** के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री शास्त्री ने यह **प्वायंट आफ आर्डर** उठाया है कि चूंकि यह **एक्सटेंडिड आवर** है, इसलिये इसमें कोई **वोटिंग** नहीं हो सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह **कन्वैन्शन** है।

अध्यक्ष महोदय : असल बात यह है कि हमने यह तय किया हुआ है कि १ बजे से ढाई बजे तक **हाउस का काउण्ट** नहीं किया जायगा। इसका मतलब यह है कि उस वक्त चाहे **क्वोरम** न भी हो, तो भी हम कार्यवाही जारी रखेंगे और अगर कोई मेम्बर साहब **स्पीकर** के नोटिस में यह बात लायेंगे कि इस वक्त **क्वोरम** नहीं है, तो उस वक्त **स्पीकर** हाउस में हाजिर मेम्बर साहबान की गिनती नहीं करेगा, ताकि ऐसा ऐलान करने का सवाल न उठ सके कि चूंकि **क्वोरम** पूरा नहीं है, इसलिये कार्यवाही नहीं चल सकती। मैंने पिछले **स्पीकर** साहब का **रूलिंग** देखा है। वह यही है कि जिस तरह हम १ बजे से ढाई बजे तक **काउट** नहीं करते, उसी तरह हम **एक्सटेंडिड आवर** में भी वह शुमार (**काउंट**) नहीं करेंगे। वह **रूलिंग क्वोरम** के बारे में है, लेकिन **क्वोरम** इस वक्त मौजूद है। लेकिन चूंकि मैंने हाउस का **टाइम** मेम्बर साहबान को **नोटिस** दिये बगैर **एक्सटेंड** किया था, इसलिये मैं इस **प्वायंट आफ आर्डर** को **ओवरराइड** नहीं करना चाहता। अगर मेम्बर साहबान को इस बारे में बहुत ऐतराज हो, तो मैं इस **वोटिंग** को इस वक्त नहीं लूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : इसको कल ही लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। इस वक्त हम हाउस को मुल्तवी करते हैं और कल हम इस को लेंगे।

कार्य मन्त्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना): श्रीमान् जी, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा की बैठक स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, ४ सितम्बर १९६२/१३ भाद्र, १८८४ (शक) तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२
१२ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२५८५—२६११
	तारांकित प्रश्न संख्या	
७४३	दिल्ली में मकानों का किराया	२५८५—८७
७४४	ताप का बिजली में परिवर्तन सम्बन्धी प्रयोग . . .	२५८७—८८
७४६	तेल शोधक कारखाना, कलकत्ता . . .	२५८८—८९
७४७	बिहार के लिये सीमेंट का कोटा	२५९०—९१
७४८	कोयले के परिवहन की समस्या का अध्ययन करने के लिये विदेशी विशेषज्ञ	२५९१—९४
७४९	भिलाई इस्पात संयन्त्र	२५९४—९६
७५०	राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी	२५९६—९८
७५१	सशस्त्र सेना मुख्यालय का प्रतिरक्षा मन्त्रालय में विलय . .	२५९९
७५२	हिन्द महासागर अभियान	२५९९—२६०१
७५३	पाकिस्तानी और चीनी लोगों के लिये छात्रवृत्तियां . .	२६०१—०२
७५४	मध्य प्रदेश में कोयला खनन अधिकार . . .	२६०३—०४
७५५	सांस्कृतिक करार	२६०४—०५
७५६	सबलगढ़ मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाना . . .	२६०५
७५७	बहरों के लिये विश्व ओलम्पिक	२६०५—०६
७५८	निर्यात संवर्द्धन	२६०६—०७
७५९	द्विभाषी शब्दकोश	२६०७—०८
७६०	एवरो—७४८	२६०८—१०
७६२	उद्योग के लिए इस्पात	२६१०—११
	अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	
१०	भिलाई इस्पात कारखाना	२६११—२६१२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	२६१२—२६४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
७४५	ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा	२६१२
७६१	गुजरात तेल शोधक कारखाने में राज्य का अंश . .	२६१२
७६३	बिहार को कोयले का कोटा . . .	२६१३
७६४	वेतन बचत योजना	२६१३
७६६	छिद्रण यंत्रों (ड्रिलिंग रिग्स) तथा अन्य उपकरणों की कमी .	२६१३–१४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१४४	पंजाब में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा . .	२६१४
२१४५	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये मकान . .	२६१४
२१४६	हरिजनों के लिए मकान	२६१५
२१४७	इम्पीरियल गजेटियर	२६१५
२१४८	एम० ए० बी० टी० अध्यापकों की पदोन्नति . . .	२६१५–१६
२१४९	आन्ध्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण	२६१६
२१५०	पंजाब में विज्ञान मन्दिर	२६१६–१७
२१५१	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	२६१७
२१५२	पूर्व रामनाथपुरम् मद्रास में सीमेंट फैक्टरी . . .	२६१७
२१५३	समुद्री बीमा विधि	२६१७–१८
२१५४	कांगो में भारतीय सैनिक अफसर का लापता हो जाना . .	२६१८
२१५६	उड़ीसा में भूमिहीन आदिम जातीय लोग . . .	२६१८
२१५७	उड़ीसा में आदिम जाति लोगों के लिये सिंचाई की छोटी योजनायें .	२६१९
२१५८	उड़ीसा के नालीदार लोहे की चादरें . . .	२६१९
२१५९	उड़ीसा के लिये लोहा और इस्पात	२६१९–२०
२१६०	कोयले के दाम	२६२०–२१
२१६१	सड़कों द्वारा कोयला का भेजा जाना . . .	२६२१–२२
२१६२	अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद	२६२२
२१६३	चेतन विज्ञान का अनुसन्धान	२६२२
२१६४	नागालैण्ड में उपद्रव भत्ता	२६२२–२३
२१६५	इंजीनियरिंग कर्मचारियों का नियोजन . . .	२६२३
२१६६	भ्रष्टाचार	२६२३
२१६७	छात्रों के लिये रोजगार	२६२४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२१६८	राकेट विज्ञान का विकास	२६२४
२१६६	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी	२६२४
२१७०	राजस्थान में पिछड़ी जातियों के लिए बस्तियां	२६२४–२५
२१७१	केन्द्रीय असैनिक आचरण नियम	२६२५
२१७२	भर्ती के तरीके	२६२५
२१७३	सिंघभूम में आदिम जातियां	२६२६
२१७४	मेसर्स भारत कोलियरीज़ लिमिटेड	२६२६
२१७५	फौजी बुलडोजर का अलकनन्दा में गिरना	२६२६–२७
२१७६	हिमाचल प्रदेश के अधिकारी	२६२७
२१७७	सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड	२६२७–२८
२१७८	पंजाब में स्वर्ण निक्षेप	२६२८
२१७६	कोयले के उत्पादन के लिये विदेशी सहायता	२६२६
२१८०	बोकारो इस्पात संयन्त्र	२६२६
२१८१	सशस्त्र बल मुख्यालय कर्मचारियों को स्थायी बनाना	२६३०
२१८२	उड़ीसा में लौह अयस्क	२६३०
२१८३	दुग्ध चूर्ण	२६३१
२१८४	अपंगों के लिये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्	२६३१
२१८५	गूंगे बहरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	२६३१
२१८६	संघ राज्य क्षेत्रों में गूंगे और बहरे	२६३२
२१८७	गूंगे बहरों की संख्या	२६३२
२१८८	उड़ीसा में कोयला खानें	२६३२
२१८६	कारों का निर्माण	२६३२–३३
२१६०	सैक्शन अफसरों की तालिका	२६३३
२१६२	साहित्य अकादमी पुरस्कार	२६३३
२१६३	पंजाब में सैनिक प्रशिक्षण स्कूल	२६३४
२१६४	लो वोल्टेज एयर ब्रेक कंटैक्टर आदि	२६३४
२१६५	विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा	२६३४
२१६६	नई दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्कूल	२६३५

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१६७	बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी भत्ता	२६३६
२१६८	यूनेस्को का मन्त्रणा मिशन	२६३६
२१६६	भारतीय बीमा का विदेशी कारोबार	२६३७
२२००	विदेश जाने के लिये विदेशी मुद्रा का दिया जाना	२६३७
२२०१	नये विश्वविद्यालय	२६३८
२२०२	खान और ईंधन मन्त्रालय में गुप्त सूचना विभाग	२६३८
२२०३	गुजरात में प्राकृतिक गैस	२६३६
२२०४	संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध	२६३६
२२०५	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	२६४०
२२०६	इलाहाबाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	२६४०
२२०७	मैसूर में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें	२६४१
२२०८	हरिजन लड़कियों के लिये छात्रावास	२६४१–४२
२२०६	जूट के सामान का कम बीजक बनाना	२६४२–४३
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		
६	भारी इंजीनियरिंग परियोजना, हटिया	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना		२६४२—४७

(१) श्री होमी एफ० दाजी ने पश्चिम बंगाल में पियासबाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा २८ अगस्त, १६६२ को दो भारतीयों के मारे जाने के समाचार की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एशियाई खेल संघ के वरिष्ठ उप-प्रधान श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इण्डोनेशिया सरकार द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाया।

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने चीनी सेनाओं द्वारा लद्दाख में ३० नई चौकियां स्थापित किये जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७–४८

(१) बाल अधिनियम, १९६० की धारा ५९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २२ जून, १९६२ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ३/७/६२—एक्ट/एल की एक प्रति, जिसमें मनीपुर बाल नियम, १९६२ दिये हुए हैं।

(२) जेनेवा अभिसमय अधिनियम, १९६० की धारा १९ के अन्तर्गत दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२२ में प्रकाशित जेनेवा अभिसमय (विधि व्यवसायियों का काम) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, दिनांक ११ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७६ में प्रकाशित खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

राज्य सभा से संदेश २६४८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा ३० अगस्त, १९६२ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २० अगस्त, १९६२ को पास किये गये अणु शक्ति विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ अगस्त, १९६२ को पास किये गये विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २१ अगस्त, १९६२ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक पुरस्थापित २६४८–४९

(१) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक।

(२) भाण्डागार निगम विधेयक

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित	२६४९—५१
(१) ३१ अगस्त, १९६२ को प्रस्तुत भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
(२) वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	
विधेयक विचाराधीन	२६५१—८६
खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२/१३ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि	
गन्ना नियन्त्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसका पारित करना। संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारित करना।	

GMGIPND—LSII1—1808 (Ai) LSD—31-12-62—140.